वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

विषय सूची

1 प्रस्तावना

2. औषध उद्योग का सिंहावलोकन

3. चिकित्सा उपकरण उद्योग का सिंहावलोकन

4. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

5. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

6. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

7. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

8. राजभाषा का कार्यान्वयन

9. सामान्य प्रशासन

10. नागरिक उन्मुख अभिशासन

11. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

12. अनुलग्नक

Brief Contents

1. INTRODUCTION **1**

1.1 Mandate of Department of Pharmaceuticals

2. AN OVERVIEW OF PHARMACEUTICALS INDUSTRY **5**

2.1 Financial Performance of the Drugs and Pharmaceuticals Industry

2.2 National Pharmaceuticals Pricing Policy

2.3 Foreign Direct Investment in Pharmaceuticals Sector

2.4 Umbrella Scheme for Promoting Pharma Industry.

2.5 Uniform Codes for Pharmaceuticals Marketing Practices (UCPMP)

2.6 Exports

2.7. International cooperation/Export Promotion of Pharmaceuticals Joint Working Group (JWG)/High Technology Cooperation Group (HTCG)

2.8 India Pharma 2018 and India Medical Device 2018

2.9 Pharmaceuticals Promotion Development Scheme (PPDS)

3. AN OVERVIEW OF MEDICAL DEVICE INDUSTRY **17**

3.1. Medical Device Segments

3.2. Growth Opportunities

3.3. Import and Export Trends

3.4. Investment Scenario in Medical Device Sector in India

3.5. Existing & Proposed Medical Device Clusters in India

3.6. Medical Device Rules, 2017

3.7. Initiatives for Promotion of Medical Device Industry:

4. PRADHAN MANTRI BHARTIYA JANAUSHADHI PARIYOJANA (PMBJP) **27**

5. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS **37**

5.1 Central Public Sector Undertakings

5.2 Cabinet Decision on Pharma PSU

5.3 Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (IDPL)

5.4 Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL)

5.5 Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd. (KAPL)

5.6 Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (BCPL)

5.7 Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (RDPL)

6. National Institutes of Pharmaceutical Education & Research (NIPERs) **61**

6.1 Background

6.2 NIPER, Mohali

6.3. NIPER, Hyderabad

6.4. NIPER, Guwahati

6.5. NIPER, Ahmedabad

6.6. NIPER, Kolkata

6.7. NIPER, Raibareli

6.8. NIPER, Hazipur

7. NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY (NPPA) **99**

8. IMPLEMENTATION OF RAJBHASHA **109**

9. GENERAL ADMINISTRATION **113**

9.1 Organizational Set Up

10. CITIZEN CENTRIC GOVERNANCE **117**

10.1 Our Vision

10.2 Our Mission

10.3 Our Clients

10.4 Our Commitment

10.5 Our Services

10.6 Our Activities

10.7 RTI-2005

10.8 CPGRAMS

11. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY **121**

12. ANNEXURES **127**

Annexure – I (List of PSUs and Other Organizations)

Annexure – II (Address and Name of various Organizations& PSUs

Annexure – III (List of Responsibility Centers and Subordinate Organizations)

Annexure – IV (Organizational Chart of NPPA)

अध्याय 1

1. **प्रस्तावना**

1.1 औषध विभाग का अधिदेश

अध्याय-1
प्रस्तावना

1-1 vk"k/k foHkkx dk vf/kn'k

मंत्रिमंडल सचिवालय ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक नए विभाग अर्थात् औषध विभाग के सृजन को अधिसूचित किया जो 1 जुलाई, 2008 से अस्तित्व में आया और जिसका उद्देश्य देश में औषध क्षेत्र के विकास पर और अधिक ध्यान और जोर देना तथा दवाओं के मूल्य निर्धारण और वहनीय मूल्यों पर इसकी उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और औषध क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े विभिन्न जटिल मुद्दों को विनियमित करना था जिसके लिए अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य करना अपेक्षित था।

औषध विभाग को निम्नलिखित कार्य आबंटित किए गए हैं:

1. औषध और भेषज, सिवाय अन्य विभागों को विशेष रूप से आबंटित मदें।
2. चिकित्सा उपकरण – संवर्धन, उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित उद्योग मुद्दे, सिवाय अन्य विभागों को विशिष्ट रूप से आबंटित मुद्दे।
3. औषध क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और अन्य अनुसंधान का संवर्धन और समन्वय।
4. औषध क्षेत्र के लिए अवसंरचना, जन शक्ति और कौशल विकास तथा संबंधित सूचना का प्रबंधन।
5. औषध क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों में शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसमें भारत तथा विदेश में उच्च अनुसंधान और अध्येतावृतियां प्रदान करना,सूचना तथा तकनीकी मार्गदर्शन का आदान–प्रदान शामिल है।
6. औषध से संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
7. औषध अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें भारत और विदेश में संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य शामिल हैं।
8. विभाग को सौंपे गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में अंतर्क्षेत्रीय समन्वय जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय शामिल है।
9. औषध क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा से निपटने हेतु तकनीकी सहायता ।
10. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले, जिनमें मूल्य नियंत्रण/मॉनीटरिंग से संबंधित कार्य शामिल हैं।

11. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (नाईपरों) से संबंधित सभी मामले ।

12. विभाग से संबंधित सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा उनकी सहायता ।

13. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड।

14. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड।

15. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड।

16. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ।

17. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ।

विभाग के कार्य को तीन प्रभागों में विभाजित गया है अर्थात् औषध उद्योग प्रभाग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम प्रभाग और अनुसंधान एवं विकास प्रभाग जिसमें राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जो इस विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है, को औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के अंतर्गत औषधीय उत्पादों के मूल्यों को निर्धारित और संशोधित करने का कार्य सौंपा गया है।

श्री जय प्रिय प्रकाश विभाग के सचिव हैं जिन्होंने दिनांक 01.06.2016 से इस विभाग का कार्यभार संभाला है।

अध्याय 2

औषध उद्योग का सिंहावलोकन

2.1 औषध तथा भेषज उद्योग का वित्तीय प्रदर्शन

2.2 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति

2.3 औषध क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

2.4 औषध उद्योग के संवर्धन हेतु एकछत्र योजना

2.5 औषध विपणन कार्यकलाप एकरूप संहिता (यूसीपीएमपी)

2.6 निर्यात

2.7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग / औषध का निर्यात संवर्धन/ संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी)/उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह (एचटीसीजी)

2.8 इंडिया फार्मा 2018 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2018

2.9 औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस)

अध्याय 2
औषध उद्योग का सिंहावलोकन

2-1 vk"k/k rFkk Hk"kt m|kx dk foÙkh; çn'kZu

वर्ष 2016–17 के दौरान भारतीय औषध उद्योग का वार्षिक कारोबार करीब 2,19,755[1] करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2016–17 के लिए बल्क औषधियों, औषधि मध्यवर्ती सामग्रियों और औषधि सम्मिश्रणों, बायोलोजिकल्स का निर्यात का हिस्सा 107618[2] करोड़ रुपये रहा है।

उद्योग के इस हिस्से ने बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी आधार और उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के संदर्भ में बहुत प्रगति की है। इस उद्योग ने विभिन्न खुराक स्वरूपों के उत्पादन के लिए उत्कृष्ट जीएमपी (उत्तम विनिर्माण कार्यकलापों) के अनुरूप सुविधाओं का विकास किया है। इस उद्योग की ताकत गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना दवा मध्यवर्ती सामग्रियों और बल्क कार्यकलापों के लिए यथासम्भव कम से कम समय में लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का विकास करने में है। यह कार्बनिक रासायनिक संश्लेषण और प्रक्रिया अभियांत्रिकी में देश की ताकत के माध्यम से महसूस होता है।

घरेलू फार्मा उद्योग ने हाल ही में एक नेतृत्व स्तर प्राप्त करने और जानलेवा बीमारियों जैसे एड्स, कैंसर आदि के उपचार के लिए जीवनरक्षक औषधियों के विश्व स्तरीय लागत प्रभावी जेनेरिक औषधि विनिर्माता के रूप में वैश्विक उपस्थिति के माध्यम से कुछ ऐतिहासिक मील के पत्थर हासिल किए हैं। ब्राजील और चीन के साथ, भारत ने एक शीर्ष जेनेरिक औषध विनिर्माता होने के नाते खुद के लिए एक जगह स्थापित की है। कई भारतीय कंपनियां, मोजाम्बिक, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया जैसे कम विकसित देशों, जिनमें अफ्रीका में एड्स से ग्रस्त लोगों का लगभग 33% हिस्सा हैं, को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विदेशी स्वैच्छिक संगठनों के साथ सह–भागीदारी कर रही हैं।

अमरीका भी भारतीय कंपनियों से रेट्रोवायरल–रोधी दवाइयों का स्रोतीकरण कर रहा है, जो कई योजनाओं के तहत यूएसएफडीए द्वारा अनुमोदित है। यह इसलिए है क्योंकि भारतीय औषध कंपनियां शुद्धता, स्थिरता और सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के उच्चतम मानदंडों का अनुपालन करती हैं।

शीर्ष भारतीय फार्मा कंपनियों को यूएसएफडीए, एमएचआरए–यूके, टीजीए–ऑस्ट्रेलिया, एमसीसी–दक्षिण अफ्रिका आदि जैसे एजेंसियों से अपने संयंत्रों के लिए कई अंतरराष्ट्रीय विनियामक अनुमोदन मिल चुके हैं। अमरीका के बाहर, भारत में ही जेनेरिक दवाओं के विनिर्माण के लिए सबसे बड़ी संख्या में यूएसएफडीए अनुमोदित संयंत्र हैं। भारतीय औषध के निर्यात के बड़े हिस्से का स्रोतीकरण विकसित पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमरीका से किया जाता है। यह न केवल भारतीय औषधों की उत्कृष्ट गुणवत्ता के बारे में बताता है बल्कि मूल्यों की उचितता के बारे में दर्शाता है। कुछ प्रमुख भारतीय औषध कंपनियां अपने कारोबार का लगभग 50% हिस्सा अंतरराष्ट्रीय कारोबार से प्राप्त करते हैं।

1. स्रोत (फार्माट्रैक / एनपीपीए / डीजीसीआईएस)
2. स्रोत (डीजीसीआईएस)

2-2 jk"Vh; vk"k/kh; uhfr

औषध विभाग ने इस उद्योग की संवृद्धि में सहायता करने के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए, और इस प्रकार सभी के लिए रोजगार और साझे आर्थिक कुशलता के लक्ष्यों को पूरा करते हुए भी वहनीय मूल्यों पर अपेक्षित दवाईयों – ''आवश्यक दवाईयां'' – की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औषधियों के मूल्य निर्धारण के लिए विनियामकीय ढ़ॉचा स्थापित करने के उद्देश्य से दिनांक 07.12.2012 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति – 2012 (एनपीपीपी – 2012) अधिसूचित किया था। सरकार अब निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नई राष्ट्रीय औषधीय नीति शुरू करने का प्रयास कर रही है:

– आम लोगों को वहनीय मूल्यों पर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाना।

– औषधीय क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन स्थिर नीति वातावरण प्रदान करना।

– पूर्णतया देशीय औषधि विनिर्माण में भारत को पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

– घरेलू उपभोग और निर्यात के लिए औषधियों की विश्व स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

– नवोन्मेषी औषधियों के उत्पादन हेतु अनुसंधान और विकास करने के लिए एक वातावरण तैयार करना।

– भारतीय औषध उद्योग की वृद्धि और विकास सुनिश्चित करना।

2-3 vk"k/k {k= e fon'kh çR;{k fuo'k

औषध क्षेत्र में ग्रीनफील्ड निवेश के लिए ओटोमैटिक मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई स्वीकार्य है और ब्राउनफील्ड क्षेत्र के लिए 74 प्रतिशत तक की अनुमति है। 74 प्रतिशत से परे, औषध क्षेत्र में ब्राउनफील्ड निवेश के लिए एफडीआई केवल सरकारी अनुमोदित मार्ग के माध्यम से अनुमत है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 24.05.2017 को आयोजित अपनी बैठक में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को हटाए जाने को अनुमोदित किया है। प्रशासनिक मंत्रालयधविभाग सरकारी अनुमोदन मांगने वाले एफडीआई के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। औषध क्षेत्र संबंधी प्रस्तावों का रखरखाव इस विभाग द्वारा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के आधार पर और संबद्ध सरकारी एजेन्सियों के परामर्श से किया जाता है।

2-4 vk"k/k m|kx d l o/ku gr , dN= ;kstuk

यह विभाग एक एकछत्र योजना अर्थात् 'औषध उद्योग विकास योजना' तैयार कर रहा है। इस एकछत्र योजना में निम्नलिखित उप–योजनाएं होंगी:

(क) साझे सुविधा केन्द्रों के लिए बल्क औषधि उद्योग को सहायता।

(ख) साझे सुविधा केन्द्रों के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता।

(ग) औषध क्षेत्र संबंधी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी–पीएस)।

(घ) औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)।

(ङ) औषध संवर्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)।

व्यय विभाग का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। एक बार आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होनेधनिधियां निर्धारित होने के पश्चात् यह योजना क्रियान्वित हो जाएगी जो उद्योग को उत्पादन लागत कम करने में सहयोग प्रदान करेगी जिससे वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

2-5 vk"k/k foi.ku dk;ldyki lc/kh ,d:i lfgrk ¼;lhih,eih½

औषध एवं साथ ही चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए औषध विपणन कार्यकलाप संबंधी एकरूप संहिता (यूसीपीएमपी) दिनांक 1.1.2015 से क्रियान्वित की जा रही है। यूसीपीएमपी के कार्यान्वयन की समीक्षा एनजीओधसिविल सोसाइटियों सहित सभी पणधारकों के परामर्श से की गई है और यह महसूस किया गया कि इसे और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से यह वांछनीय होगा कि इसे अनिवार्य बना दिए जाए।

उपर्युक्त इच्छा के साथ, विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक मसौदा आदेश तैयार किया है और विधायी धविधि कार्य विभाग के परामर्श से इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

2-6 fu;kr

पिछले तीन वर्षों में दवा और औषधीय उत्पादों का निर्यात इस प्रकार रहाः

o"k	nok vkj vk"k/kh; mRiknk dk fu;kr ¼#i, djkM+ e½
2013-14	90,356.00
2014-15	94,350.00
2015-16	1,10,522.77
2016-17	1,12,915.48

2-7 vrjk"Vh; lg;kx @ vk"kf/k;k dk fu;kr lo/ku

l;ä dk;l leg ¼tMCY;th½ @ mPp çk|kfxdh lg;kx leg ¼,pVhlhth½

औषध विभाग के निम्नलिखित संयुक्त कार्य समूह / उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह हैं : –

1. फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरणों संबंधी यूरोपीय संघ–भारत संयुक्त कार्य समूह

2. औषध एवं भेषज संबंधी भारत–ट्यूनीशिया संयुक्त कार्य समूह

3. फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थकेयर संबंधी भारत – यूक्रेन संयुक्त कार्य समूह

4. भारत–अमेरिका उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह (एचटीसीजी)

5. फार्मास्यूटिकल्स संबंधी भारत–बेलारूस संयुक्त कार्य समूह

6. ''फार्माजोन'' और फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए भारत–फिलीपींस तकनीकी कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी)

7. फार्मास्यूटिकल्स संबंधी भारत–अल्जीरिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)

8. औषध और स्वास्थ्य संबंधी भारत–मिस्र संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी)

9. इंडिया फार्मा उद्योगों के विषय के पूनर्मूल्यांकन के लिए औषध संबंधी भारत–रूस संयुक्त कार्य समूह।

vrjk"Vªh; Hkkxhnkjh

1. श्री सुधांश पंत, संयुक्त सचिव, औषध विभाग की सह–अध्यक्षता में औषध, जैवप्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरण संबंधी भारत–यूरोपीय संघ संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक दिनांक 13–14 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

2. उज्बेक के औषध मंत्री श्री दुस्मुरातोव मिरजानोजिम मिरजाबेकोविच ने दिनांक 21.23 अगस्त, 2017 को भारत का दौरा किया और औषध क्षेत्र में आपसी सहभागिता पर चर्चा करने के लिए दिनांक 22.08.2017 को माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) श्री अनंत कुमार के साथ बैठक की।

3. ईराक की स्वास्थ्य मंत्री सुश्री अदीला सलीम की अध्यक्षता वाले एक ईराकी प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। फार्मेक्सिल द्वारा दिनांक 12.10.2017 को भारतीय औषध उद्योग पर एक प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित किया गया।

4. भारत–यूरोपीय संघ संयुक्त कार्यसमूह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक दिनांक 19.01.2018 को आयोजित हुई।

2-8 bfM;k Qkek 2018 vkj bfM;k efMdy fMokbl 2018

इंडिया फार्मा 2018 एवं इंडिया मेडिकल डिवाइस 2018, बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन केन्द्र, बेंगलुरु, कर्नाटक में 15 से 17 फरवरी 2018 को फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं। दोनों आयोजन में कई समकालिक समारोहों जैसे सीईओ का फोरम, क्रेता – विक्रेता सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय औषध विनियामक सम्मेलन इत्यादि के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सहसम्बद्ध कार्यकलापों को आयोजित करने का प्राथमिक उद्देश्य भारत को औषध एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में सुरक्षित बनाए रखना है और इन उद्योगों के नए क्षेत्रों जैसे अनुसंधान एवं विकास में विदेशी निवेश लाना है, भारतीय विनिर्माताओं के साथ संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देकर नैदानिक परीक्षण करना और विश्व भर में

इन क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्यकलाप करना है। इन समारोहों द्वारा वैश्विक निवेश समुदाय को भारत के औषध एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के पणधारकों, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, अग्रणी व्यापारियों और उद्योग के शीर्ष कार्यकारियों, विश्व के एकेडमिक्स और विशेषज्ञों के साथ संपर्क करने का एक मंच प्रदान किया जाएगा। इन समारोहों में औषध एवं चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक एवं डिवाइस के औषध सम्मिश्रण, बल्क औषध, मशीनरी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से प्रतिभागिता होगी और भारतीय राज्य तीन दिनों की प्रदर्शनी के दौरान निवेश अवसर और नीतियों को प्रदर्शित करेंगे और राज्य निवेश गोलमेज/वैश्विक निवेश बैठक/अन्तर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक बैठक आयोजित होगी। वैश्विक निवेश बैठक/सीईओ गोलमेज भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग में हो रही संवृद्धियों से अवगत होने के लिए विदेशी निवेशकों को पर्याप्त अवसर प्रदान होगा और भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए विदेशी कम्पनियों को एक मंच प्राप्त होगा। इन कार्यकलापों से इन क्षेत्रों के लिए वांछित वृद्धि प्राप्त करने में भी सहयोग मिलेगा जो कि इस समय की जरूरत है।

Hkkjrh; Qkek iqjLdkj

श्री अनंत कुमार, माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 15 फरवरी, 2018 को बेंगलोर में 3रा इंडिया फार्मा पुरस्कार कई औषध और मेडिकल डिवाइस कम्पनियों को प्रदान किए जाएंगे।

2-9 vk"k/k lao/kZu fodkl ;kstuk ¼ihihMh,l½

औषध संवर्धन विकास स्कीम (पीपीडीएस) का उद्देश्य वृद्धि, निर्यात एवं साथ ही औषध क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को सुकर बनाने हेतु निर्यात को बढ़ावा देने और साथ ही साथ निवेश, अध्ययनध्परामर्शी सेवाओं के लिए संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, भारत में प्रतिनिधि मंडलों का आना एवं उनका जाना आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के द्वारा औषध क्षेत्र में संवर्धन, विकास और निर्यात संवर्धन करना है। पीपीडीएस के अन्तर्गत औषध विभाग अपनी क्षमता पर अथवा जीएफआर 2005 के नियम 206 में यथा उल्लिखित संस्थाओं, संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों या गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

i) औषध उद्योग के विकास से संबंधित मुद्दोंधविषयों पर प्रशिक्षणोंध्ज्ञान विकास कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन करना। विषयों की एक सांकेतिक सूची इस प्रकार हैरू–

   क) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली / गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

   ख) यूएसएफडीए नोटिस पर किस प्रकार कार्रवाई करें?

   ग) सफलता की कहानी का प्रस्तुतिकरण – औषध उद्यमी

   घ) संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आदि के नैदानिक परीक्षणों संबंधी सरकारी विनियमों/दिशा निर्देशों की तुलना में भारत के सरकारी विनियम/दिशा निर्देश।

   ङ) अपशिष्ट प्रबंधन

ii) भारत में एवं विदेश में शिखर सम्मेलनों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, फार्मेसी सप्ताह, बैठकों आदि का आयोजन करना और प्रचार सामग्री अर्थात् फिल्म, प्रस्तुतिकरण आदि का उत्पादन करना।

iii) अनुसंधान अध्ययन, क्षेत्र रिपोर्ट आदि तैयार करना।

iv) सूचना डाटा बैंक और ई–लर्निंग मॉड्यूल आदि का विकास करने के लिए किताबों, गुणवत्ता मानकों, फार्माकोपिया, पत्रिकाओं, निर्देशिकाओं, सॉफ्टवेयर की खरीद करना।

v) औषध उद्योग में उपलब्धि हासिल करने वालों को पुरस्कार प्रदान करना।

vi) उपरोक्त श्रेणियों के तहत कवर नहीं किया गया कोई भी अन्य कार्यकलाप जिस पर औषध विभाग द्वारा समय–समय पर निर्णय लिया जाता है।

औषध विभाग ने वर्ष 2017–18 के वित्त वर्ष के दौरान औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस) की ओर से औषध क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए निम्नलिखित कार्यकलापोंध्कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कीः–

1. 13 से 14 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में "फार्मास्यूटिकल, जैव प्रौद्योगिकी और मेडिकल डिवाइस पर भारत ईयू संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठकष् आयोजित करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता ।

2. बंगलौर में "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता ।

3. दिनांक 24.11.2017 को बड़ौदा में ष्औषध उद्योग का अनुसूची–एम से डब्लूएचओ जीएमपी अनुपालन के लिए स्थानांतरण" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) को वित्तीय सहायता।

4. नई दिल्ली में "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर संगोष्ठि आयोजित करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता ।

5. मुंबई में "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता ।

6. कोलकाता में "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर संगोष्ठि आयोजित करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता ।

7. दिनांक 13.10.2017 को बेंगलुरु में "जेनेरिक दवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए एसोचौम को वित्तीय सहायता ।

8. चेन्नई में "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता ।

9. दिनांक 27.9.2017 को जबलपुर में "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का संवर्धन" पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को वित्तीय सहायता।

10. दिनांक 9.3.2018 को भोपाल में "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय वाणि ाज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता।

11. पुणे में "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता ।

12. हैदराबाद में "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता ।

13. अहमदाबाद में "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता ।

14. दिनांक 8.12.2017 को हैदराबाद में "औषध उद्योग का अनुसूची–एम से डब्लूएचओ जीएमपी अनुपालन के लिए स्थानांतरण" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) को वित्तीय सहायता।

15. दिनांक 30.01.2018 को विजाग में "औषध उद्योग का अनुसूची–एम से डब्लूएचओ जीएमपी अनुपालन के लिए स्थानांतरण" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) को वित्तीय सहायता।

16. दिनांक 31.10.2017 को नागपुर में "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का संवर्धन" पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को वित्तीय सहायता।

17. दिनांक 24.10.2017 को भोपाल में "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का संवर्धन" पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को वित्तीय सहायता।

18. दिनांक 02.03.2018 को पॉन्डिचेरी में "औषध उद्योग का अनुसूची–एम से डब्लूएचओ जीएमपी अनुपालन के लिए स्थानांतरण" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) को वित्तीय सहायता।

19. दिनांक 22.11.2017 को इलाहाबाद में "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का संवर्धन" पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को वित्तीय सहायता।

20. दिनांक 28.11.2017 को पटना (बिहार) में "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का संवर्धन" पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को वित्तीय सहायता।

21. दिनांक 01.12.2017 को उदयपुर में "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का संवर्धन" पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को वित्तीय सहायता।

22. दिनांक 30.8.2017 को नई दिल्ली में "मसौदा औषध नीति" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इन्स्टीट्यूट (सीएसआईओ) को वित्तीय सहायता।

23. दिनांक 08.01.2018 को इंदौर (म.प्र.) में "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का संवर्धन" पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को वित्तीय सहायता।

24. दिनांक 22.01.2018 को वाराणसी (उ.प्र.) में "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का संवध्र्न" पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को वित्तीय सहायता।

25. बैंगलुरू में इंडिया फार्मा 2018 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2018 के दौरान 15 फरवरी 2018 को माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) द्वारा डिनर की मेजबानी करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता ।

26. दिनांक 24.9.2017 को नई दिल्ली में "मसौदा मेडिकल डिवाइस नीति" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता।

27. 15–17 फरवरी 2018 को बेंगलुरु में आयोजित होने वाले ष्इंडिया फार्मा 2018 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2018ष के संबंध में प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी करने के लिए डीएवीपी को वित्तीय सहायता।

28. दिनांक 16.1.2018 को बद्दी (हिमाचल प्रदेश) में "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) को वित्तीय सहायता ।

29. दिनांक 8.12.2017 को बद्दी (हिमाचल प्रदेश) में "औषध उद्योग का अनुसूची–एम से डब्लूएचओ जीएमपी अनुपालन के लिए स्थानांतरण" पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) को वित्तीय सहायता।

वर्ष 2017–18 के दौरान औषध विभाग में आयोजितध्आयोजित होने वाले कार्यक्रमरू

i) दिनांक 27.9.2017 को जबलपुर में पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)" पर कार्यशाला।

ii) दिनांक 13.10.2017 को बेंगलुरु में एसोचौम के सहयोग से "जेनेरिक औषधियों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने" पर सम्मेलन।

iii) दिनांक 24.10.2017 को भोपाल में पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)" पर कार्यशाला।

iv) दिनांक 31.10.2017 को नागपुर में पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)" पर कार्यशाला।

v) दिनांक 24.11.2011 को बड़ौदा में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) के सहयोग से "औषध उद्योग

का अनुसूची–एम से डब्लूएचओ जीएमपी अनुपालन के लिए स्थानांतरण" पर सम्मेलन।

vi) दिनांक 30.11.2017 को हैदराबाद में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) के सहयोग से "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन।

vii) दिनांक 01.12.2017 को उदयपुर (राजस्थान) में पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)" पर कार्यशाला।

viii) दिनांक 8.12.2017 को बद्दी (हिमाचल प्रदेश) में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) के सहयोग से "औषध उद्योग का अनुसूची–एम से डब्लूएचओ जीएमपी अनुपालन के लिए स्थानांतरण" पर सम्मेलन।

ix) दिनांक 8.12.2017 को हैदराबाद में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) के सहयोग से "औषध उद्योग का अनुसूची–एम से डब्लूएचओ जीएमपी अनुपालन के लिए स्थानांतरण" पर सम्मेलन।

x) दिनांक 15.12.2017 को बैंगलोर में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) के सहयोग से "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन।

xi) दिनांक 08.01.2018 को इंदौर में पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)" पर कार्यशाला।

xii) दिनांक 16.01.2018 को बद्दी (हिमाचल प्रदेश) में पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)" पर सम्मेलन।

xiii) दिनांक 19.01.2018 को अहमदाबाद में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) के सहयोग से "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन।

xiv) दिनांक 22.01.2018 को वाराणासी (उत्तर प्रदेश) में पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ "प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)" पर कार्यशाला।

xv) दिनांक 19.01.2018 को पुणे में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) के सहयोग से "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन।

xvi) दिनांक 30.01.2018 को विजाग में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) के सहयोग से "औषध उद्योग का अनुसूची–एम से डब्लूएचओ जीएमपी अनुपालन के लिए स्थानांतरण" पर सम्मेलन।

xvii) 15–17 फरवरी, 2018 को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) के सहयोग से इंडिया फार्मा 2018 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2018।

xviii) दिनांक 15.02.2018 को बेंगलुरु में 3रे इंडिया फार्मा और मेडिकल डिवाइस पुरस्कार।

xix) दिनांक 9.3.2018 को भोपाल में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) के सहयोग से "जेनेरिक दवाओं का संवर्धन" पर सम्मेलन।

अध्याय 3

चिकित्सा उपकरण उद्योग का एक सिंहावलोकन

3.1. चिकित्सा उपकरण क्षेत्र

3.2. विकास के अवसर

3.3. आयात और निर्यात रुझान

3.4. भारत के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का निवेश परिदृश्य

3.5. भारत के मौजूदा और प्रस्तावित चिकित्सा उपकरण क्लस्टर

3.6. चिकित्सा उपकरण नियम, 2017

3.7. चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवर्धन की पहल

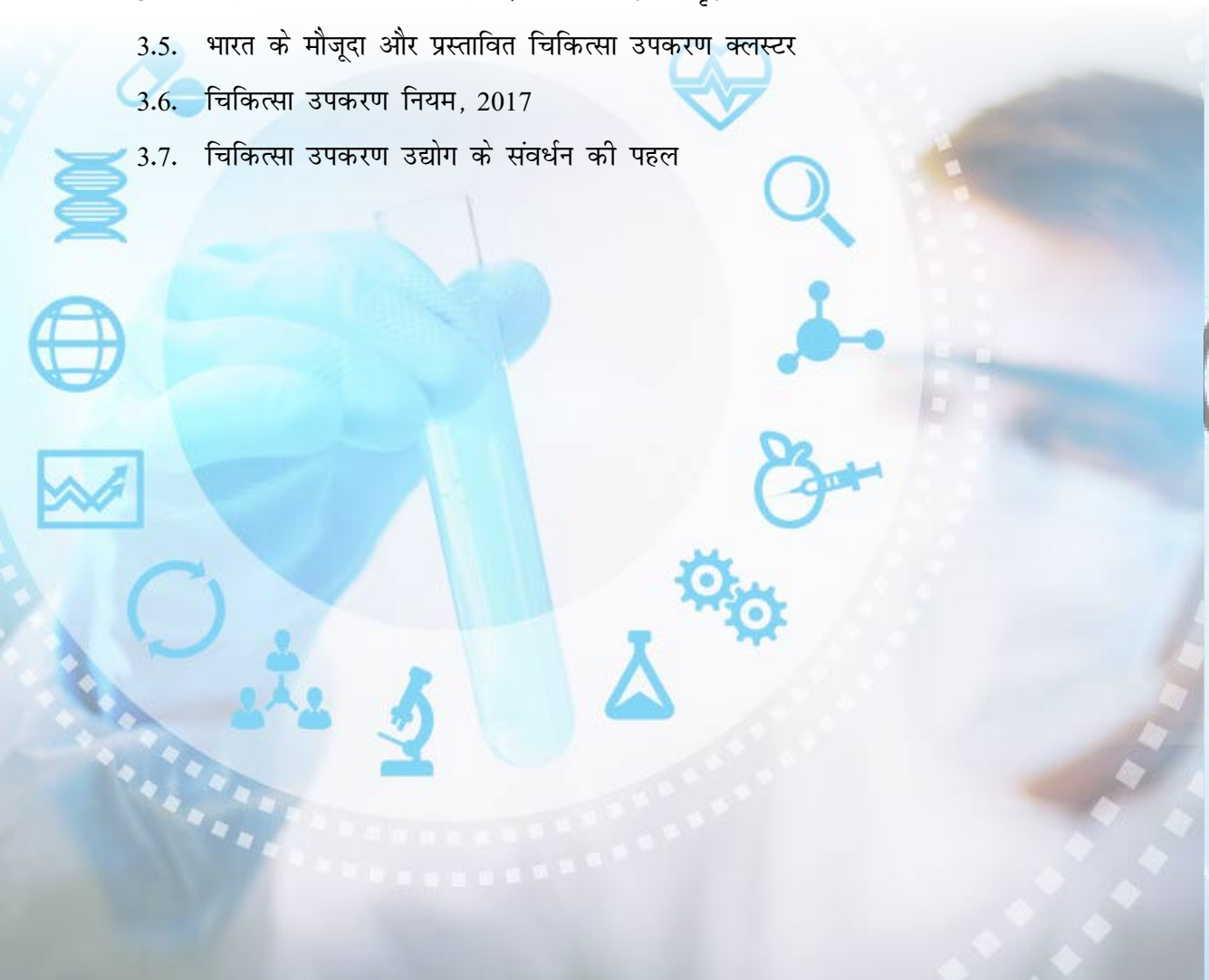

अध्याय 3
चिकित्सा उपकरण उद्योग का एक सिंहावलोकन

चिकित्सा उपकरण और औषध से बिल्कुल भिन्न हैं। चिकित्सा उपकरण उद्योग काफी अधिक पूंजी सघन है जिसकी विकास अवधि काफी लंबी है और इसके लिए नयी प्रौद्योगिकियों के विकास ६ समावेशन की आवश्यकता होती है। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को नई प्रौद्योगिकियों को अंगीकृत करने के लिए स्वास्थ्य प्रदाताओं को सतत प्रशिक्षण जारी रखने की आवश्यकता होती है। चूंकि अधिकांश उच्च तकनीक वाले नव उत्पाद और प्रौद्योगिकी एक सुविकसित पारिस्थितिकी तंत्र और नवाचार चक्र से उत्पन्न होती है, जिसे भारत में विकसित करने की जरूरत है, भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग लगभग 65% तक आयात पर निर्भर करता है। औषध विभाग के पास भारत में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण को प्रोत्साहित करने का अधिदेश प्राप्त है।

सितंबर 2014 में, भारत सरकार ने ष्मेक इन इंडियाष अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना हैय और इस प्रकार, देश में विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी लाना है। तदनुसार, देश में उच्च मूल्य चिकित्सा उपकरण के घरेलू उत्पादन के संवर्द्धन से संबंधित मुद्दों का हल निकालने के लिए सचिव औषध विभाग की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया। इस कार्य बल ने 8 अप्रैल 2015 को जारी अपनी रिपोर्ट में देश में चिकित्सा उपकरण के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की हैं।

3-1 fpfdRlk midj.k {k= : चिकित्सा उपकरण बाजार में विस्तृत प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, जिनमें निम्न मूल्य सिरिंज और सूई से लेकर उच्च मूल्य उपकरण जैसे सीटी स्कैन और कैथ लैब इत्यादि शामिल हैं। चिकित्सा उपकरण उद्योग को समग्र रूप से तीन घटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है – (क) चिकित्सा निवर्त्य और उपभोज्यय (ख) चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, अस्पताल उपकरण, शल्य औजारय (ग) आरोपण (इंप्लांट्स); और (घ) नैदानिक अभिकर्मक द्रव्य। विभिन्न उपकरणों में संवृद्धि निम्नवत परिकल्पित है :

- नैदानिक इमेजिंग वर्ष 2015 में भारतीय चिकित्सा उपकरण बाजार के भीतर सबसे बड़ा खंड है। वर्ष 2015 में यह घटक 1.18 बिलियन अमेरिकी (7,650 करोड़ रुपए) का था और वर्ष 2020 में यह बढ़कर 2.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर (15,561 करोड़ रुपए) हो जाएगा।

- अन्य और इन विट्रो नैदानिकों (आईवीडीएस) में ज्यादातर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण शामिल हैं। अन्य वर्ग (मरीज मॉनिटर, ईसीजी मशीन, डिफिब इत्यादि) वर्ष 2015 में 0.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5,922 करोड़ रुपए) का था जिसके वर्ष 2020 तक बढ़कर 1.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर (12,880 करोड़ रुपए) हो जाने की संभावना है। इसी प्रकार, नैदानिकी आईवीडीएस का बाजार वर्ष 2015 में 0.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5,922 करोड़ रुपए) का था जिसके वर्ष 2020 में बढ़कर 0.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5356 करोड़ रुपए) हो जाएगा।

- इसी तरह, ओर्थोपेडिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स और उपभोज्य 2020 में संचयी रूप से वर्ष 2015 के 0.90 बिलियन अमेरिकी डालर (5,850 करोड़ रुपये) से बढ़कर वर्ष 2020 में 1.88 बिलियन डॉलर (12,220 करोड़) हो जाएगा ।

- दंत उत्पादों और रोगी सहायक सामग्री वर्ष 2015 में 0.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2,961 करोड़) से बढ़कर वर्ष 2020 में संचयी रूप से 1.1 बिलियन अमेरिकी डालर (6,930 करोड़) हो जाएगी।

3-2 fodkl dh volj & भारतीय चिकित्सा उपकरण बाजार भारतीय स्वास्थ्य सेवा बाजार में 4: का योगदान देता है जो कि 96.7 बिलियन अमेरिकी डालर (6.29 लाख करोड़) पर पहुँच गया है। भारत एशिया के शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक है और एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है। इसके अलावा, आने वाले वर्षों में बाजार में पर्याप्त वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है। भारत में चिकित्सा उपकरणों की मांग में वृद्धि करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार हैं:

(i) बढ़ती जनसंख्या – भारत की आबादी वर्ष 2011 में 1,210 मिलियन थी, और वर्ष 2021 में इसके बढ़कर 1360 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों की मांग के संचालन में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है।

(ii) वृद्ध आबादी – वृद्ध आबादी (65 वर्ष) का हिस्सा वर्ष 2011 में 5.3% था और वर्ष 2021 तक इसका अनुपात बढ़कर 6: होने की उम्मीद है। बढ़ती हुई यह वृद्ध आबादी बेहतर स्वास्थ्य सेवा की तलाश में है, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा उपकरणों की मांग होती है।

(iii) पुरानी बीमारियों का बढ़ता रोग भार – कार्डियो वैस्कुलर रोग, कैंसर, मधुमेह, और अन्य जैसे गैर–संचारी रोग, वर्ष 2025 तक भारत के रोग भार का 75% से अधिक होने की संभावना है जो वर्ष 2010 में 45 प्रतिशत है। पुरानी बीमारी खंड बुनियादी और उन्नत चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के साथ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मांग को संचालित करेगा।

(iv) स्वास्थ्य बीमा व्याप्ति को बढ़ाना – पिछले एक दशक से भारत में स्वास्थ्य बीमा व्याप्ति में बढ़ोतरी दिखनी शुरू हो गयी है। स्वास्थ्य बीमा बाजार वित्त वर्ष 2015 में 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकलित किया गया था और वित्त वर्ष 08 से वित्त वर्ष 15 तक इसमें अभूतपूर्व वृद्धि देखी गयी जो सीएजीआर का 22 प्रतिशत रहा और वित्त

वर्ष 2020 तक इसके 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाने की अपेक्षा है और वित्त वर्ष 2025 तक 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाना अपेक्षित है।

(v) बढ़ता चिकित्सा पर्यटन – भारत दुनिया भर से चिकित्सा पर्यटकों को तेजी से आकर्षित कर रहा है, जिसमें सार्क देशों का योगदान अधिकतम है। भारत का मेडिकल वैल्यू ट्रैवल मार्केट डॉलर F30 प्रतिशत की दर से वर्ष 2014 के 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2019 में 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

(vi) हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग

(क) वर्तमान में, स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की भारी कमी है। भारत में प्रति 1,000 व्यक्ति अनुमानित 1.1 बिस्तर हैं, जो डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित 3.8 बिस्तर प्रति 1000 व्यक्ति से काफी कम है। अनुशंसित स्तर तक पहुँचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में 3.6 मिलियन अतिरिक्त बिस्तरों की आवश्यकता है।

(ख) जुलाई 2015 में, भारत सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की एक योजना की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, जम्मू–कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में पांच नए एम्स स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और बिहार में एक एम्स जैसे संस्थान स्थापित किया जाना है। इन उपायों से चिकित्सा उपकरणों की मांग में काफी वृद्धि होगी, क्योंकि ऐसे संस्थानों की कुल परियोजना लागत में लगभग 30% चिकित्सा उपकरणों के लिए है।

(ग) पिछले दो दशकों में, भारत के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता खंड में निजी उद्यमियों की संख्या बढ़ गई है, जो अस्पतालों, निदान केन्द्रों और विशेष देखभाल सुविधाओं की श्रृंखला स्थापित कर रहे हैं। टियर II और टियर III शहरों में निजी स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं के इस तरह की व्याप्ति चिकित्सा उपकरणों के लिए भारी मांग सृजित करती है।

(घ) इसी तरह, एकल विशेषज्ञता सुविधाएं, होम केयर, दंत श्रृंखला, निदान श्रृंखला, डायलिसिस सेंटर, डे केयर सर्जिकल सेंटर और अन्य जैसे नए स्वास्थ्य सेवा प्रारूप उभर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में नए प्रारूपों के उद्भव से भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा मिला है।

(vii) अस्पतालों की गुणवत्ता और प्रत्यायन – लगभग 400 अस्पतालों ने पिछले एक दशक में एनएबीएच प्रत्यायन प्राप्त किया है। इसके अलावा, भारत में 20 से अधिक जेसीआई प्रत्यायित स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली को अपनाने से चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव पर फोकस बढ़ा है और प्रौद्योगिकी के निरंतर उन्नयन की आवश्यकता है।

3-3- vk;kr vkj fu;kr #>ku – भारत अपनी चिकित्सा उपकरणों की कुल जरूरतों के 75% से अधिक के लिए आयात पर निर्भर है । वित्त वर्ष 2012 में चिकित्सा उपकरणों का आयात 2.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर (15,990 करोड़ रुपये) था जो वित्त वर्ष 2016 में बढ़कर 2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर (F18655 करोड़) हो गया है। वित्त वर्ष 2012 में चिकित्सा उपकरणों का निर्यात 0.78 बिलियन अमेरिकी डालर (F5,070 करोड़) से बढ़कर वित्त वर्ष 2016 में 0.98 बिलियन अमेरिकी डालर (F6,370 करोड़) हो गया है। वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2016 के बीच, चिकित्सा उपकरणों का आयात व्यापार 16.8 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि निर्यात व्यापार में 25.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

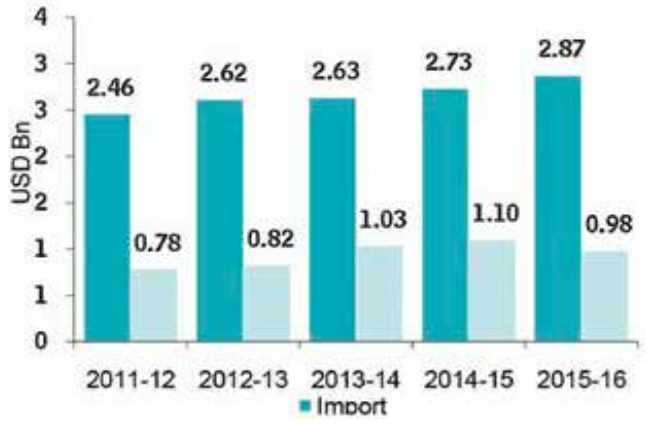

चित्रः चिकित्सा उपकरण में आयात एवं निर्यात रुझान

3-4- Hkkjr d fpfdRlk midj.k {k= dk fuo'k ifj–'; & चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में काफी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), वेंचर कैपिटलिस्ट (वीसी) और एन्जिल फंडिंग गतिविधि देखी जा रही है।

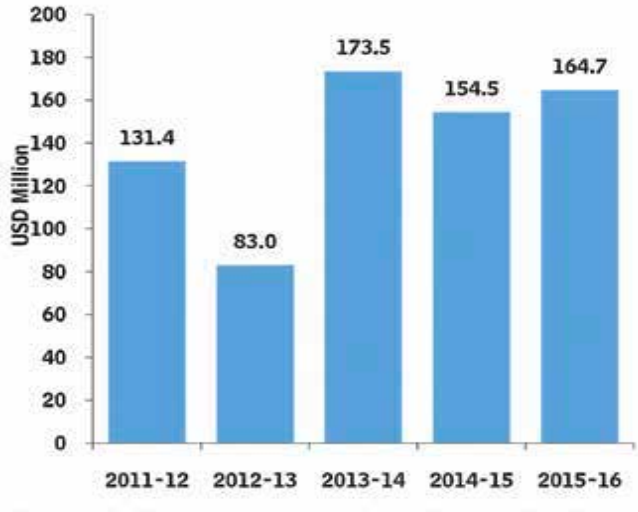

चित्र : चिकित्सा उपकरणों में एफडीआई

चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में एफडीआई में 25.4 फीसदी की वृद्धि हुई है और यह वित्त वर्ष 12 के 131.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2016 में 164.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। जनवरी 2015 में, भारत सरकार ने एफडीआई नियमों को संशोधित करते हुए चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग से 100ः एफडीआई की अनुमति दे दी। चिकित्सा उपकरणों में एफडीआई के प्रमुख स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान देश हैं। उपकरणों और साधनों, उपभोग्य सामग्रियों और आरोपण खंडों ने सबसे अधिक एफडीआई को आकर्षित किया है।

भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को पिछले पांच वर्षों में 27 एमएंडए लेनदेन से 505 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश और लगभग 43 उद्यम पूंजी / निजी इक्विटी निवेश प्राप्त हुआ है। उपकरण और साधन और उपभोज्य क्षेत्रों ने ज्यादातर

एम एंड ए और पीई निवेश आकर्षित किया है।

3.5 भारत के मौजूदा और प्रस्तावित चिकित्सा उपकरण क्लस्टर दृ पिछले कई वर्षों में, पूरे देश में विभिन्न चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स उभर कर आए हैं। प्रमुख राज्य जहाँ भारतीय और बहुराष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण कंपनियां अवस्थित हैं, का विवरण इस प्रकार है :–

d\iuh : बॉस्टन साइंटिफिक कॉर्प., बेक्टन डिकिंसन इंडिया, हिन्दुस्तान सिरिंज, नारंग मेडिकल्स, पॉलि मेडिक्योर, बीएल लाइफ साइंसेज

d\iuh: हिन्दुस्तान सिरिंज्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, मेडिरे हैल्थकेयर, 3एम कं., बॉस्टन साइंटिफिक, दानाहर कं.

d\iuh % 3एम कं., बेयर एजी, मेरिल लाइफ साइंसेज, इनविजन साइंटिफिक, इनवेंट बायो मेड, सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजिज

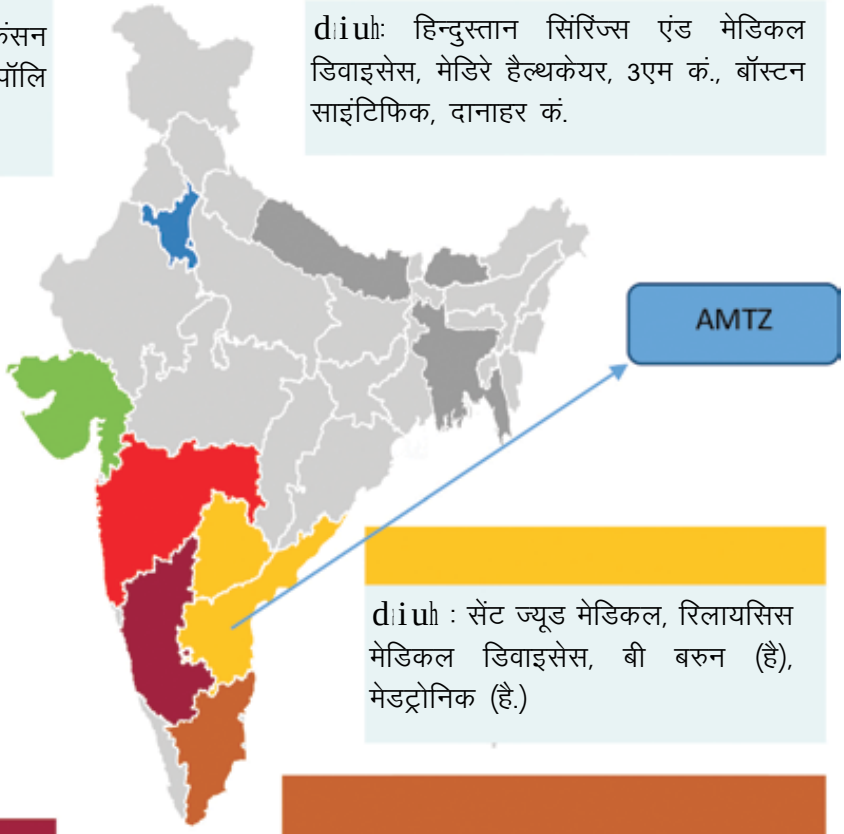

d\iuh % जॉन्सन एंड जॉन्सन, स्मिथ एंड नेफ्यू, फिलिप्स हैल्थकेयर, सिमेंस, निप्रो कॉर्प, डानाहेर कॉर्प, ट्रिविट्रॉन हैल्थकेयर, रेमि लेबोरेट्रिज

d\iuh : सेंट ज्यूड मेडिकल, रिलायसिस मेडिकल डिवाइसेस, बी बरुन (है), मेडट्रोनिक (है.)

d\iuh : जीई हैल्थकेयर, बायोकॉन, मेडिवेड, स्कैनरे टेक्नोलॉजिज, प्रोगनोसिस मेडिकल, ऑप्टो सर्किट्स, बायोरैड मेडिसिस, वास्कुलर कंसेप्ट्स, कंफिडेंशियल डेंटल इक्विपमेंट्स

कंपनी रू रोश, ट्रिविट्रॉन हैल्थकेयर, ऑप्टो सर्किट्स, परफिंट हैल्थकेयर, क्यूरा हैल्थकेयर, अप्पास्वामी एसोसिएट्स, फिनिक्स मेडिकल सिस्टम, शिलर

चित्र : भारत में चिकित्सा उपकरण क्लस्टर

3-6 fpfdRlk midj.k fu;e] 2017

सुरक्षा और मानकों के दृष्टिकोण से चिकित्सा उपकरण उद्योग के विनियमन का अधिदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास है जिसने दिनांक 31.01.2017 को चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया है। नए

नियमों को वैश्विक हारमोनाइजेशन टास्क फोर्स (जीएचटीएफ) ढांचे के अनुरूप तैयार किया गया है और ये नियम सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप हैं। नए नियम मेक इन इंडिया की विनियामक बाधाओं को हटाने, मरीज देखभाल और सुरक्षा के लिए बेहतर चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए व्यापार करने की सुगमता सुनिश्चित करने का प्रयास है। ये नियम दिनांक 01.01.2018 से लागू हो गए हैं।

3-7 fpfdRlk midj.k m|kx dk lo/kZu dh igy%

औषध विभाग (डीओपी) रसायन और उर्वरक मंत्रालय का दृष्टिकोण चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में गुणवत्ता, उत्पादकता और नवीनता को उत्प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना है और भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को चिकित्सा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने में सक्षम बनाना है। इसके लिए, नवोन्मेषी क्षमताओं वाली उच्च स्तरीय उत्पादकता के साथ विश्व स्तर की गुणवत्ता निर्माण सुविधाएं आवश्यक हैं। हालांकि, ये बहुत ही पूंजी प्रधान व्यवसाय है और वित्तीय बाधाओं के चलते चिकित्सा उपकरण विनिर्माण इकाईयों द्वारा स्वयं ही स्थापित और खोले नहीं जा सकते हैं। डीओपी ने इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया है :

3-7-1 fpfdRlk midj.k ikdks esa lk>h lqfo/kk dsaUnzks ¼lh,Qlh½ ds foÙkiks"k.k dh ;kstuk%

- 'औषध विनिर्माण उद्योग के विकास' की छत्रक योजना के तहत चिकित्सा उपकरण पार्कों में एक उप–योजना, नामतः 'साझी सुविधा केंद्रों के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग की सहायता' का प्रस्ताव है । इस उप–योजना के तहत 150 करोड़ रुपए की कुल लागत पर देश में चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझी सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

- निम्न उत्पाद खंडों में से प्रत्येक के लिए कम से कम एक सीएफसी को सहायता प्रदान की जाएगीरू

  i. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक

  ii. जैव सामग्री और प्रत्यारोपण

  iii. उपभोग्य और डिस्पोजेबल्स

  iv. अभिकर्मकों और इन विट्रो निदान

  v. रेडियोलॉजी (आयोनाइजिंग और गैर–आयोनाईजिंग)

  vi. फाइबर ऑप्टिक्स / ऑप्टिक आधारित उत्पाद

- फोकस निर्यात बाजार पर एक नजर रखते हुए उच्च मूल्य चिकित्सा उपकरण विनिर्माण और आयात प्रतिस्थापन के लिए एक पारिस्थितिकी प्रणाली सृजित करने पर होगा और राज्यों ने अपनी क्षेत्रीय क्षमताओं, प्राकृतिक संसाधनों और विशेषज्ञता की उपलब्धता के अनुरूप चिकित्सा उपकरण खंड के अंदर पृथक ऊर्ध्वों का चयन किया है।

- कुछ राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जा रहे चिकित्सा उपकरण पार्कों में चिकित्सा उपकरण उद्योग संरचना के संवर्धन के लिए सीएफसी का प्रस्ताव किया गया है। योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण पार्कों में केवल सीएफसी का वित्तपोषण करने का प्रस्ताव है और इसके अंतर्गत 25 करोड़ रुपया या सीएफसी की लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की एकबारगी अनुदान सहायता की परिकल्पना है। यह अनुदान सहायता केवल सीएफसी के लिए उपकरणों और मशीनरी की खरीद के लिए स्वीकार्य होगी।

- व्यय विभाग की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और संबंधित पणधारकों को एक व्यय वित्त समिति का नोट भेजा गया है।

3-7- 2- vf/kekU; ckt+kj miyC/krk%

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने सरकारी खरीद में खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री से जुड़ा हुआ) प्रदान करने के लिए सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 153 (iii) के अनुसरण में सार्वजनिक प्रापण (भारत में निर्माण को वरीयता) आदेश (पीपीओ), 2017 जारी किया है।

- नई नीति घरेलू विनिर्माण और सेवा प्रावधान को पर्याप्त बढ़ावा देगी जिससे रोजगार पैदा हो सकेगा। यह घरेलू विनिर्माण और सेवाओं में पूंजी और प्रौद्योगिकी के प्रवाह को भी प्रोत्साहित करेगा। यह 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण के अनुसार, इन वस्तुओं के पुर्जों, घटकों, उप घटकों आदि के निर्माण को और बढ़ावा देगा।

- इस दिशा में, डीओपी ने चिकित्सा उपकरणों से संबंधित आदेश के क्रियान्वयन के लिए दिशा–निर्देश तैयार कर लिए हैं और इसे टिप्पणी हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय को भेज दिया है, जो चिकित्सा उपकरणों सहित स्वास्थ्य उत्पादों के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के क्रेता हैं।

- तथापि चिकित्सा उपकरणों के लिए पीपीओ 2017 क्रियान्वित करने के लिए स्वास्थ्यएं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

3-7-3- jk"Vªh; fpfdRlk midj.k uhfr%

- देश में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, चिकित्सा उपकरणों के लिए एक अलग नीति बनाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस दिशा में, एक मसौदा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति तैयार की गई है।

- मसौदा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति की विषय सूची पर पणधारकों के मत और सुझाव प्राप्त करने के लिए दिनांक 24.10.2017 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

- पणधारकों के मूल्यवान सुझावों को शामिल करने के बाद, नीति का अंतिम मसौदा विचाराधीन है।

3-7-4- fpfdRlk midj.kksa ij 0;kikj ekftZu dk ifjes;dj.k%

- सरकार बाजार की विफलता या अत्यधिक मुनाफाखोरी की स्थिति में बाजार में हस्तक्षेप करने का इरादा रखती है।।

- इस दिशा में, सरकार ने वर्ष 2017 में कोरोनरी स्टेंट्स और घुटने के इम्प्लांट की अधिकतम कीमत निर्धारित की है।

- हाल ही में, उद्योग ने ''औषधियों की बिक्री में उच्च व्यापार मार्जिन'' विषय पर डीओपी में गठित समिति की रिपोर्ट के अनुरूप चिकित्सा उपकरणों के लिए व्यापार मार्जिन परिमेयकरण के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है।

- इस मुद्दे पर सभी पणधारकों के साथ दिनांक 16.10.2017 और 25.10.2017 को दो बैठकें आयोजित की गयीं हैं। व्यापार मार्जिन परिमेयकरण के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरणों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया।

- सभी पणधारकों से परामर्श कर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

lkzr% i`"B 2 ls 6 ¼Hkkjr esa fpfdRlk midj.k fofuekZ.k% ,,eVhtsM }kjk ,d lujkbt fjiksVZ½

अध्याय 4

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना

अध्याय - 4
4.1 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

ifjp;%

जन औषधि योजना को वर्ष 2008 में देशभर के विभिन्न जिलों में समर्पित बिक्री स्टोरों अर्थात् जन औषधि स्टोरों के माध्यम से वहनीय जेनेरिक दवाइयों की बिक्री करने के लक्ष्य से शुरू किया गया था। इस योजना के कुछ लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- गुणवत्तायुक्त दवाइयों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाइयों की कवरेज को बढ़ाना ताकि प्रत्येक व्यक्ति के उपचार पर होने वाले व्यय को कम करके पुनर्निर्धारित किया जा सके।
- शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता सृजित करना ताकि गुणवत्ता केवल महंगी दवाइयों का पर्यायवाची बन कर न रह जाए।
- सरकार, पीएसयू, निजी क्षेत्र, एनजीओ, सोसाइटियों, सहकारी निकायों और अन्य संस्थानों को शामिल करते हुए इसे एक सार्वजनिक कार्यक्रम बनाना।
- सभी उपचारात्मक श्रेणियों में यथावश्यकतानुसार कम उपचार लागत और सरल उपलब्धता के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच में सुधार करके जेनेरिक दवाइयों की मांग संवर्धित करना।

पहला जन औषधि स्टोर नवम्बर, 2008 में अमृतसर, पंजाब में खोला गया था।

इस अभियान का मूल लक्ष्य हमारे देश के प्रत्येक जिले में जन औषधि स्टोर स्थापित करना था।

हाल ही में, "प्रधानमंत्री जन औषधि योजना" (पीएमजेएवाई) का नाम बदल कर "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना" (पीएमबीजेपी) और "प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र" (पीएमजेएके) का नाम बदल कर "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र" (पीएमबीजेके) कर दिया गया है।

Hkkjrh; lkoZtfud vk"k/k {k= miØe C;wjks ¼chihihvkb½%

बीपीपीआई, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2008 में गठित एक स्वतंत्र सोसाइटी है। बीपीपीआई का मिशन "सभी के लिए जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाना" है। बीपीपीआई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों की समुचित निगरानी और कार्यकरण के लिए उत्तरदायी है। बीपीपीआई औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

12oh ipo"kh; ;kstuk vof/k ds nkSjku çxfr %

मार्च 2012 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, केवल 112 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र (पीएमबीजेके) खोले जा सके। अभियान की तेजी से विकास के लिए वर्ष 2016–17 के अंत तक 3000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोलने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ अगस्त 2013 के दौरान एक नई कारोबार योजना जारी की गई। इस योजना में स्कीम में कतिपय परिवर्तन शामिल थे। फिर भी पूर्व वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत तक पीएमबीजेपी केन्द्रों की संख्या 269 कार्यात्मक पीएमबीजेपी केन्द्रों के स्तर तक ही पहुंच सकी।

tu vkS"k/kh Ldhe dk o"kZ 2015 esa iqu:)kj%

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के प्रभावी कार्यान्वयन का विश्लेषण विचार मंथन सत्र आयोजित करके और विभिन्न हितधारियों के साथ चर्चा करके किया गया है तथा बीपीपीआई के सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी कार्यनीतिक कार्य योजना (एसएपी 2015) प्रस्तुत की। चिह्नित महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उपलब्धता, स्वीकार्यता, सुलभता वहनीयता, जागरूकता एवं स्कीम का प्रभावी कार्यान्वयन। तदनुसार, एक नई कार्यनीतिक कार्य योजना तैयार की गई तथा इसे सितंबर 2015 के दौरान अनुमोदित किया गया।

ç/kkuea=h Hkkjrh; tu vkS"kf/k ifj;kstuk ¼ih,echtsih½ dk;Z ;kstuk esa çeq[k ifjorZu%

बीपीपीआई ने आवेदन प्रारूप को सरल कर दिया है ताकि एक आम आदमी इसे आसानी से भर सके। उपर्युक्त के अलावा, इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए पहले प्रभारित किए जाने वाले 2000/– रूपए के आवेदन शुल्क को भी माफ कर दिया गया है।

ç/kkuea=h Hkkjrh; tu vkS"kf/k dsUæ ¼ih,echtsds½ ds fy, foÙkh; lgk;rk%

- सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज/किसी सरकारी भवन परिसरों में, पीएमबीजेपी केंद्र खोलने के लिए 2.50 लाख रुपए तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- प्राइवेट उद्यमियों/फार्मासिस्टों/गैर सरकारी संगठनों/चेरिटेबल संगठनों द्वारा चलाई जाने वाले पीएमबीजेपी केन्द्रों, जो इंटरनेट (बीपीपीआई द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करके) के माध्यम से बीपीपीआई मुख्यालय से जुड़े हैं, को 2.5 लाख रु. का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन 2.5 लाख रु. की सीमा तक प्रति माह 10,000 रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन मासिक बिक्री के 15 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा।
- पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात नक्सल प्रभावित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों में प्रोत्साहन की दर 15 प्रतिशत होगी तथा 15000 रु. की मासिक सीमा के अध्यधीन कुल सीमा 2.5 लाख तक होगी।
- कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अग्रिम के रूप में 50,000/– रुपए के मूल्य की दवाइयां 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के भीतर अध्यधीन 15 प्रतिशत मासिक बिक्री के रूप में 10000/– रुपए प्रतिमाह की अधिकतम राशि के कुल 2.5 लाख रुपए की कुल सीमा तक प्रदान की जाएंगी।

[kqnjk foØsrkvksa ,oa forjdksa ds fy, 0;kikj ekftZu% व्यापार मार्जिन को खुदरा विक्रेता के लिए 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत एवं वितरकों के लिए 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है।

o"k 2017&18 d nkjku 31 fnlEcj] 2017 dh fLFkfr d vuqlkj dh xbZ çxfr

miyC/krk%

हमारे उत्पाद बास्केट एवं सेवाओं का विकल्प अब 600 से अधिक दवाओं एवं 154 से अधिक सर्जिकल एवं उपभोज्यों के स्तर के प्राप्त होने से अधिक दवाइयां शामिल करने से बढ़ गया है। सीपीएसयू से दवाओं के प्रापण के अलावा, बीपीपीआई खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों से दवाओं की प्रत्यक्ष खरीद द्वारा आपूर्ति को बढ़ा रहा है ताकि पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा स्टॉक खत्म होने की स्थिति से बचा जा सके। बीपीपीआई ने मार्च 2018 के अंत तक इस आंकड़े को 1000 तक ले जाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई शुरू की है।

vkifrZ J`[kyk%

आपूर्तिकर्ता से → सी डब्ल्यू एच → सी. एवं एफ. एजेंट → वितरक → पीएमबीजेपी केन्द्र

आईडीपीएल कॉम्प्लेक्स, डुंडाहेड़ा, गुड़गांव में स्थित भंडार गृह के अलावा, बीपीपीआई ने दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए हेफेड कॉम्प्लेक्स, अनाज मण्डी के समीप, गुरूग्राम में एक केंद्रीय भंडार गृह स्थापित किया है और साथ ही 8 राज्यों में सी.एवं एफ. एजेंट नियुक्त किए हैं और खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न राज्यों में 53 वितरक निर्धारित किए हैं। हाल ही में, बीपीपीआई ने सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन समाधान प्रणाली प्रदान करने के लिए मैसर्स एथिक्स इन्फिनिटी प्रा.लि. को नियुक्त किया है ताकि केन्द्रीय भंडार गृह से पीएमबीजेपी केन्द्रों तक सीधे आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। बीपीपीआई देश भर में प्रत्येक केन्द्र पर भंडार खत्म होने की स्थिति को दूर करने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रहा है।

स्वीकार्यतारू पीएमबीजेपी केन्द्रों को आपूर्ति करने के लिए, सीपीएसयू एवं निजी विनिर्माताओं से प्रापण की गई दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, औषधों के प्रत्येक बैच की जांच बीपीपीआई के पैनल में शामिल एनएबीएल की प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में की जाती है जिसके द्वारा दवाओं की गुणवत्ता, निरापदता एवं प्रभावकारिता तथा अपेक्षित मानकों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाता है। इन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही, दवाइयां सी. एवं एफ. एजेंटों, वितरकों एवं पीएमबीजेपी केन्द्रों को जारी की जाती हैं।

lqyHkrk%

दिनांक 08.02.2018 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे पीएमबीजेपी केन्द्रों की संख्या 3122 (33 से अधिक राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों में) पहुंच गई है, जिनमें से 1969 पीएमबीजेपी केन्द्र चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान खोले गए हैं।

इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, बीपीपीआई हमारे देश के सभी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

tkx:drk%

पीएबीजेपी के संबंध में सामान्य लोगों के बीच जागरूकता बहुत कम है। मीडिया अभियान जेनरिक दवाओं के प्रयोग के बारे में लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में, बीपीपीआई ने विशेषकर उन राज्यों

में, जहां अब पीएमबीजेपी केन्द्र कार्यशील हैं, में विभिन्न प्रयास शुरू किए हैं ताकि लोग पीएमबीजेपी केन्द्र में वहनीय मूल्य पर जेनरिक दवाओं की उपलब्धता का पूरा लाभ उठा सकें। वर्तमान में 3122 पीएमबीजेपी केन्द्र कार्यशील हैं (08.02.2018 की स्थिति के अनुसार)। इन पीएमबीजेपी केन्द्रों को संगठित तरीके से बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है क्योंकि जागरूकता बहुत कम है। दवाओं की सीमित उपलब्धता एवं अनुपलब्धता एक दूसरी चुनौती थी। इस योजना, व्यापार अवसर, केन्द्रों के अवस्थानों और पीएमबीजेपी केन्द्रों के पास उपलब्ध दवाओं के बारे में सभी पणधारियों के बीच जागरूकता पैदा करना अति आवश्यक है।

बीपीपीआई की इच्छा एकीकृत मीडिया मंच का उपयोग करके शहरों, जहां पीएमबीजेपी केन्द्र पहले से स्थापित हैं, में पीएमबीजेपी केन्द्रों एवं इसके केन्द्रों के बारे में जागरूकता पैदा करने की है। सभी पुराने एवं नए पीएमबीजेपी केन्द्रों में मानकीकृत ब्रांडिंग के साथ पीएमबीजेपी केन्द्रों का स्तरोन्नयन अपेक्षित है।

विभिन्न प्रचार चौनलों यथा प्रिंट मीडिया, दृश्य मीडिया, एसएमएस और अन्य प्रत्यक्ष संचार तरीकों का उपयोग किया जाएगा। बीपीपीआई ने कई प्रदर्शनियोंध्कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि में पहले ही भाग लिया है।

बीपीपीआई ने इंडिया फार्मा 2016, 2017 में भाग लिया और अब यह इस महान परियोजना का प्रचार करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वर्ष 2018 में इंडिया फार्मा में भाग लेने की योजना बना रहा है और साथ ही पीएमबीजेपी के लिए बैंगलुरू में एक छत्र के भीतर लाने के लिए कई बड़े स्तर के विनिर्माताओं से सम्पर्क कर रहा है।

ih,echtih dUæk dk [kkyu d fy, fofHkUu jkT; ljdkjk d lkFk gLrk{kfjr le>krk Kkiu

fofHkUu ih,echtsih dsUæksa dk mn?kkVu

ih,uchtsds ds ckjs esa ;qok f'k{kk

ih,echtsih us ns'k Hkj esa ^lcdk lkFk lcdk fodkl* lEesyu esa lQyrkiwoZd Hkkx fy;k%

;kstuk dh lQyrk lqfuf'pr djus esa vU; dkjd

इस पहल की सफलता अन्य एजेंसियों पर भी निर्भर है अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकार, माननीय सांसदों एवं विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों के सदस्यों का सक्रिय सहयोग, आईएमए, निजी समूहों द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों एवं धर्मार्थ संस्थानों, एनजीओ, प्रैक्टिस कर रहे डाक्टरों आदि। राज्य सरकारों के पास दवाओं के निःशुल्क वितरण जैसी अपनी स्वयं की स्कीमें हैं। डाक्टरों द्वारा जेनरिक दवाओं का नुस्खा नहीं लिखा जाना एक अन्य कारक है। बीपीपीआई केवल जेनेरिक दवाइयों का नुस्खा लिखे जाने के लिए चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने सतत प्रयास कर रहा है। इसके लिए बीपीपीआई अन्य संगठनों एवं सरकारी विभागों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य कर रहा है। डाक्टरों, वैज्ञानिकों, सरकारी अधिकारियों एवं अन्य पणधारियों को शामिल करते हुए संगोष्ठियां/कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी।

ç/kkueU=h Hkkjrh; tu vkS"kf/k ifj;kstuk ¼ih,echtsih½ ds fy, Hkkjrh; fpfdRlk la?k ¼vkbZ,e,½ dh igy

भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) 1700 स्थानीय और 30 राज्य शाखाओं से अधिक में फैले हुए हमारे तीन लाख चिकित्सकों की संयुक्त चेतना है। भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) वहनीय, पहुंच वाली और गुणवत्ता स्वास्थ्य परिचर्या के लिए है। आईएमए की नीति सस्ती गुणवत्तापरक दवाइयों का नुस्खा लिखे जाने की है। आईएमए एनएलईएम में शामिल औषधियों के प्रयोग को बढ़ावा देता है और एनएलईएम विकल्प की अनुपस्थिति में ही गैर–एनएलईएम दवाइयों

की सिफारिश करता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को बढ़ावा देने के लिए आईएमए ने अपने मुख्यालय परिसर में एक पीएमबीजेपी केन्द्र खोला है और सिफारिश की है कि भारत के सभी आईएमए भवनों में ऐसे केन्द्र खोले जाने चाहिए।

c t V dh xbZ fcØh

वित्तीय वर्ष 2016–17 में बीपीपीआई ने एमआरपी में 33.00 करोड़ रुपए की बिक्री की है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में बीपीपीआई ने 31.12.2017 तक एमआरपी में 112.00 करोड़ रुपए की बिक्री की है और आशा है कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक एमआरपी में 120.00 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री होगी जो ब्रांडेड उत्पादों के लगभग 600.00 करोड़ रुपए के अनुरूप है।

पीएमबीजेपी शीर्ष :

बीपीपीआई का प्रयास सभी उपचारात्मक समूहों को कवर करते हुए आम रूप से प्रयुक्त होने वाली सभी जेनरिक औषधियों को पीएमबीजेपी केन्द्रों में उपलब्ध करवाने का है। पीएमबीजेपी केन्द्र सभी उपचारात्मक समूहों को कवर करते हुए सभी जेनरिक औषधी को उपलब्ध कराने से लेकर स्वास्थ्य परिचर्या उत्पादों एवं सेवाओं का पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रदान करेंगे।

अध्याय 5

5. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

5.1 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

5.2 औषध पीएसयू पर मंत्रिमंडल का निर्णय

5.3 इंडियन ड्रग ऐंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)

5.4 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल)

5.5 कर्नाटक एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)

5.6 बंगाल कैमिकल्स ऐंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)

5.7 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)

अध्याय – 5
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

5-1 dsæh; lkoZtfud {ks= ds miØe ¼lhih,lbZ½

औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पांच केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) आते हैं। पांच में से तीन, अर्थात् इंडियन ड्रग ऐंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल) और बंगाल कैमिकल्स ऐंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) रुग्ण हैं और इन्हें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को रेफर किया गया है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) ने वर्ष 2013–14 के दौरान पहली बार घाटा दर्ज किए जाने की सूचना दी है। केवल कर्नाटक एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) ही लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई है।

(2016–17 की स्थिति के अनुसार)

	एचएएल	आईडीपीएल	आरडीपीएल	बीसीपीएल	केएपीएल
स्थापित	1954	1961	1978	1980 Nationalized	1981
श्रेणीकरण	Sick	Sick	Incipient Sick	Sick	Profit making
निवल मूल्य (करोड़ में)	-488.10	- 7147.23	-24.65	-184.60	127.81
कारोबार (करोड़ में)	15.12	84.22	36.53	88.19	326.90
प्रचालनात्मक लाभ / हानि (करोड़ में)	-52.43	11.33	-13.50	13.33	33.97
देनदारियां (करोड़ में)	1250	10779.20	121.05	230.55	9.06
बीआईएफआर को संदर्भित	1997	1992	No	1992	NA
कर्मचारियों की संख्या	1010	42	152	332	712
अधिकारी स्तर	250	7	52	70	239
कर्मचारी स्तर	760	35	100	262	473
कुल भूमि	267 acre	2003 acre	9.35 acre	72.89 acre	37.34 acre
पट्टाधारिता	Nil	1022 acre	9.35 acre	1.10 acre	Nil
फ्रीहोल्ड	267 acre	981 acre	Nil	71.79 acre	37.34acre

5-2 vkS"k/k ih,l;w ij ef=eMy dk fu.kZ;

5-2-1- fnukad 28-12-2016 dks vk;kftr viuh cSBd esa ef=eMy us fuEufyf[kr fu.kZ; fy;k%

(i) एचएएल, आईडीपीएल, आरडीपीएल और बीसीपीएल की देनदारियों को चुकाने के लिए यथावश्यक मात्रा में

इनकी अधिकतम अधिशेष भूमि की बिक्री खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से सरकारी एजेन्सियों को की जाए और इनकी बकाया देनदारियों को बिक्री लाभ से निपटान किया जाए। इन पीएसयू को बंद किए जाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) भी कार्यान्वित किया जाए। शेष भूमि का प्रबंधन निवेश विभाग एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन/लोक उद्यम विभाग के यथासंबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यकता हो तो इसे विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के लिए विहित किया जाए।

(ii) देनदारियों को चुकाने, तुलनपत्र को निर्बाध करने और वीआरएसध्वीएसएस को प्रभावी करने के पश्चात् विभाग आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद कर दे और एचएएल एवं बीसीपीएल को रणनीतिक रूप से बेच दे।

(iii) पीएसयू को बंद करने का निर्णय लेते समय, यह विभाग यथाव्यवहार्यता अनुसार निजी भागीदारी के लिए एचएएल और आईडीपीएल की अनुषंगी कम्पनियों को अलग करने की संभावना की भी खोज करे।

(iv) 6.2.2 आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 1.11.2017 को आयोजित अपनी बैठक में कर्नाटक एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), बैंगलुरू में भारत सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी के द्वि–चरणीय निलामी प्रक्रिया के माध्यम से रणनीतिक विनिवेश को 'सैद्धान्तिक रूप से' अनुमोदित किया है जिसके प्रथम चरण में पात्र बोलीदाताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा और द्वितीय चरण प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय बोली के लिए होगा। फर्म का मूल्यांकन डिस्काउंटेड धन प्रवाह प्रणाली, संबद्ध मूल्यांकन और फर्म की भूमि के परिसम्पत्ति आधारित मूल्यांकन के संयोजनों का उपयोग करके किया जाएगा।

5-3 bfM;u MXl ,M QkekL;fVdYl fy- ¼vkbZMhih,y½

i"BHkfe

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आईडीपीएल) को 5 अप्रैल 1961 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था। कम्पनी के मुख्य उद्देश्य आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों के संबंध में आत्मनिर्भरता सृजित करना, देश को आयात पर निर्भरता से मुक्त करना और वहनीय मूल्यों पर करोड़ों लोगों को दवाइयां प्रदान करना थे। आईडीपीएल को मूल रूप से स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के भाग के रूप में परिकल्पित और स्थापित किया गया था और इसने भारतीय औषध उद्योग आधार की संवृद्धि में प्रमुख अवसंरचनात्मक भूमिका निभाई है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय डुंडेहर, गुड़गांव में अवस्थित है और इसका प्रधान कार्यालय स्कॉप कॉम्पलेक्स लोधी कालोनी, नई दिल्ली में है। आईडीपीएल के तीन मुख्य संयंत्र ऋषिकेश (उत्तराखंड), गुड़गांव (हरियाणा), हैदराबाद (तेलंगाना) में और पूर्ण स्वामित्व वाली दो शत प्रतिशत अनुषंगी कंपनी, नामतरू, आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि. चेन्नै (तमिलनाडू) और बिहार ड्रग्स एवं ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (बीडीओसीएल), मुजफ्फरपुर (बिहार) में है। इसके अलावा आईडीपीएल का इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उडीसा लि. (आईपीआईसीओएल), उडीसा सरकार के सहयोग से संवर्धित एक संयुक्त उद्यम नामतरू उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि. (ओडीसीएल), भूवनेश्वर है जिसकी शेयरधारिता क्रमशरू 51% और 49% है।

आईडीपीएल ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं जनसंख्या नियंत्रण (माला डी एवं माला एन), मलेरिया रोधी (क्लोरोक्विन) और डिहाइड्रेशन रोधी (ओआरएस) कार्यक्रम में गुणवत्तायुक्त दवाइयों की आपूर्ति कर एक प्रमुख भूमिका निभाई है। आईडीपीएल ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया है और राष्ट्रीय आपदाओं जैसे तूफान, बाढ़ और उडीसा, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर में भूकंप की स्थितियों में समय पर जीवनरक्षक दवाइयां प्रदान करके सरकार की सहायता की है। आईडीपीएल ने हमेशा गुणवत्तायुक्त दवाइयों की आपूर्ति की है और इसकी मौजूदगी ने प्रतिस्पर्धात्मक और व्यापार वातावरण में एक मूल्य संतुलन भूमिका निभाई है।

iol dh miyfC/k;k

आईडीपीएल स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं था अपितु भेषजों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना और केन्द्र सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना था। इस तथ्य के बावजूद कि यह निम्न मार्जिन उत्पादों का उत्पादन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत और अखंड उद्यम था, के आईडीपीएल ने इस क्षेत्र में यथोचित रुप से अच्छा प्रदर्शन किया। आईडीपीएल ने वर्ष 1965 से 1968 तक और फिर वर्ष 1971 से 1974 तक अवमूल्यन, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पीबीडीआईटी) अर्जित किया। इसने वर्ष 1974 से 1979 तक लगातार पांच वर्षों तक निवल लाभ अर्जित किया; कंपनी ने अपनी लाभप्रदता को मुख्यतः औषध उद्योग को आपूर्ति करने के लिए बल्क औषधियों के आयात के संबंध में सरकारी नीति में परिवर्तन करने के कराण खो दी थी। जो आयात पूर्वमें वर्ष 1979 तक आईडीपीएल के माध्यम से किया जाता था, उसे राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) को सौंप दिया गया। इस प्रकार आईडीपीएल से एक लाभ अर्जक क्षेत्र छीन लिया गया।

#X.krk ds dkj.k

आईडीपीएल का निवल मूल्य वर्ष 1982–83 में ऋणात्मक हो गया। मुख्यतरू इसके कारण थेरू–

(i) रसायन, बल्क औषध एवं फार्मूलेशन उत्पादन करने वाली विशाल एकाश्म प्रकार की एकीकृत उत्पादन सुविधाएं

(ii) पुराने संयंत्र एवं मशीनरी और बल्क औषध की पुरानी प्रौद्योगिकी

(iii) मानव शक्ति आधिक्य, उच्च मजदूरी वेतन बिल और आईडीपीएल के सभी स्थानों पर बड़े टाउनशिप, स्कूल, और अस्पतालों का अनुरक्षण

(iv) आईडीपीएल द्वारा उत्पादित दवाइयां वर्ष 1991 के उदारीकरण के दौर से पहले सरकार द्वारा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के अधीन थी।

(v) सरकारी नीति में परिवर्तन के माध्यम से परिणामस्वरुप एजेंसी आईडीपीएल से स्थानांतरित होकर एसटीसी हो गई।

(vi) निजी फार्मा क्षेत्र कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा जिनके ऊपर टाउनशिप स्कूल, अस्पताल इत्यादि सामाजिक अवसंरचना स्थापित करने और अनुरक्षण करने का भार नहीं था और उनके पास कम बोझिल उत्पादन सुविधाएं थी।

i|u#)kj ;kstuk,%

पूर्ववर्ती औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने अगस्त 1992 में आईडीपीएल को एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी के रुप में घोषित किया। फरवरी, 1994 में बीआईएफआर ने एसआईसीए की धारा 17(2) के अंतर्गत पुनर्वास स्कीम अनुमोदित कर दी। यह पैकेज मुख्यतरू निम्नलिखित कारणों से विफल हो गया – (i) यथा परिकल्पित पूरी निधि कंपनी को जारी नहीं की गई (ii) पूंजीगत पुनर्संरचना नहीं की गई (iii) बैंकों ने पर्याप्त आवश्यक कार्यशील पूंजी प्रदान नहीं की (iv) कार्यशील पूंजी निधियों को अनुषंगी इकाइयों के स्थायी व्यय को पूरा करने के लिए दे दिया गया। (v) भूमि नहीं बेची जा सकी (vi) अत्यधिक महत्वाकांक्षी बिक्री लक्ष्य तय किए गए।

जनवरी, 1996 में बीआईएफआर ने पुनरुत्थान पैकेज के तकनीकी आर्थिक विश्लेषण और इसे तैयार करने हेतु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक (आईडीबीआई) को प्रचालन एजेंसी (ओए) के रुप में नियुक्त किया। कंपनी के पुनरुत्थान का मुद्दा बीआईएफआर और सरकार के पास लंबित रहा। वर्ष 2001–02 में कंपनी का निजीकरण करने का प्रयास किया गया। तथापि, ओए (आईडीबीआई) ने किसी प्रस्ताव को बीआईएफआर के पास भेजने के लायक नहीं समझा।

आईडीपीएल को निजीकृत करने में विफल होने के पश्चात, बीआईएफआर ने दिसम्बर, 2003 को इसे बंद करने का आदेश दिया। सरकार ने बीआईएफआर के आदेश के विरुद्ध औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण सक्षम प्राधिकारी (एएआईएफआर) के समक्ष एक याचिका दायर की। एएआईएफआर ने सरकार द्वारा दाखिल अपील को अनुमत किया और निदेश दिया कि आईडीपीएल के पुनरुत्थान का एक रोड मैप प्रस्तुत किया जाए। विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने पाया कि फॉर्मूलेशन के उत्पादन के संयंत्र एवं इसकी मशीनरी के हालात अच्छे हैं, जिसे अनुसूची–एम अपेक्षाओं के अनुरुप न्यूनतम निवेश के साथ किफायती रुप में उपयोग किया जा सकता है। यह भी सलाह दी गई कि मौजूदा बाजार परिदृश्य में आईडीपीएल की उभरती स्थिति की अवधारणा बनाई जा सकती है। आईडीबीआई ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। इन गतिविधियों के कारण एएआईएफआर ने सितम्बर, 2005 में आयोजित अपनी सुनवाई में बंद करने के आदेश को रद्द कर दिया और आईडीपीएल के पुनर्वास के लिए आगे की कार्रवाई करने हेतु, और कानून के अनुसार अगले आदेशों हेतु इस मामले को वापस बीआईएफआर को भेज दिया।

तदनुसार, आईडीपीएल ने एक डीआरएस तैयार की और विचारार्थ और सिफारिश हेतु बीआरपीएसई को भेज दी। बीआरपीएसई के अनुमोदन के पश्चात, और आर्थिक कार्य से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति के लिए एक नोट तैयार किया गया और अनुमोदनार्थ दिनांक 11.05.2007 को सौंप दिया। सीसीईए द्वारा दिनांक 17.05.2007 को आयोजित अपनी बैठक में इस नोट पर विचार किया गया और मामले को मंत्री समूह (जीओएम) के पास भेज दिया गया। जीओएम ने दिनांक 11.10.2007 को आयोजित अपनी बैठक में सलाह दी कि आईडीपीएल का पुनःस्थान पैकेज जनहित के लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, और कंपनी की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करते हुए होने चाहिए। ईएंडवाई रिपोर्ट मंत्रालय/औषध विभाग को सौंप दी गई है।

ईएंडवाई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर आईडीबीआई (ओए) के परामर्श से पुनः एक संशोधित डीआरएस तैयार की गई और अंतिम तिथि 31 मार्च, 2011 रखी गई। बीआईएफआर की दिनांक 20.08.2014 को आयोजित बैठक में अंतिम

तिथि दिनांक 31.03.2014 रखी गई। तदनुसार, एक संशोधित अद्यतित डीआरएस तैयार की गई और जनवरी, 2015 में औषध विभाग को प्रस्तुत की गई। तथापि, मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.12.2016 को आयोजित बैठक में सरकारी एजेन्सियों को खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से अधिशेष भूमि की बिक्री करके इसकी देनदारियों को पूरा करने के पश्चात् आईडीपीएल को बंद करने की सिफारिश की।

'krçfr'kr vkbMhih,y dh i.kZ LokfeRo okyh vuq"kaxh daifu;ka

d½ vkbMhih,y ¼rfeyukMq½] pUus

आईडीपीएल (तमिलनाडू), चेन्नै सितंबर, 1965 में निगमित की गई थी, जो आरंभ में एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट संयंत्र था और बाद में इसे फॉर्मूलेशन के उत्पादन के उपयोग, में लाया गया। वर्ष 1994 में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनःत्थान पैकेज के अनुसार इस संयंत्र को दिनांक 01.04.1994 से आईडीपीएल (तमिलनाडू) लिमिटेड, चेन्नै के नाम व शैली से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रुप में रुपांतरित कर दिया गया। आईडीपीएल (तमिलनाडु) एक अनुसूची–एम संयंत्र है और औषधि फॉर्मूलेशनों के विनिर्माण का कार्य कर रही है।

[k½ fcgkj MXl ,M v,xsfud dsfedYl fy- ¼chMhvks,y½] eqt¶Qjiqj

बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., मुजफ्फरपुर वर्ष 1979 में निगमित किया गया था और दिनांक 01.04.1994 से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया। इस इकाई की संपूर्ण इक्विटी पूंजी आईडीपीएल द्वारा धारित है। नवंबर, 1996 से इस संयंत्र में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है।

l;qä m|e

mMhlk MXl ,M dsfedYl fy- ¼vksMhlh,y½

उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) वर्ष 1979 में निगमित हुआ था और सितंबर 1983 में उत्पादन हेतु पूरी तरह से चालू हो गया। ओडीसीएल एक संयुक्त उद्यम उपक्रम है जो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) और औद्योगिक प्रवर्तन एवं निवेश कॉरपोरेट ऑफ उड़ीसा (आईपीआईसीओएल) द्वारा प्रवर्तित है। आईडीपीएल की इक्विटी शेयरधारिता 51% है और आईपीआईओसीएल की 49%। बीआईएफआर ने एसआईसीए अधिनियम,1985 के अंतर्गत अप्रैल 2003 में परिसमापन आदेश पारित किया। उड़ीसा उच्च–न्यायालय ने अस्थायी परिसमापक नियुक्त किया था। इस आदेश पर इस समय उड़ीसा की बड़ी पीठ द्वारा ने रोक लगा दी गई है।

इस समय यह कम्पनी टेबलेट, कैप्सूल, पावडर, ओआरएस और इंजेक्टिबल इत्यादि के रुप में औषधि फॉर्मूलेशन का निर्माण कर रही है। ओडीसीएल संयंत्र एक अनुसूची–एम अनुपालक संयंत्र है और कम्पनी प्रचालनात्मक लाभ वर्ष 2011–12 से अर्जित कर रही है।

bUtsfDVcy lsD'ku&vkbZMhih,y

vkbZMhih,y VM+s %

आईडीपीएल हैदराबाद (नई विनिर्माण इकाई) ने 35 मदों अर्थात् गोलियां जिनमें एआरवी, तपेदिक रोधी और 4 विभिन्न प्रकार के मरहम शामिल हैं, के विनिर्माण के लिए औषधि लाइसेंस सहित सभी आवश्यक सांविधिक मंजूरियों को प्राप्त करने के पश्चात् उत्पादन करना शुरू कर दिया है। इस इकाई की संस्थापित क्षमता 2.5 लाख गोलियां प्रति घंटा (गोली के आकार पर निर्भर) और 10000 मरहम ट्यूब प्रतिदिन (15 ग्राम की ट्यूब) का विनिर्माण करने की है। हैदराबाद संयंत्र को मरहम की 90000 ट्यूबों और 5,00,000 गोलियों का निर्माण करने का ऑर्ड़र प्राप्त हुआ है। यह इकाई बाजार मांग के अनुसार विभिन्न प्रकार की गोलियों और मरहमों का उत्पादन करने और निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

ubZ fofuekZ.k bdkbZ

v,;UVeiV lD'ku gnjkckn

vfre mRikn

l;=k dk vk/kfudhdj.k ¼ljdkjh lgk;rk çkIr ifj;kstuk,¡ ,o fLFkfr½

आईडीपीएल के सभी संयंत्रों को डब्ल्यूएचओ–जीएमपी अनुपालित बनाए जाने के लिए सरकार द्वारा 7.40 करोड़ रुपए की निधि जारी की गई है और आईडीपीएल के संयंत्रों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के कार्यकलाप चल रहे हैं। ऋषिकेश संयंत्र अब अनुसूची–एम अनुपालक और डब्लयूएचओ–जीएमपी अनुपालक है। 9 उत्पादों के लिए सीओपीपी प्राप्त हो गई है। जबकि गुड़गांव संयंत्र भी गोली खण्ड के लिए अनुसूची–एम अनुपालक है।

mRiknu çkQkby vkj mRikn dh çdkj

वर्तमान में, आईडीपीएल करीब 86 उत्पादों (पीपीपी) एवं 25 उत्पादों (गैर–पीपीपी) का उत्पादन कैप्सूल, टेबलेट, ड्राई सिरप, लिक्विड ओरल और इंजेक्शन स्वरुप में कर रहा है, जो मुख्यतरू निम्नलिखित उपचारात्मक समूह के हैः

- कीटाणुरोधी/रोगरोधी, दर्दनाशक/एंटीइंफ्लेमेंटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रिसपायरेट्री ट्रेक्ट, गर्भ निरोधक, विटामिन/खनिज, एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल, मलेरियारोधी, मधुमेहरोधी और ह्रदय रोग संबंधी।
- शुरू किए गए नए उत्पाद–सेफिक्साइम 100 एमजी एवं 200 एमजी, सेफुरोक्सिम, एक्सेटिल 250एमजी एवं 500एमजी, एसेक्लोफेनेक 100 एमजी, एसेक्लोफेनेक 100 एमजी. पैरासिटामोल 500एमजी, ग्लिमप्राइड 1एमजी एवं 2एमजी, एटोरवैस्टाटिन 10एमजी एवं 20एमजी, सिपोराल 250 एमजी एवं 500 एमजी, मेटफॉर्मिन 500एमजी, पैंटोप्राजोल 40एमजी।

ykdfç; czkM% डिकॉस 110 एमएल, सकसी टेबलेट, सेबक्सिन जेड आईडीपीएल के लोकप्रिय ब्रांड है।

tu'kfä – आईडीपीएल में 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों सहित विभिन्न स्थानों पर 28 नियमित कर्मचारी है और 106 कर्मचारी संविदा पर हैं। कंपनी केवल सांविधिक और महत्वपूर्ण स्थानों पर संविदात्मक कर्मचारी नियुक्त करती है।

forj.k uVod ;fn dkb% कंपनी देशभर में अवस्थित 19 डिपो (सीएंडएफए) के वितरण नेटवर्क के माध्यम से संस्थानों को अपने उत्पाद की बिक्री कर रही है।

dk;Z fu"iknu – वर्ष 2011–12 से 2016–17 (दिसम्बर, 2017 तक) के आंकड़े

¼:- djksM+ esa½

विषय	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
उत्पादन	50.78	58.71	62.83	71.50	87.94	21.30
बिक्री	50.69	59.47	60.18	63.50	86.41	19.64

foi.ku% lLFkkvksa dk fgLlk vkSj [kjhnkj% यह कंपनी एनपीपीए अधिप्रमाणित दरों के अनुसार, पीपीपी पर सरकारी संस्थानों को अपने उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। प्रमुख संस्थागत ग्राहक है– ईएसआईसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा, रेलवे, राज्य सरकारधनिगम और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अस्पताल जो अपना आदेश विभिन्न उपचारात्मक

वर्ग के अंतर्गत भेजते हैं। उपर्युक्त के अलावा आईडीपीएल भारत सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में पूरी सहायता कर रही है।

fu"d"k: आईडीपीएल ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं जनसंख्या नियंत्रण (माला डी एवं माला एन), मलेरिया रोधी (क्लोरोक्विन) और डिहाइड्रेशन रोधी (ओआरएस) कार्यक्रम में गुणवत्तायुक्त दवाइयों की आपूर्ति कर एक प्रमुख भूमिका निभाई है। आईडीपीएल ने जेनरिक दवाइयों का निर्माण कर बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए स्वदेशी उत्पादन और कार्यकलापों को बढ़ावा दिया है।

fCyLVj ifdx e'khu ¼xqMxko l;a=½

IykuVjh feDlpj¼xqMxko l;a=½

fCyLVj ifdx e'khu _f"kd'k

xkyh [k.M & vkMhlh,y

5-4 fgUnqLrku ,Vhck;kfVDl fyfeVM

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जिसका निगमन 1954 में किया गया था। इस कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय और विनिर्माण सुविधाकेन्द्र पिम्परी, पुणे में स्थित है। इस कम्पनी की स्थापना बल्क औषधियों और जीवन रक्षक दवाइयों एवं सम्मिश्रणों का विनिर्माण करने के लिए की गई थी। कई वर्षों के दौरान, कृषि और पशु चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले

विभिन्न नए उत्पादों का विनिर्माण किया गया और विनिर्माण के लिए जोड़ा गया। इस कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, इसकी अंशदान और चुकता शेयर पूंजी 71.71 करोड़ रुपए है।

2- mRiknu] fcØh vkj fuoy ykHk@gkfu dk C;kjk bl çdkj g%

(रुपए करोड़ में)

	2016-17	2017-18 (अनंतिम)
उत्पादन	11.36	35.00
बिक्री टर्नओवर	10.73	32.00
निवल लाभ (हानि)	(78.24)	(76.67)

एचएएल अपने प्रचालनों को चलाने के लिए अपेक्षित कार्यशील पूंजी की कमी के कारण गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। कर्मचारियों का वेतन और कई सांविधिक भुगतान अर्थात् भविष्य निधि, उपदान, आयकर, बिक्रीकर भी बकाया है। कार्यशील पूंजीगत सुविधाएं भी बैंकों से नहीं आ रही हैं क्योंकि कंपनी का खाता गैर निष्पादक परिसंपत्ति बन गया है।

#X.krk dk dkj.k%

इस कम्पनी को वर्ष 1992 से घाटा हो रहा है और इसे वर्ष 1997 में रुग्ण घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2006 की 137.59 करोड़ रुपए की पुनर्वास योजना (80.63 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 56.96 करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त ऋण) सफल नहीं हुई। 670.46 करोड़ रुपए की राशि के दूसरे पुनर्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव किया गया। तथापि, मंत्रिमंडल ने इसकी अधिशेष और रिक्त भूमि की बिक्री सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकायों को करने को अनुमोदित किया। सरकार ने भी 307.23 करोड़ रुपए के केन्द्र सरकारी ऋणों की माफी, 128.68 करोड़ रुपए की राशि की देनदारियों को मोहलत देने और वेतन, मजदूरी और महत्वपूर्ण खर्चों के लिए तत्काल 100 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करने को मंजूरी दी। आगे यह भी निर्णय लिया गया कि इसकी देनदारियों को चुकाने, वीआरएस/वीएसएस को लागू करने और इसके तुलन पत्र को निर्बंध करने के पश्चात् इस कम्पनी की रणनीतिक बिक्री की जाए।

mRiknu%

पिछले वर्ष के 14.45 करोड़ रुपए की तुलना में, वर्ष 2016–17 के दौरान उत्पादन का कुल मूल्य 11.36 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2017–18 के दौरान नवम्बर, 2017 तक कम्पनी ने 18.07 करोड़ रुपए का उत्पादन किया और 31.03.2018 तक 35.00 करोड़ रुपए का उत्पादन करने की संभावना है। वर्ष 2017–18 के दौरान नवम्बर, 2017 तक कम्पनी ने 16.97 करोड़ रुपए की बिक्री की और 31.03.2018 तक 32.00 करोड़ रुपए की बिक्री करने की संभावना है।

सेफालोस्पोरीन और पेन्सिलिन पाउडर इन्जेक्टेबल के अलावा, गोलियों, कैप्सूलों, कृषि उत्पाद (स्ट्रैप्टोसाइक्लिन) और नारकोटिक डिटेक्शन किट ने भी उत्पादन में योगदान दिया। कार्य पूंजी की कमी के कारण योजना के अनुसार बल्क

और पैकिंग सामग्री की गैर–उपलब्धता के कारण क्षमता उपयोग और विभिन्न उत्पादों का उत्पादन प्रभावित हुआ था। 11.36 करोड रुपए के कुल उत्पादन में, पिछले वर्ष के 10.95 करोड़ रुपए की तुलना में स्ट्रैप्टोसाइक्लिन एकल उत्पाद का योगदान 8.79 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 77.38:) रहा। नारकोटिक डिटेक्शन किट उत्पादन मूल्य 0.82 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 7.22:) था।

fcØh%

वर्ष 2016–17 के दौरान, इस कम्पनी ने पिछले वर्ष के 15.12 करोड़ रुपए के बिक्री कारोबार की तुलना में 10.73 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार किया। वर्ष 2017–18 के दौरान, कम्पनी की इच्छा 32.00 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार करने की है। विपणन विभाग ने वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलापों को सफलतापूर्वक किया:

क) एंटीबायोटिक उत्पादों की श्रृंखला के लिए तेलंगाना की ओर से पहले ऑर्डर प्राप्त किया और सफलतापूर्वक पूरा किया।

ख) स्किन डि–कन्टेमिनेशन किटों और प्रशियन ब्लू गोलियों का विनिर्माण और इनकी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज (एनमास), रक्षा स्थापना को सफलतापूर्वक आपूर्ति।

ग) नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो को 30.09.2017 तक 90 लाख रूपए के मूल्य की नार्कोटिक किटों की आपूर्ति की और 31.03.2018 तक 90 लाख रूपए के मूल्य के अगले ऑर्डर को पूरा करने की संभावना है।

vuqla/kku ,oa fodkl

वर्ष 2016–17 के दौरान अनुसंधान एवं विकास विभाग ने निम्नलिखित विकास किए:

क) बीपीपीआई योजना के तहत नए सम्मिश्रण जिनका विकास किया जा रहा है, जो पारम्परिक खुराक के विभिन्न स्वरूपों विशेष रूप से एंटी–इन्फ्लेमेटरी, एंटी–हिस्टामिनिक और एंटी–इंफेक्टिव औषधियों को कवर करते हैं।

ख) इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज (एनमास), डीआरडीओ, नई दिल्ली के लिए विभिन्न डिकॉर्पोरेटिंग औषधियों का विकास।

ग) नार्कोटिक ड्रग्स डिटेक्शन किटों, प्रिकर्सर कैमिकल्स डिटेक्शन किटों और केटामाइन डिटेक्शन किटों को नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुसार और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए उनका सुधार एवं विनिर्माण।

घ) विभिन्न औषधि सम्मिश्रणों का सुधार एवं लागत बचत।

ङ) नॉन स्टेराइन पेन्सिलिनेस का उत्पादन।

च) तपेदिक रोधी किट का विकास।

छ) पोटाश सोल्यूबलाइजिंग बैक्टिरिया और एनपीके सम्मिश्रण का विनिर्माण जो व्यापार उद्देश्य के लिए तैयार हैं।

lg;kxh dEifu;k

(i) महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएपीएल), नागपुर एक संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है जिसमें एचएएल की इक्विटी भागीदारी 59%, एसआईसीओएम (स्माल इन्डस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कोर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र) की 33ः और आईडीबीआई की 8% है। यह कम्पनी वर्ष 2006 से कोई उत्पादन नहीं कर रही है। बीआईएफआर द्वारा इस कम्पनी के परिसमापन का आदेश दिया गया है और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) ने उक्त आदेश की पुष्टि कर दी है। एमएपीएल के कर्मचारी समूह द्वारा दाखिल रिट याचिका पर माननीय बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने एमएपीएल को बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है। माननीय बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की आदेशानुसार एमएपीएल में स्वैचछिक विच्छेद स्कीम (वीएसएस) को कार्यान्वित कर दिया गया है तथा भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों की सहायता से वीएसएस के तहत सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने एचएएल के माध्यम से एमएपीएल के कर्मचारियों की शेष बकाया राशि के भुगतान के लिए 8.5 करोड़ रूपए की योजनेतर ऋण राशि भी जारी कर दी है और राशि एमएपीएल के कर्मचारियों को वितरित कर दी गई है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में, निजी भागीदारी के माध्यम से एमएपीएल की 12.5 एकड़ पट्टाधारित भूमि का विकास करने की संभावना खोजने के प्रयास किए जा रहे है।

(ii) मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएसडीपीएल), इम्फाल में एचएएल की 51% तथा एमएएनआईडीओ मणिपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एमएएनआईडीओ) की 49ः इक्विटी शेयरधारिता है। निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इसका प्रचालन बंद कर दिया गया है तथा एमएसडीपीएल बंद हो जाने के कारण इसके कर्मचारियों को मणिपुर सरकार द्वारा जारी की गई निधियों के माध्यम से आवश्यक प्रतिपूर्ति कर दी गई है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में, निजी भागीदारी के माध्यम से भूमि का उपयोग करने की संभावना खोजने के प्रयास किए जा रहे है।

5-5 dukVd ,Vhck;kfVd ,M QkekL;fVdYl fyfeVM ¼d,ih,y½

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (केएपीएल) लाभ अर्जन करने वाली एक संयुक्त क्षेत्र (भारत सरकार का 59% शेयर और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. के माध्यम से कर्नाटक सरकार का 41% शेयर) की कम्पनी है जिसे वर्ष 1981 में निगमित किया गया था। कंपनी का मूल उद्देश्य सरकार के अस्पतालों और अन्य संस्थाओं तथा साथ ही प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध करवाना था। इस कंपनी के पास ड्राई पाउडर इन्जेक्टेबल, लिक्विड इन्जेक्टेबल, गोलियों, कैप्सूलों, ड्राई सिरप और सस्पेंशन्स के लिए डब्ल्यूएचओ–जीएमपी प्रमाणित विनिर्माण सुविधाएं हैं। आज की स्थिति के अनुसार इस कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी 13.49 करोड़ रुपए है।

mRiknu vkj fcØh dk;Zfu"iknu%

(रुपए करोड़ में)

o"kZ	mRiknu	fcØh
2013-2014	275.73	241.59
2014-2015	281.81	274.24
2015-2016	342.01	326.92
2016-2017	405.51	386.27
2017-18 (जनवरी, 2017 तक)	302.07	284.67

foxr miyfC/k;k%

– मिनी रत्न सीपीएसई

– आईएसओ 9001 (क्यूएमएस) और आईएसओ 14001 (ईएमएस)

– पीआईसी/एस प्रमाणन

ykdfç; czkM%

QkekZ & 0;kikj

l-	mRikn	Fkjsih lxesV	,u,ybZ,e	,dkf/kdkj	cktkj eY;
1	ग्रेनिल समूह	माइग्रेन रोधी	नहीं	नहीं	15.00 करोड़ रुपए
2	साइफोलैक फोर्ट ग्रुप	प्री एवं प्रोबायोटिक	नहीं	नहीं	5.00 करोड़ रुपए
3	रैम्सी ग्रुप	खांसी एवं सर्दी	नहीं	नहीं	3.00 करोड़ रुपए
4	जिन्फे ग्रुप	हेमैटिनिक	नहीं	नहीं	2.00 करोड़ रुपए
5	वेरक्लेव ग्रुप	एंटीबायोटिक	हां	नहीं	4.00 करोड़ रुपए
6	पॉप–ई	प्लेटलेट पाउडर	नहीं	नहीं	2.00 करोड़ रुपए

,xzkoV%

Ø- l-	mRikn	Fkjsih [kaM	,dkf/kdkj	ctkj eY;
1	के साइकलिन पाउडर (एग्रो)	कीटनाशक	नहीं	3.00 करोड़ रुपए
2	केल्विमाइन ग्रूप	खाद्य अनुपूरक	नहीं	2.64 करोड़ रुपए
3	के लाइव	हेपेटो–सुरक्षात्मक	नहीं	2.27 करोड़ रुपए

forj.k uVod%

vk"k/k

यह कम्पनी निजी चिकित्सा व्यवसायियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास के साथ खुदरा व्यापार के क्षेत्र में अपने परिचालन का विस्तार कर रही है। इस दिशा में कम्पनी समय–समय पर विभिन्न उपचारात्मक क्षेत्रों में नए उत्पाद शुरू करती रही है। इसका घरेलू परिचालन बेहद समर्पित पेशेवर क्षेत्रबल वाली जनशक्ति के साथ देश भर में फैला है जो एक सुनियोजित वितरण प्रणाली द्वारा समर्थित है जिससे केएपीएल की उपस्थिति बड़े एवं साथ ही छोटे बाजारों में सुनिश्चित हो जाती है।

केएपीएल की शाखाएं सभी राज्य मुख्यालयों में स्थित हैं। इस कंपनी का बड़े शहरों में लगभग 20 शाखाओं के साथ एक उत्कृष्ट वितरण नेटवर्क है जो चौनल विपणन के माध्यम से संबंधित राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अनुमोदित स्टॉकिस्टों के माध्यम से इस व्यापार क्षेत्र के खुदरा विक्रेताओं, नर्सिंग होम एवं दवाई देने वाले चिकित्सकों और दर अनुबंध [आरसी, और गैर–दर अनुबंध] एनआरसी, क्षेत्र के संस्थाओं को सीधे आपूर्ति की जाती है।

foi.ku%

vk"k/k%

यह कंपनी मुख्य रूप से नुस्खा लिखने वाले चिकित्सा व्यवसायियों और ग्राहकों पर आधारित प्रेस्क्रिपशन बाजार पर संकेन्द्रण कर रही है जहां कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी फार्मा कम्पनियों का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह कंपनी संस्थागत कारोबार संबंधी पीपीपी नीति पर भी निर्भर है जहां हमारा ध्यान सरकारी अस्पतालों, राज्य सरकार के अस्पतालों, कॉर्पोरेट, पीएसयू अस्पताल, रक्षा और बीमा पर है। इसमें इस व्यापार क्षेत्र में विस्तार करने और सीपीएसई अस्पताल और बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों पर संकेन्द्रण करते हुए मात्रा में भी वृद्धि करने की क्षमता है।

,xkoV%

यह कंपनी, कृषि उत्पाद डीलर और कृषि विभागध्कृषि उत्पादों के लिए बागवानी पर जोर दे रही है। उत्पादों को पशु चिकित्सा व्यवसायी, किसानों, सभी राज्यों के पशु चिकित्सा विभाग तथा पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए दुग्ध यूनियनों और खाद्य अनुपूरकों पर जोर दिया जा रहा है।

u;s mRikn ¼vk"k/k ,oa ,xkoV½

Ø-l-	mRikn	mipkjkRed J.kh
1	साइफोलेक सस्पेंशन	प्रोबायोटिक
2	फ्लूवेट "पोर ऑन" लिक्विड 30एमएल / 50एमएल / 100एमएल	टिक्स के नियंत्रण के लिए
3	गोमिल्क पॉवर बोलस 4एस	दूध के फैट और एसएनएफ घटकों के संवर्धन हेतु खाद्य अनुपूरण

Hkkoh ;ktuk,%

नई नॉन–पेरेटरल परियोजना प्रक्रियाबद्ध है और वाणिज्यिक उत्पादन जनवरी, 2018 से शुरू होने की संभावना है।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 1.11.2017 को आयोजित अपनी बैठक में केएपीएल में भारत सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश को 'सैद्धान्तिक रूप से' अनुमोदित किया है। डीआईपीएएम ने इस संबंध में दिनांक 13.11.2017 को एक अन्तर–मंत्रालयीय समूह (आईएमजी) का गठन किया है। औषध विभाग ने मूल्यांकन समिति और कम्पनी के रणनीतिक विनिवेश के लिए परिसम्पत्ति मूल्यांकनकर्ता के चयन के लिए दिनांक 20.12.2017 को एक चयन समिति का गठन किया है।

5-6 cxky dfedYl ,M QkekL;fVdYl fyfeVM ¼chlhih,y½

पृष्ठभूमिः

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल), तत्कालीन बंगाल केमिकल एंडफार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड (बीसीपीडब्ल्यू) की स्थापना आचार्य प्रफुल्लचंद्र रॉय, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विद्वान, द्वारा वर्ष 1901 में की गई थी। भारत सरकार ने वर्ष 1980 के बीसीपीडब्ल्यू को वर्ष 1981 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के नाम से राष्ट्रीयकृत कर दिया। इस कम्पनी को वर्ष 1992 में रुग्ण घोषित किया गया और पूर्ववर्ती औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा वर्ष 1995 में इस कम्पनी की पुनरुद्धार संबंधी योजना को मंजूरी दी गई। वर्ष 2004 में, पुनरुद्धार योजना को संशोधित किया गया और बीआईएफआर द्वारा योजना को स्वीकृत किया गया।

dkjkckj lpkyu%

इस कम्पनी का मुख्यालय कोलकाता में है। बीसीपीएल औद्योगिक रसायन (फिटकिरी), ब्रांडेड और गैर–ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयों, केश तेल और फिनोल, नेफथलीन बाल्स, ब्लीचिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर और फर्श क्लीनर जैसे कीटाणुनाशकों के व्यवसाय से जुड़ी है।

fofuek.k LFky% इस समय बीसीपीएल के चार कारखाने हैंरू पश्चिम बंगाल में मानिकतला एवं पानीहाटी, मुंबई और कानपुर।

ekfudryk bdkb% यह इकाई मुख्य रूप उे डिवीजन–ण्ण के उत्पादों का उत्पादन करती है जिनमें ब्रांडेड और गैर–ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयों शामिल हैं। इस कम्पनी ने मनिकतला इकाई की गोलियों, कैप्सूलों और मलहम खण्ड का वाणिज्यिक प्रचालन कोलकाता में शुरू किया है। इन्जेक्टेबल खण्ड का कार्य शुरू किया जा रहा है और यह कम्पनी इसी वित्तीय वर्ष में इन्जेक्टेबल खण्ड से वाणिज्यि उत्पादन शुरू करने योग्य हो जाएगी।

ikuhgkVh bdkb% कोलकाता के पास स्थित पानीहाटी इकाई, मुख्य रूप से प्रभाग–। (फिटकरी) और प्रभाग–।।। उत्पादों का उत्पादन करता है, जिसमें फिनायल, नेफथलीन बाल्स और अन्य कीटाणुनाशक शामिल हैं। अधिकतर नवीकृत उत्पादन ब्लाकों जैसे फिटकरी, नेफथलीन और व्हाइट टाइगर का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है।

e|cb bdkb%मुंबई इकाई 'कैन्थराइडिन' के ब्रांड नाम के तहत केश तेल का उत्पादन करती है। अतिरिक्त स्रोत से आय सृजित करने के लिए विकसित किए गए वाणिज्यिक स्थलों को अन्य पक्षों को पट्टे पर दे दिया गया है।

dkuij bdkb% वर्ष 1949 में स्थापित कानपुर यूनिट मुख्य रूप से डिवीजन–II उत्पादों का उत्पादन करती है जिनमें गोलियां एवं कैप्सूल और छोटी मात्रा में केशतेल शामिल हैं।

io dh miyfC/k;k% इस कम्पनी ने अपने मुश्किल दौर के दौरान भी घरेलू उत्पादों में अपनी ब्रांड स्थिति को बरकरार रखा है और अब इन ब्रांडों को पूंजीकृत करने के लिए सक्षम है।

#X.krk ,o iu#)kj% इस कम्पनी को 1992 में पूर्ववर्ती बीआईएफआर को रेफर कर दिया गया था। सरकार द्वारा दिसम्बर, 2006 में इसके पुनरुद्धार पैकेज को अनुमोदित किया गया था। 440.60 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को अनुमोदित किया गया था जिसमें बीसीपीएल की पुस्तकों पर मौजूदा ऋणों का नवीकरण, पूंजीगत निवेश, विपणन बुनियादी ढांचे और प्रोत्साहन उपायों के विकास के लिए सहायता, दैनिक अनुदान में संशोधन एवं वीआरएस का कार्यान्वयन और गैर–सरकारी देयताओं का भुगतान किया जाना शामिल है। यहां तक कि वर्ष 2006 में कम्पनी के पुनरुद्धार के पश्चात् भी कम्पनी को घाटा होना जारी रहा और इसका प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन वर्ष 2013–14 में तेजी से घट कर 17 करोड़ रुपए तक नीचे आ गया जो वर्ष 1981 में इसके राष्ट्रीकरण से सबसे कम स्तर पर था और इसने वर्ष 2013–14 में 36.37 करोड़ रुपए के घाटे की सूचना दी। तथापि, वर्ष 2016–17 के बाद से कम्पनी के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ और इसने 4.51 करोड़ रुपए के निवल लाभ और 24.05 करोड़ रुपए के सकल मार्जिन की सूचना दी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में भी कम्पनी को निवल लाभ अर्जित करने की आशा है।

l;=k dk vk/kfudhdj.k ¼ljdkjh lgk;rk çkIr ifj;kstuk,a ,o fLFkfr½

(रुपए करोड़ में)

ifj;ktuk	fuos'k	स्थिति
मलहम एवं सामान्य मदें–मानिकतला	29.92	पूरा किया गया और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ
बेटालैक्टम ब्लाक – मानिकतला	33.53	पूरा किया गया और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ
सेफालोस्पोरीन ब्लाक – मानिकतला		
(अब नॉन– बेटालैक्टम ब्लाक)	31.34	पूरा किया जाने वाला
पानीहाटी परियोजना	27.95	पूरा किया गया
कानपुर में ओएसडी परियोजना	34.44	पूरा किया जाने वाला
एएसवीएस – मानिकतला	2.90	निधि के अभाव में रुक गया
पूर्व प्रचालनात्मक व्यय	17.07	-
कुल	177.15	

उत्पाद प्रोफाइल एवं प्रकार (रेंज)

इन प्रत्येक व्यापार क्षेत्र के अन्तर्गत विनिर्मित उत्पाद निम्नानुसार हैं:

çHkkx	fooj.k
प्रभाग ।	• फेरिक एल्यूमीनियम सल्फेट (फिटकिरी)
प्रभाग ।।	• गोलियाँ
	• कैप्सूल
	• तरल मिश्रण
	• मलहम
	• एंटीसेप्टिक लिक्विड
	• इन्जेक्टेबल्स
	• एक्वा टाइकोटिस
	• यूथेरिया
	• कलमेघ
प्रभाग ।।।	• फिनायल
	• ब्लीचिंग पाउडर
	• क्लिनशौचालय
	• लाइसोल
	• कैन्थैरीडाइनहेयर ऑयल
	• नेफथलीन बॉल्स
	• तरल साबुन (औद्योगिक उपयोग के लिए)
	• व्हाइट टाइगर (फ्लोर क्लीनर)
	• एगुरु(एसेन्स)

ykdfç; ckM% फिनायल–लैम्प ब्रांड, व्हाइट टाइगर, नेफथलीन, कैंथरडाइन केश तेल

tu'kfä%

C;kjk	tu'kfä ¼30-11-2017 dh fLFkfr dh vuqlkj½
एग्जीक्यूटिव्स	65
पर्यवेक्षक	62
कर्मचारी	137
कुल योग	264

forj.k ç.kkyh] ;fn dkbZ gk%

11 डीपो और 6 सीएंडएफ एजेन्सियों के साथ इस कम्पनी का सुदृढ़ वितरण नेटवर्क पूरे देश में फैला है।

dk;fu"iknu%

उत्पादन का ब्यौराः वर्ष 2013–14 के बाद से बीसीपीएल का उत्पादन, कारोबार और वित्तीय कार्यनिष्पादन का ब्यौरा इस प्रकार हैः

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2017&18 ¼30 flrEcj 2017 dks lekIr Nekgh½ ¼vufre½	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**	**2013-14**
उत्पादन	37.66	102.69	106.70	64.10	19.70
कारोबार	35.47	85.36	88.19	45.84	17.06
कुल आय	44.48	110.25	112.76	65.53	36.63
सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	11.39	24.05	11.24	1.65	(20.36)
ब्याज व्यय (वित्तीय लागत)	7.41	15.07	16.42	15.36	12.85
मूल्यह्रास	2.52	4.47	3.95	3.61	3.34
निवल लाभ (हानि)	1.47	4.51	(9.13)	(17.32)	(36.55)

Mhihbl dh jfVax%

o"kZ	le>kSrk Kkiu leh{kk	dkiksZjsV ljdkj
2009-2010	खराब	″खराब“
2010-2011	खराब	″खराब“
2011-2012	खराब	″खराब“
2012-2013	खराब	″खराब“
2013-2014	खराब	″खराब“
2014-2015	ÞvPNkß	ÞBhdß
2015-2016	ÞmR—"Vß	ÞmR—"Vß
2016-2017	Þcgqr vPNkß	ÞmR—"Vß

foi.ku % lLFkkuk vkj [knjk dk 'k;j

Ø-l-	çHkkx ,o mRikn	ckt kj çkQkby @ e[; xkgd
1.	प्रभाग I – फैरिक एलम	एनटीपीसी(काहेलगांव एवं बाढ़) सेल(दुर्गापुर, आईआईएससीओ, बोकारो, रिफ्रेक्टरी यूनिट, आईआईएससीओ, चसनाला) बीसीसीएल (बौरा एवं ब्लाक II) आईपीसीएल(फरक्का, सागरडिही, दिसेरगढ़) पीएचई(मालदा, सिलिगुड़ी) अन्य निजी दल
2.	प्रभाग II – जेनेरिक गोलियां, कैप्सूल, मलहम, इन्जेक्शन, तरल	एएफएमएसडी, ईएसआईसी, रेलवे, सेल, डीएचएस, एपीएमएसआईडीसी, अन्य राज्य सरकार, एसईसीएल एवं अन्य पीएसयू
	प्रभाग II – ब्रांड एक्वापाईकोटिस, यूथेरिया, कालमेघ	मुख्य रूप से ओटीसी उत्पाद। व्यापार कारोबार
3.	प्रभाग III – प्रसाधन एवं घरेलू उत्पाद	मुख्य रूप से व्यापार कारोबार (70–75%) और (25 से 30 %) संस्थागत व्यापार जैसे सीएसडी, पीएचई, मैट्रो रेलवे, एनडीएमसी, जादवपुर विश्वविद्यालय आदि

Hkkoh ifj;kstuk,%

एएसवीएस परियोजनारू यह कम्पनी एएसवीएस परियोजना को शुरू करने की योजना बना रही है क्योंकि यह उत्पाद अपेक्षित मात्रा में इस समय देश में उपलब्ध नहीं है क्योंकि सरकारी क्षेत्र की दोनों यूनिटों अर्थात बीसीपीएल और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ने पिछले 10 वर्षों से एएसवीएस का उत्पादन बंद कर दिया है। निधियों की अनुपलब्धता और साथ ही परियोजना लागत में वृद्धि होने के कारण यह परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। आज की स्थिति के अनुसार एएसवीएस ब्लॉक की कुल परियोजना लागत 31.00 करोड़ रुपए है।

मंत्रिमंडल ने 28 दिसम्बर, 2016 को खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से सरकारी एजेन्सियों को कम्पनी की अधिशेष भूमि की बिक्री करके इसकी सभी देनदारियों को पूरा करने के पश्चात् इसके रणनीतिक विनिवेश का निर्णय लिया है। इस विषय में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

5-7 jktLFkku MXl ,.M QkekL;fVdYl fyfeVM ¼vkjMhih,y½

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) संयुक्त क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक यूनिट है जिसमें 4.98 करोड रुपए की प्रदत्त इक्वीटी पूंजी है जहां भारत सरकार एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि. (रीको, राजस्थान सरकार) की क्रमशरू 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत इक्विटी है। इसे वर्ष 1978 में

निगमित किया गया था और वाणिज्यिक उत्पादन 1981 में शुरू हुआ। कम्पनी की अपनी विनिर्माण सुविधाएं हैं और रोड संख्या 12, वी.के. आई औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) में इसका पंजीकृत कार्यालय है।

यह कम्पनी अक्तूबर, 2016 में जयपुर स्थित इसके संयंत्र में आग लगने की घटना से उत्पादन नहीं कर रही है।

इस कंपनी के पास आधुनिक उपकरणों जैसे एचपीएलसी, एफटीआईआर आदि से लैस एक सुसज्जित प्रयोगशाला है जिससे उच्च गुणवत्ता मानदंड सुनिश्चित होते हैं।

यह कंपनी राजस्थान सरकार, केन्द्र सरकार के संस्थानों अर्थात् ईएसआईसी, रक्षा, रेलवे, अन्य पीएसयू और साथ ही अन्य राज्य सरकारी संस्थानों को वहनीय दरों पर उच्च गुणवत्ता की दवाइयों के विनिर्माण एवं बिक्री कार्यों से जुड़ी है। आरडीपीएल द्वारा 'जन औषधि' कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दवाइयों की आपूर्ति की गई थी, जिसके अन्तर्गत बड़े पैमाने पर देश में सस्ती कीमतों पर जनता को गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

mRiknu ,oa fcØh dk;fu"iknu

(करोड़ रुपए में)

o"k	mRiknu	fcØh
2013-2014	54.93	43.51
2014-2015	25.04	24.90
2015-2016	39.78	36.53
2016-2017 (अक्तूबर 2016 तक)	3.77	6.97

mRikn çkQkby%

कंपनी निम्नलिखित उत्पादों में डील कर रहा है।

- एंटी–बायोटिक
- एंटी–मलेरिया
- एन्टैसिड्स
- एनलजैस्टिक, एंटीपायरेटिक एवं एंटी–इन्फ्लेमेटरी
- एंटी–एमेटिक्स
- एंटी–स्पासमोडिक्स

- एंटी–डायरिया/एंटी–एमीबिक
- कफ एक्सपैक्टोरेंट
- एंटी–एलर्जिक
- एंटी–बैक्टीरियल
- एंटी–फंगल
- विटामिन एवं मिनरल
- नेत्रचिकित्सा संबंधी सम्मिश्रण
- ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ओआरएस)
- एंटी–रेट्रोवायरल
- एंटी–हाइपरटैंशन

Hkfo"; dh ifj;kstuk,a

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 28.12.2016 के निर्णय के अनुसार आरडीपीएल को बंद करने हेतु इसकी देनदारियों को चुकाने के लिए यथावश्यक मात्रा में इनकी अधिशेष भूमि की बिक्री खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से सरकारी एजेन्सियों को की जाए और बकाया देयताएं बिक्री की प्रक्रिया से चुकाई जाएं। इन पीएसयू को बंद किए जाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) को भी कार्यान्वित किया जाए। शेष भूमि का प्रबंधन निवेश एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के यथासंबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यकता हो तो इसे विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के लिए विहित किया जाए। देनदारियों को चुकाने के पश्चात् तुलन पत्र को निर्बाध किया जाए और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)ध स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) को कार्यान्वित किया जाए।

मैसर्स एमएसटीसी लि. को दिनांक 19.04.2017 आरडीपीएल की ई–निलामी के लिए निलामी एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। एमएसटीसी ने भूमि की निलामी के लिए प्रमुख अखबारों में दिनांक 16.05.2017 को विज्ञापन जारी किए। ई–निलामी का नोटिस 04.09.2017 को जारी किया गया। दिनांक 18.05.2017 को केन्द्र सरकारध्राज्य सरकार के संस्थानोंध्प्रमुख पीएसयूधवित्तीय संस्थानों से भूमि की बोली लगाने का अनुरोध किया गया।

कुछ कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई याचिका में, जयपुर स्थित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भूमि की बिक्री की निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

अध्याय 6

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

6.1 पृष्ठभूमि

6.2 नाईपर, मोहाली

6.3 नाईपर, हैदराबाद

6.4 नाईपर, गुवाहाटी

6.5 नाईपर, अहमदाबाद

6.6 नाईपर, कोलकाता

6.7 नाईपर, हाजीपुर

6.8 नाईपर, रायबरेली

अध्याय 6
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

6-1 i"BHkfe

1. भारतीय फार्मा उद्योग जेनेरिक दवाओं में एक वैश्विक अग्रणी रहा है। दवाओं की खोज और विकास में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए और सम्मिश्रणों में उत्कृष्टता प्राप्त करना जारी रखने के लिए सरकार ने स्वीकार किया कि मानव संसाधन/ प्रतिभा पूल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, भारत सरकार ने सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एसएएस नगर, मोहाली में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) की स्थापना की, बाद में संस्थान को संसद के एक अधिनियम, नाईपर अधिनियम, 1998 के द्वारा सांविधिक मान्यता दी गई और नाईपर को राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया।

2. वर्ष 2007–08 के दौरान, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में मेंटर संस्थानों की मदद से छह नए नाईपर शुरू किए गए। इसके बाद वर्ष 2012 में मदुरै में एक नाईपर की मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री ने वर्ष 2015–16 के दौरान अपने बजट भाषण में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के लिए 3 नए नाईपर की घोषणा की। ब्यौरे इस प्रकार है:–

ukbiij	eVj lLFkku	'k{kf.kd l= dk çkjfHkd o"k	Hkfe@fuekZ.k dh fLFkfr
मोहाली	–	1998	नाईपर, मोहाली का स्वयं का परिसर 129.25 एकड भूमि है।
अहमदाबाद	–	2007	60 एकड भूमि आबंटित की गई है और हिन्दुस्तान स्टीलवर्क कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएससीएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में चुना गया है। निधि की कमी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। नाईपर, अहमदाबाद को गांधी नगर, गुजरात में सरकार द्वारा आबंटित भूमि पर अस्थायी रूप से निर्मित भवन में शिफ्ट किया गया। भवन निर्माण के लिए नीव दिसम्बर, 2015 को डाली गई थी।

ukbij	eVj lLFkku	'k{kf.kd l= dk çkjfHkd o"k	Hkfe@fuek.k dh fLFkfr
गुवाहाटी	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी	2008	नीव का पत्थर मई, 2015 को रखा गया था। 89 एकड़ भूमि आबंटित की गई है और इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड (ईपीआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में चुना गया है। निर्माण जून, 2015 में शुरू किया था, हालांकि निधि की कमी के कारण निर्माण में देरी हो गई है। अब तक, 37 प्रतिशत निर्माण कार्य खत्म हो गया है।
हाजीपुर	आईसीएमआर – राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आरएमआरआईएमएस –पटना)	2007	बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 12.5 एकड़ भूमि को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।
हैदराबाद	सीएसआईआर – भारतीय राष्ट्रीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	2007	50 एकड़ भूमि आबंटित की गई है और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में चुना गया है। निधि की कमी के कारण निर्माण शुरू नहीं किया गया।
कोलकाता	सीएसआईआर – भारतीय राष्ट्रीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता	2007	भूमि अभी तक आबंटित नहीं हुई है। मामला पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठाया गया है। वैकल्पिक रूप से रणनीतिक बिक्री के अंतर्गत विभागीय पीएसयू की 25 एकड़ भूमि की अधिशेष भूमि का इस्तेमाल किया जा सकता है।
रायबरेली	सीएसआईआर – केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	2008	45 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। पीएमसी, अभी तय करना है। निधि की कमी के कारण निर्माण शुरू नहीं हुआ।
मदुरै	स्थापित किया जा रहा हैं।	-	मई, 2013 में तमिलनाडु, सरकार द्वारा 100 एकड़ भूमि आबंटित की गई है।
छत्तीसगढ़ (नया रायपुर)	स्थापित किया जा रहा हैं।	-	छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि रायपुर में पहले से ही चयनित साइट पर सिर्फ 35 एकड़ भूमि उपलब्ध है। उन्होंने नाईपर के लिए 63 एकड़ और 116.94 एकड़ भूमि की 2 अलग–अलग साइट का सुझाव दिया है। निर्णय अभी लिया जाना है।
महाराष्ट्र (नागपुर)	स्थापित किया जा रहा हैं।	.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा 24.52 हेक्टेयर भूमि (61 एकड़) को मापने के लिए आबंटित किया गया है।
राजस्थान (झालावार)	स्थापित किया जा रहा हैं।	.	राज्य सरकार द्वारा 100 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। मार्च, 2017 में अधिग्रहणध्पट्टे का समझौता पूरा हुआ। निधि की कमी के कारण निर्माण शुरू नहीं हुआ।

3. नाईपर के लक्ष्य एवं उद्देश्यः–

I. औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता को बनाए रखना एवं उनका संवर्धन करना;

II. औषध शिक्षा में मास्टर डिग्री, डॉक्टरेल और पोस्टर डॉक्टेरल अग्रेणी पाठयक्रमों के लिए ध्यान केंद्रित करना;

III. परीक्षाओं का आयोजन और डिग्री प्रदान करना;

IV. मानद पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करना;

V. शिक्षा या अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना जिनका उद्देश्य पूरी अथवा आंशिक रूप से उन संस्थानों के साथ संकाय सदस्य और स्कोलरों का आदान–प्रदान आम तौर से इस प्रकार करना है जो उनके समान उद्देश्य के अनुकूल हो।

VI. शिक्षक, औषधि प्रौद्योगिकी, समुदाय और अस्पताल फार्मासिस्ट और अन्य व्यवसायों के लिए पाठयक्रम का आयोजन;

VII. देश और विकासशील देश में अन्य संस्थानों के लिए अपनी तरह के सूचना केंद्र को विकसित करने के लिए औषध और संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विश्व साहित्य को एकत्र और रख रखाव करना;

VIII. संस्थान के अंदर और बाहर अनुसंधानों द्वारा औषध उपकरण और उपयोग के लिए विश्लेषण का केंद्रीय संकाय बनाना;

IX. कला या विज्ञान या औषध शिक्षण में प्रयोग और नई खोज एवं शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र की स्थापना करना;

X. राष्ट्रीय, शैक्षिक व्यवसाय और औद्योगिक प्रतिबद्धताओं पर ध्यान देने के साथ औषधि क्षेत्रों में मौजूदा जानकारी के नए ज्ञान और विद्यमान सूचना के प्रसार के लिए एक विश्व स्तर केंद्र विकसित करना;

XI. अनुसंधान और औषधीय जनशक्ति के प्रशिक्षण हेतु बहु–विषयक दृष्टिकोण विकसित करना है ताकि शैक्षिक व्यवसाय और औषध उद्योग के व्यापक हितों की बेहतर तरीके से देख–रेख की जा सके और औषधीय कार्य–संस्कृति विकसित की जा सके जोकि औषधीय शिक्षा और अनुसंधान के बदलते वैश्विक परिदृश्य और पद्धति के अनुसार हो।

XII. समय–समय पर औषध शिक्षा के चयनित क्षेत्रों में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, सेमीनार और सम्मेलनों का आयोजन करना;

XIII. विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं के लिए पाठयक्रम प्रदान करने हेतु प्रबंध करना;

XIV. संस्थान द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान के साथ ही साथ परामर्शी परियोजनाओं और प्रायोजित उपक्रम द्वारा और

संस्थान एवं उद्योग और संस्थान के बीच वैज्ञानिक के आदान–प्रदान और अन्य तकनीकी स्टाफ द्वारा शैक्षिक और उद्योग के बीच बातचीत के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना;

XV. देश में सामाजिक–आर्थिक पहुँच पर ध्यान रखने के कारण ग्रामीण जनता द्वारा दवाओं के वितरण और उपयोग पर अध्ययन करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है;

4. शैक्षणिक सत्र, 2018–19 के साथ, मास्टर पाठ्यक्रम के लिए सभी नाईपर में, छात्रों को ग्रेजुएट फार्मा एप्टीटयूड टेस्ट (जीपीएटी) परीक्षा स्कोर के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। पीएचडी के लिए दाखिला लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार और कांउससिंग के आधार पर किया जाएगा। एम फार्मा छात्रों को 12,400/– रुपए प्रति माह और पीएचडी छात्रों को 25000/– 28000/– रुपए प्रति माह वजीफा का भुगतान किया जाना है।

5. सभी मौजूदा नाईपर, नाईपर, मोहाली को छोड़कर, वर्तमान में सचिव, औषध विभाग की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति से संचालित हैं। नाईपर मोहाली, के पास अपना स्वयं का शासी मंडल है। सभी नाईपर, सिवाय नाईपर, हैदराबाद और नाईपर, हाजीपुर को छोड़कर, के पास नियमित निदेशक है। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं।

6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशलन इंस्टीटयूशनल रैंकिग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ), 2017 के अनुसार, देश में फार्मेसी कॉलेजों में, से देश में नाईपर मोहाली को दूसरा स्थान और नाईपर, हैदराबाद को 5वां स्थान दिया गया है।

7. नीति आयोग ने हाल ही में मौजूदा नाईपरों का मूल्यांकन किया है और उपयुक्त रोडमैप की सिफारिश की है। आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया है और नाईपर की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के लिए प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।

8. 13.12.2017 को आयोजित अंतिम स्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है। इसके अलावा, नाईपर, आत्म निर्भर हो तथा उनके कुल व्यय का कम से कम 1/3 पूरा करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त भूमि तथा प्रयोगशाला निर्माण आदि सहित नाईपर के पास सभी उपलब्ध संसाधनों को निधियों का सृजन करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं प्रभारित की जानी चाहिए तथा सालाना संशोधित किया जाना चाहिए।

9. स्थापना से, 4655 छात्रों की कुल संख्या (एम फार्मा–3905, 486–एमबीए (फार्मा), 264–पीएचडी) उत्तीर्ण हुए हैं, उद्योगों के साथ 30 से ज्यादा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए 15 पेंटेट दायर किए गए सात मौजूदा नाईपरों द्वारा लगभग 2462 शोध पत्र विभिन्न प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित हुए हैं।

10. उद्योगों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का विवरण निम्नानुसार है:–

Ø-l-	ukbij	le>krk Kkiu ij gLrk{kj dh l[;k	m|kx dk uke
1	मोहाली	11	1. सन फार्मा 2. पैनैसिया बायोटेक 3. वॉकहॉर्डट 4. मेडली फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 5. त्रिपाटी मेडिकल लिमिटेड 6. क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 7. सेलेस्टे लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, आदि
2	गांधीनगर	05	1. कैडिला फार्मास्युटिकल, 2. कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, 3. सहजहाद लेजर टेक, 4. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड 5. जॉनसन एंड जॉनसन
3	गुवाहाटी	02	1. कर्नाटक एंटीबॉयोटिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 2. एनएटीसीओ फार्मा
4	हाजीपुर	04	1. बंगाल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कोलकता आदि
5	हैदराबाद	13	1. डॉ. रेड्डी लैब 2. भारत बायोटेक 3. एनएटीसीओ, आदि
6	कोलकाता	04	1. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड 2. सैनोफी इंडियन लिमिटेड 3. आईआईटी मद्रास और 4. राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान
7	रायबरेली	05	1. भारतीय ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड, 2. संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मैडिकल साईंसिस एंड रिसर्च, 3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 4. दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, 5. सुगंध और स्वाद विभाग केंद्र

11. फाइल किए गए पेटेंट / प्रकाशित शोध पत्र / उद्धरणों आदि का विवरण निम्नानुसार हैः–

Ø-l-	ukbZij	ntZ fd, x, iSVsaV dh la[;k	çdkf'kr 'kks/k i=ksa dh la[;k	iqLrd v/;k;@m)j.k@ lEesyu lkj dh la[;k
1	मोहाली	07	-	–
2	गांधी नगर	07	613	10869 (उद्धरण)
3	गुवाहाटी	शून्य	112	–
4	हाजीपुर	शून्य	-	–
5	हैदराबाद	05	87	1674 (उद्धरण)
6	कोलकाता	शून्य	81	04(सार)
7	रायबरेली	शून्य	34	04(किताब पृष्ठ)

6-2 ukbZij] eksgkyh

नाईपर मोहाली को न केवल देश में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए औषध विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए इसको अवधारित, योजित तथा स्थापित किया गया है। इसे संसद के एक अधिनियम के जरिए राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। यह संस्थान अपने क्षेत्र में अपनी तरह का केवल एक ही संस्थान है और इसके अच्छे परिणामों–नामतः अच्छी तरह से प्रशिक्षित और मानव संसाधन (छात्र/अनुसंधानकर्त्ता) पर केंद्रित कार्य करने, उच्च प्रभाव तथा नवीन प्रक्रियाओं का प्रकाशनध्इसके द्वारा चयनित क्षेत्रों में औद्योगिक प्रांसगिकता के आउटपुट संबंधी कार्यों के कारण यह बहुत अधिक सम्मानित है। नाईपर, मोहाली में एक परिसर है जो 10 विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें तीन छात्रवास छात्रों और एक छात्रावास छात्राओं और एक छात्रवास इकाई विवाहितों के लिए और नाईपर स्टाफ के लिए 133 क्वार्टर हैं। एक शासी मंडल का गठन किया गया है ताकि इसकी कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण किया जा सके। नाईपर, 15 धाराओं में स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्री प्रदान करता है और औषध उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है।

1- miyfC/k;k¡

वर्ष 2017 में, संस्थान ने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 63 (अक्तूबर, 2017 तक) लेख प्रकाशित किए हैं। नाईपर ने वर्ष 2017–18 में 04 पेटेंट दायर किए (31 अक्तूबर, 2017 तक) और 56 पेंटेट को अनुमोदित किया गया है। शैक्षिक कार्यक्रम की शुरुआत से (1 नवम्बर, 2017 तक), 2968 छात्रों (मास्टर्स 2169, एमबीए में 529 और पीएच.डी. 270) ने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया है।

vuqla/kku

¼d½ mifpkr chekfj;k – तपेदिक, लीशमेनियासिस और मलेरिया के क्षेत्रों में शोध किए गए। नए अणु संश्लेषित किए जा रहे हैं और उनके कार्रवाई तंत्र बनाए जा रहे हैं।

¼[k½ vU; jkx– इंफ्लेमेशन, संक्रमण, कैंसर, मधुमेह, न्यूरो अवक्षय जैसी बीमारियों मे उपापचय मार्ग से काम किया जा रहा है।

¼x½ nok fodkl vkj fuekZ.k– मौखिक जैव उपलब्धता, सिनरजिस्टिक कैंसर–रोधी प्रभावकारिता और दवाओं की कम विषाक्तता का सुधार करने का प्रयास किया गया है। नए सम्मिश्रण विकसित किए जा रहे हैं।

¼?k½ vU; {ks= – दवाओं के केमो – एंजायमेटिक संश्लेषण

(i) हर्बल्स पर मोनोग्राफ विकसित किया जा रहा है।

(ii) मिसफोल्डेड प्रोटीन का स्थिरीकरण पर आरएनए एप्टामर्स के प्रभाव का अध्ययन

(iii) न्यूरोपैथिक दर्द निदान करने के लिए एक उचित और विश्वसनीय विधि का आकलन

2- 'kS{kf.kd vkSj xSj&'kS{kf.kd LVkQ%&

जन शक्ति	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति	रिक्ति
शैक्षणिक	61	29	32
गैर–शैक्षणिक	224	130	94

3. पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल निधियों का आवंटन

(करोड़ रुपए में)

o"kZ	vkcafVr ctV vuqeku	vkcafVr la'kksf/kr vuqeku	dqy fueqZfä
2013-14	35.57	19.20	19.20
2014-15	37.03	20.92	20.87
2015-16	47.48	37.27	37.27
2016-17	27.49	27.48	27.48

4- Nk=

प्रवेश की स्थिति के साथ डिग्री/कार्यक्रम और पेशकश किए गए विषय (वर्ष के साथ)

ekLVl@ M,DVjy Lrj	fMxh ,e,l@,ech, @,e Vd@ ih,pMh	fo"k;	çoš'k fn, x, Nk=kš dh la[;k	
			2016-17	2017-18
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषधीय रसायन शास्त्र	43	32
डॉक्टेरल	पीएचडी		05	08
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोइन्फोर्मेटिक्स	19	16
डॉक्टेरल	पीएचडी		01	02
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	प्राकृतिक उत्पाद	15	12
डॉक्टेरल	पीएचडी		01	02
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	पारंपरिक औषध	5	4
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्मास्युटिकल विश्लेषण	9	9
डॉक्टेरल	पीएचडी		0	01
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी	23	24
डॉक्टेरल	पीएचडी		06	03
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	रेगुलेटरी टोक्सीकोलोजी	10	9
मास्टर्स	एम टेक (फार्मा)	फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी (सम्मिश्रणों)	7	6
डॉक्टेरल	पीएचडी		0	0
मास्टर्स	एम टेक (फार्मा)।	फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया रसायन शास्त्र)	16	16
डॉक्टेरल	पीएचडी		0	02
मास्टर्स	एम टेक (फार्मा)	फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी (बायोटैक्नोलॉजी)	10	10
डॉक्टेरल	पीएचडी		0	0
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्मास्युटिक्स	17	19
डॉक्टेरल	पीएचडी		06	06
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	जैव प्रौद्योगिकी	31	32
डॉक्टेरल	पीएचडी		02	07
मास्टर्स	एम.फार्मा	फार्मेसी प्रैक्टिस	7	8
डॉक्टेरल	पीएचडी		01	02
मास्टर्स	एम.फार्मा	नैदानिक अनुसंधान	8	8
मास्टर्स	एमबीए (फार्मा)	फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट	40	42

5- f'k{kd&Nk= vuqikr

ikBîØe	vuqikr
पीएच.डी.	(एस–120 : एफ 27) अर्थात् 4.4:1
मास्टर्स (विज्ञान)	416:27
एमबीए (फार्मा)	78:3

*अतिथि संकाय सदस्य भी कक्षा लेते हैं।

6- fu;kstu%

पिछले 2 वर्ष की नियोजन स्थिति : कैंपस के अंदर/बाहर

बैच	नियोजित छात्रों की कुल संख्या	कैम्पस प्लेसमेंट	उच्च अध्ययन
2014-16	142	142	N.A.
2015-17	154	154	35

एन. ए. : आकंड़े उपलब्ध नहीं हैं

7- uopkj@Kku gLrkarj.k

(i) पेटेंट और व्यावसायीकरणरू 183 (दायर) / 56 (स्वीकृत)/08 (लाइसेंसीकृत)

(ii) उद्योग से अर्जित अनुसंधान आय: 20 लाख रुपए (वर्ष 2017–18 की प्राप्तियों, आज तक)

(iii) प्रति संकाय प्रशस्ति पत्ररू 798 (वर्ष 2016, आज तक)

8. हाल ही में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनः

14.08.2017	जीव विज्ञान विभाग, काकतिया विश्वविद्यालय
19.08.2017	इंडो सोवियत फ्रेडशिप कॉलेज ऑफ फार्मेसी (आईएसएफसीपी) मोगा
04.10.2017	सीएसआईआर–आईएम टेक
24.10.2017	आयुर्वेद लिमिटेड, नई दिल्ली
12.09.2017	औषध विज्ञान विभाग, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर

9- lLFkku dh vxzrk

(i) एनआईआरएफ एमएचआरडी, 2017 रैकिंग में श्रेणी फार्मेसी में रु 2 स्थान दिया गया

(ii) शीर्ष 100 भारतीय अन्वेषक कंपनी और अनुसंधान संगठन (वर्ष 2014) के रूप में मान्यता प्राप्त (थॉम्पसन रायटर)

(iii) कैरियर 360 पत्रिका (आउटलुक समूह) द्वारा एएएए श्रेणी के साथ देश के चार संस्थानों में से एक (मार्च 2014) के रूप में मान्यता

(iv) अपने नागरिकों को बोलाशक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कजाकिस्तान सरकार द्वारा औषध विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्थानों (संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा) के रूप में चुना

10- ukbZij dk çHkko

नाईपर, मोहाली की सफलता ने भारत सरकार को दवा क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश भर में और अधिक नाईपर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, नाईपर आईटीईसी–एससीएएपी, क्षमता निर्माण कार्यक्रम (विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित) और एसएमपीआईसी के तहत भारत और विदेशों से कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आईडीपीएल, बीसीपीएल, एचएएल, आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण में भागीदारी इत्यादि।

छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों (एसएमई) के लिए प्रदत्त प्रशिक्षण और विश्लेषणात्मक सेवाएं: एसएमई केंद्र की स्थापना।

''अन्वेषणात्मक नव औषध'' (आईएनडी) अनुप्रयोग मूल्यांकन समिति के सदस्य

भारतीय फार्माकोपिया में संशोधन समिति के सदस्य

भारत की आयुर्वेदिक फार्माकोपिया को मोनोग्राफ का योगदान

डब्ल्यूएचओ द्विवार्षिक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) की कार्य योजना के अंतर्गत ''भारत में जेनरिक दवा पर विशेष ध्यान देते हुए दवा की कीमतों पर ट्रिप्स का प्रभाव'' विषय पर अध्ययन किया।

11- lLFkku }kjk vk;ksftr lekjksg @ dk;Z'kkyk,a

14 जून, 2017	शिमला में निदेशक, नाईपर, एसएएस नगर, द्वारा रसायन एवं उर्वरक की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण
07 जुलाई 2017	मिस्र से प्रोफेसर अब्दौ साद अल–तबल और डॉ. मौशीरा मोहम्मद का सहयोगी अनुसंधान के लिए नाईपर का दौरा किया
01–14 सितम्बर, 2017	हिंदी पखवाड़ा
25 सितम्बर 2017	विश्व फार्मासिस्ट दिवस
14 अक्तूबर, 017	9वीं दीक्षांत समारोह
27अक्तूबर, 2017	संयुक्त संगोष्ठी 'नाईपर–शिजुओका विश्वविद्यालय जापान'
October 31, 2017	National Unity Day

Some photographs:

छात्र संस्थान के 9वें दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्रियां प्राप्त करते हुए

संस्थान के रसायन एवं उर्वरक से संबंधी संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यों का दौरा

संयुक्त संगोष्ठि नाईपर–शिजुओका विश्वविद्यालय, जापान

डॉ. मधु दीक्षित, निदेशक, सीआईएसआईआर सीडीआरआई, लखनऊ को एस्ट्रैजेका ओरेशन पुरस्कार दिया जा रहा है।

विश्व फार्मासिस्ट दिवस

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

6-3- ukbij] gnjkckn

नाईपर हैदराबाद ने भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, सीएसआईआर, हैदराबाद की मेंटरशिप के अंतर्गत वर्ष 2007 में कार्य प्रारंभ किया। शासी मंडल, की अनुपस्थिति में सचिव (औषध) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति नाईपर, हैदराबाद के नीति संबंधी मामलों की देख रेख करती है। डॉ. एस चन्द्र शेखर, निदेशक सीएसआईआर–आईआईसीटी इसके 03 नवम्बर, 2016 से अब तक परियोजना निदेशक हैं।

1- miyfC/k;k

उत्तीर्ण स्नातोत्तर छात्र	:	707
पीएचडी पाठयक्रम के छात्र	:	79
प्रदान डाक्टोरेल डिग्री	:	22
पेटेंट (दायर)	:	12
अनुसंधान प्रकाशन	:	450
स्वीकृत बाहरी प्रयोजना अनुसंधान परियोजना	:	29

2- fiNys pkj o"kZ dS nkSjku ljdkj }kjk dqy vkoaVuA

(करोड़ रूपए में)

o"kZ	ctV vuqeku	l'kkf/kr vuqeku	dqy fueqZDr jkf'k
2014-15	22.00	14.17	14.17
2015-16	35.00	35.00	35.00
2016-17	35.00	35.00	35.00
2017-18	20.00	30.00	20.00

3- f'k{kd & Nk= vuqikr

संकाय : छात्र अनुपात 1:10 होना चाहिए परंतु कुछ विभागों में 1:15 का अनुपात है

4- fu;kstuh;rk@fu;kstu dh fLFkfr:

i. कंपनियां वर्ष–वार परिसर चयन/नियोजन में भाग लेती हैं।

प्रत्येक वर्ष छात्र नोवर्टिस, बायोकॉन, डा. रेड्डी, जीवीके, माइलान, अस्ट्राजेनेका, शसुन, लुपिन, अरविंदो बायोलाजिकल ई आदि जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में नियोजित किये जाते हैं।

ii. पिछले कुछ वर्षों में कैम्पस छात्रों के नियोजन की स्थिति परिसर में/परिसर के बाहरः

वर्ष	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
कैंपस में नियोजन (प्रतिशत में)	91	88	85	82	82	80	83

5- f'k{kd

संस्थान में कुछ प्रतिभावान और समर्पित संकाय सदस्य हैं जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से आए हैं और उन्हें विशेषज्ञों में डॉक्टरेट के रूप में विदेश में अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त है।

l ldk; dh ekU;rk

M,- p- uohu, प्रवक्ता, औषध विभाग, नाईपर, हैदराबाद, को तेलंगाना विज्ञान अकादमी (टीएएस) द्वारा वर्ष 2016 के लिए 'युवा वैज्ञानिक' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

6- led{k leh{kk ç.kkyh

संकाय सदस्यों के निष्पादन का आकलन आवधिक आधार पर किया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा आकलन छात्रों के फीडबैक, शोध गतिविधियों के आउटपुट और संस्थानिक विकास में योगदान पर आधारित होता है।

7- ey vuql/kku {ks= :

- एकीकृत औषध खोज एवं उत्पाद विकास कार्यक्रम
    - क) कैंसर, सूजन और प्रजनन संबंधित रोग
    - ख) मधुमेह और अन्य उपापचय संबंधी विकार
    - ग) संक्रामक रोग
    - घ) सोरायसिस
- इन विट्रो और विवो स्क्रीनिंग में
- एनसीई, बल्क ड्रग्स और मध्यवर्ती के लिए नवीन प्रक्रिया का विकास
- विश्लेषणात्मक तरीकों का विकास, अशुद्धता प्रोफाइलिंग और स्थिरता अध्ययन
- ठोस अवस्था की विशेषताएं

8- ijLdkj

(क) श्री डेविड पॉल अनुसंधान वैज्ञानिक, औषध विश्लेषण विभाग को उच्च निष्पादन तरल अवस्था विभेद और इससे संबंधित तकनीकी (एचपीएलसी, 2017)) 18–22 जून, 2017 पेग, चेक गणराज्य पर 45वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठि में प्रो.

फ्रानटिसेक शेक (मुख्य संपादक–पृथक्करण विज्ञान के पत्रिका विले) द्वारा केलफोनिया सेपरेशन साइंस सोसाइटी (सीएएसएसएस) पुरस्कार प्रदान किया गया।

(ख) श्री अनिल कुमार कालवाला, अनुसंधान वैज्ञानिक, फार्मोकोलोजी एवं टोक्सीकोलोजी, को 9 सितम्बर, 2017 को पुर्तगाल, कोइम्बा में आयोजित सम्मेलन में द डायबिटीज न्यूरोपैथी स्टडी ग्रुप ऑफ द यूरोपियन एसोसिएशन फार द स्टडी ऑफ डायबिटीज (ईएएसडी) (एनईयूआरओडीआईबी–2017) के 27वीं वार्षिक बैठक में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर यंग इन्वेस्टिगेटर का पुरस्कार प्राप्त किया है।

9- uokpkj@Kku vrj.k

(i) पेटेंट एवं वाणिज्यीकरण – कैंसर औषध खोज के क्षेत्र में 12 पैटेंट दायर किए हैं

सम्मिश्रण विकास और विश्लेषणात्मक पद्धति का विकास

(ii) उद्योग से अर्जित अनुसंधान आय – 22 लाख

(iii) प्रति संकाय प्रशस्ति पत्र – प्रति संकाय औसतन 320 प्रशस्ति पत्र

10- ukbij dk çHkko %

औषध विज्ञानों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करके उत्कृष्ट मानव संसाधन का सृजन जो भेषज उद्योग के विकास में मदद करेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वांच्छित क्षेत्रों पर फोकस उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान के रूप में काम कर रहा है। फार्मा क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं को दूर करने के लिए शैक्षिक एवं औद्योगिक साझेदारियों का निर्माण कर रहा है और देश में औषध उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए औषध उत्पादक मानव संसाधन व्यावसायिकों का उत्पादन करना है।

11- lLFkku }kjk fd, x, fofHkUu dk;Øe@dk;'kkyk,% &

एनआईपीईआर हैदराबाद की घटनाओं के कुछ चित्रः

संविधान दिवस प्रतिज्ञा

डॉ. एस. चन्द्रशेखर, निदेशक, स्थापना दिवस समारोह में संबोधित करते हुए

नाईपर फार्मा – उद्योग बैठक

महिला दिवस समारोह

5 वां दीक्षांत समारोह

13.12.2017 को सचिव (फार्मा) की अध्यक्षता में आयोजित नाईपरों, की संचालन समिति की बैठक

6-4- ukbZij xqokgkVh

नाईपर, गुवाहटी ने मेंटर संस्थान गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी, असम के अंतर्गत वर्ष 2008 में कार्य प्रारंभ किया। संस्थान ने 01 अगस्त, 2017 से एनआईटीएस–मिर्जा कैंपस से कार्य करना प्रारंभ किया। शासी मंडल की अनुपस्थिति में सचिव (औषध) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति संस्थान के नीति संबंधी निर्णय लेती है। डॉ. यू.एस.एन. मूर्ति ने 3 नवम्बर, 2016 से संस्थान के निदेशक का कार्यभार संभाला है।

1- miyfC/k;k¡

क. पीएचडी – 25 (पंजीकृत), डिग्री से सम्मानित – 08,

ख. कुल एमएस (फार्मा) (स्थापना के प्रारंभ से), पंजीकृत छात्रों की संख्या – 324

स्नातक – 248 (74 छात्र वर्तमान में अपने पीजी पाठ्यक्रम कर रहे हैं)

ग. स्नातक छात्रों में से अधिकांश छात्रों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ६ संस्थानों में पीएच.डी. में दाखिला मिल गया। शेष अन्य छात्रों को विभिन्न फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज और कंसल्टेंसी यथा–नोवार्टिस, नोवो नोर्डिस्क, बॉयोकोन, क्वीनटिल्स आदि में नियोजित कर लिया गया है।

घ. प्रकाशनः कुल 112 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं जिनमें से 20 लेख विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में वर्तमान वर्ष में प्रकाशित किए गए है।

ङ. नए परिसर में शैक्षणिक ब्लॉक, टाइप–ƒƒ क्वार्टर और लड़कियों के छात्रावास के लिए आरसीसी निर्माण कार्य।

2- ldk; vkj LVkQ d C;kj

प्रशासनिक स्टाफ : 7

शैक्षणिक स्टाफ : सहयोगी प्रोफेसर–02, सहायक प्रोफेसर–03 व्याख्याता 01

स्टाफ : तकनीकी–05

बहुकार्य स्टाफ–12

3- fiNy 4 o"kk d nkjku ljdkj }kjk dy vkoVu

(रुपए करोड़ में)

o"k	ctV vuqeku	l'kkf/kr vuqeku	dy fuefä
2013-14	18.8	3	2.88
2014-15	21	4	3.91
2015-16	21	21	21
2016-17	19.50	26.27	26.27

4- Nk=

i) डिग्री/कार्यक्रम और विषय (वर्ष के साथ)

ekLV l@M,DVjV dk Lrj	mikf/k ,e,l@ ih,pMh	f'k{k.k fo"k;	o"k	
			2016-17	**2017-18**
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोलोजी और टोक्सिकोलोजी	20	20
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	जैव प्रौद्योगिकी	7	9
मास्टर्स	एम फार्मा	फार्मेसी प्रैक्टिस	8	10
डॉक्टरेट	पीएचडी	फार्माकोलोजी और टोक्सिकोलोजी	2	2
डॉक्टरेट	पीएचडी	जैव प्रौद्योगिकी	2	1
डॉक्टरेट	पीएचडी	फार्मेसी प्रैक्टिस	1	1

5- f'k{kd&Nk= vuqikr%

जैव प्रौद्योगिकी	:	1:10
फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलीजी	:	1:20
फार्मेसी प्रैक्टिस	:	1:10

6- fu;kT;rk@fu;qfä fLFkfr:

शैक्षणिक सत्र, 2016–17 में, छात्रों की ऑनध्ऑफ कैंपस नियोजन के माध्यम से विभिन्न कंपनियों जैसे नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड, सिंजेने इंटर नेशनल, एक्सेंचर, एनआरआई कॉलेज ऑफ फार्मेसी आदि द्वारा भर्ती की गई है। 04 छात्रों को विभिन्न संस्थानों जैसे नाईपर, गुवाहाटी और नाईपर, मोहाली में पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश मिला है।

7- f'k{kd

ladk; ds fy, ekU;rk

डॉ. उत्पल मोहन, सहायक प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और उनकी टीम ने नवम्बर, 2017 में एमआटी, बोस्टन, यूएसए में आईजीईएम–2017 में देश का प्रतिनिधित्व किया। आईबीईसी का उद्देश्य विश्व व्यापी सिंथेटिक जीव विज्ञान प्रतियोगिता, आईजीईएम (अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक रूप से इंजीनियर मशीन) में भाग लेने के लिए भारत की छात्र टीमों को प्रोत्साहित करना और समर्थन देना है।

डॉ. रणदीप गोगई को एनएसीआई, 2016 की वार्षिक बैठक में डॉ. जीएम टाओरी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया है।

8- vuqla/kku

lfØ; vuqla/kku {ks=

i- tSo çkS|kSfxdh%

बॉयोमोलिक्यूलर इंजीनियरिंगधसिंथेटिक जीव विज्ञान दृष्टिकोण का उपयोग करके बॉयोफार्मास्यूटिक्ल का विकास –

- ऑनकोजेनिक एमआरएनए क्लोविंग डीओक्सीरिबोजिम्सय
- कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रतिरक्षा रिरूटिंग के नए तरीकों का विकासय
- ओंकोजेन के रिबोस्विच मध्यस्थ जीन विनियमनय
- यादृच्छिक प्रोटीन कोडिंग क्रम और एप्टामर आधारित चिकित्सा और नैदानिक उपकरण का उत्पादन।

विभिन्न रोगों जैसे मल्टीपल माइलॉमा, तीव्र माइलाइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया, मायोडिसप्लास्टिक सिंड्रोम, इस्किमिया–स्ट्रोक डिस्ऑडर, न्यूरोपैथिक दर्द आदि के विभिन्न अध्ययनों के लिए जीनोमिक्स और प्रोटेओमिक्स पर जांच करना है।

ii. फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी:

- आणविरक औषध विज्ञानय
- कैंसर लक्षित दवा वितरण प्रणाली का विकासय
- सूजन, गठिया, मधुमेह, कैंसर और हेपोट्रोप्रोटेक्टिव गतिविधियों के क्षेत्र में नए यौगिकों की तलाश में भारतीय जैव विविधता और चिकित्सा प्रणालियों की जांचय
- सूजन और कैंसर प्रेरित हड्डियों के विकारों के उपचार के लिए आरएएनकेएल को लक्षित करना।
- एंटी पार्किसंस और एंटीडिप्रेसेंट प्रभावों के लिए एनसीई और उत्तर–पूर्व संयंत्र उत्पादों की स्क्रीनिंग
- पूर्वोत्तर भारत से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादों के माध्यम से दवा प्रेरित विषाक्तता के शमन पर अध्ययन।

iii फार्मेसी प्रेक्टिस :

- अपस्मार रोधी और मनोरोग प्रतिरोधी औषध के लिए दवा उपोयग के तरीकों का अध्ययन
- पहली पंक्ति पर पीएलएचआईवी और दूसरी पंक्ति एंटीरिट्रोवायरल ढंग में जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर लिपोडिस्ट्रॉफी का प्रभाव
- हेमोविजिलांस : सुरक्षित रक्त आधान प्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण

9- Nk= ukekdu :

वर्तमान में नामांकित पीएचडी छात्ररू17 (09 फार्माकॉलोजी और टोक्सीकॉलोजी, 05–जीव प्रौद्योगिकी और 03 फार्मेसी प्रेक्टिस)

वर्तमान में नामांकित मास्टर्स छात्र रू 74 (40 फार्माकॉलोजी और टोक्सीकॉलोजी, 16 जैव प्रौद्योगिकी और 18 फार्मेसी प्रेक्टिस)

10- iVsV vkj okf.kT;dhdj.k

संस्थान वर्तमान में बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में एक पेटेंट आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में हैं। इसका व्यवसायीकरण के लिए और अन्वेषण किया जाना है।

11- ukbij dk çHkko

नाईपर–गुवाहाटी की स्थापना से पहली बार भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने को एक ठोस प्रोत्साहन मिला है। नाईपर–गुवाहाटी के अनुसंधान के प्रयासों द्वारा विभिन्न रोगों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थानीय जड़ी बूटियों के औषधीय मूल्य पर अध्ययन को पुनर्जीवित किया गया है। नाईपर–गुवाहाटी भी बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है और यह एकमात्र नाइपर है जिसके पास सिंथेटिक बायोलोजिकल प्रयोगशाला है जोकि इंडियन सिंथेटिक बायोलोजिकल प्रयोगशाला में सूचीबद्ध है। इस शैक्षणिक वर्ष में (39ध्40) एमएस (फार्मा) की सीटों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो छात्रों और औद्योगिक समकक्षों में बढ़ती प्रतिष्ठा और नाईपर, गुवाहाटी के स्तर को दर्शाती है। संस्थान ने प्रमुख अनुसंधान संस्थानों, अस्पतालों और औषध उद्योग के साथ कई समझौता

ज्ञापनों पर में हस्ताक्षर किए ताकि छात्रों और संकाय को समाज के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी और उत्पादों के साथ आगे बढ़ने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान का सबसे अच्छा समर्थन मिले।

12- lLFkku }kjk fofHkUu dk;Øe

दूसरा दीक्षांत समारोह

9वां स्थापन दिवस

xqokgkVh c,;kVd ikdZ esa ukbij Nk=k dk fy, ç;kx'kkyk dh lqfo/kk

lLFkku@cfu;knh <kpk

ukbij xqokgkVh dk u, ifjlj esa fuek.k dh çxfr

शैक्षणिक ब्लॉक–एच सामने की ऊंचाई

टाईप–III क्वार्टर

8 fnlEcj] 2017 dks Jh t; fç; çdk'k] vkbZ,,l lfpo ¼vkW"k/k½ dk nkSjk

6-5 ukbZij vgenkckn

नाईपर, अहमदाबाद को वर्ष 2007 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को औषध क्षेत्र में दक्षता दिखाने और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना से, संस्थान मेंटर संस्थान बी.वी पटेल, पीईआरडी केंद्र के अन्तर्गत कार्य कर रहा था। 01 अगस्त, 2016 से यह पशु गृह सहित अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला सुविधा के साथ पालाजी, गांधी नगर में अस्थायी इमारत में स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। शासी मंडल, की अनुपस्थिति में सचिव (औषध) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति नाईपर, अहमदाबाद के प्रशासनिक संबंधी मामलों की देख रेख करती है। वर्तमान में, प्रो. किरन कालिया, 16 नवंबर, 2014 से नाईपर, अहमदाबाद में निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं।

1- mi yfC/k;k

नाईपर अहमदाबाद से कुल 405 एमएस फार्मा छात्राओं ने पहले ही स्नातक किया है और भारत तथा विदेश में विभिन्न औषध उद्योगों में नियोजित हुए हैं। वर्तमान में, 72 छात्र विभिन्न विषयों में अपने एमएस (फार्मा) पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। कुल 29 छात्रों ने अपनी पीएचडी की पढ़ाई जारी रखी हैय 03 छात्रों ने पहले ही अपने पीएचडी थीसिस जमा कर चुके हैं और 3 छात्रों को पीएचडी डिग्री से सम्मानित किया गया है। संस्थान ने अब तक 10 पेटेंट दायर किए हैं जिसमें नाईपर अहमदाबाद के संकाय और छात्र अन्वेषकों में से एक है।

2. संकाय और स्टाफ का विवरणः

   i. नियमित संकायरू 01, निदेशक

   ii. संविदा संकायरू 18

   iii. संविदात्मक व्यवस्थापक और तकनीकी स्टाफ: 14

3. पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन

(करोड़ रुपए में)

o"kZ	ctV vuq-	la'kks-vuq-	dqy fuefä
2013-14	20.00	06.94	06.79
2014-15	20.00	4.50	04.50
2015-16	21.96	19.76	19.76
2016-17	21.96	19.48	19.48
2017-18	22.96	22.96	22.96

4- ços'k Nk=ksa dh la[;k

fMxzh@,e,l@ ih,pMh	fo"k;	ços'k Nk=ksa dh la[;k		
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**
एमएस	7 विषय	56	74	72
पीएचडी	शून्य	9	9	13

5- f'k{kd Nk= vuqikr:

वर्तमान में 1: 9 (19 संकाय : 170 छात्र)

6- fu;kstuh;rk/ fu;kstu dh fLFkfr:

çfrHkkxh dEifu;ka	fu;kstu
टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लि. अहमदाबाद, केडीला फार्मास्यूटिकल्स लि. अहमदाबाद, जाइडस हेल्थकेयर लि. अहमदाबाद, इंटास फार्मास्यूटिकल्स अहमदाबाद, पिरामल हेल्थकेयर लि. अहमदाबाद, सन फार्मास्यूटिकल्स लि. बड़ोदरा, सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लि. गांधी नगर, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स पुणे, इरिस फार्मा, मेटरिक्स प्रयोगशाला लि. लैला फार्मा, इन्डीजेन हेल्थकेयर बॉयोकन, ट्रोईका एलेम्बिक, हिमालय हर्बल, कोरेलफार्मा केम, व्योम, जेनसेन फार्मा कंपनी,एस्ट्रेल फार्मास्यूटिकल्स, मेयनल फार्मास्यूटिकल्स कोरोना रेमेडिज प्रा. लि. विप्रोलाईफ साइंस, एक्योप्रेक रिसर्च लेब प्रा. लि. वोक्हार्ट	100%

7- lg;ksx%

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने की पहल के रूप में, नाईपर, अहमदाबाद ने विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों के संकायों के साथ विषय आधारित अनुसंधान सहयोग शुरू किया है। सहयोग का वर्तमान फोकस क्षेत्र न्यरोडेगेनेरेटिव रोग है। नाईपर, अहमदाबाद के संकाय विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों जैसेः हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, यूएसए, द जान्स हॉपकिन्स मेडिकल स्कूल, संयुक्त राज्य अमरीका, मिलर स्कूल ऑफ मेडिसन, संयुक्त राज्य अमरीका, वाशिंगटन विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमरीका, गॉलवे विश्वविद्यालय, आयर लैंड मिसिसिपी विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूकैसल विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया, वेन स्टेट विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमरीका और इंटरनेशनल इस्लामिक विश्वविद्यालय, मलेशिया के साथ सहयोग में है।

8- vuqla/kku%

d- lfØ; vuqla/kku {ks=:

मधुमेह, कैंसर, न्यूराइड जन रेटिव रोग, संक्रामक रोग, ऊतक की मरम्मत, उत्थान और चिकित्सा इम्प्लांट

[k- ifj;kstuk,%

पूर्ण : 05, चल रहे :12 (09 राष्ट्रीय, 03 अंतर्राष्ट्रीय)

x- çdk'ku:

89 कुल, 29 (वर्ष 2017)

?k- ikLVj çLr|fr;k:

55 (वर्ष 2017)

9- i|jLdkj

i श्रीमती शिवानी वैद्य ने 12 अक्तूबर, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन (आईबीआरओ), यूनिवर्सिटी इंस्टिटयूट ऑफ फार्मास्यूटिक्ल साइंस, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में अपने पोस्टर पर प्रथम पुरस्कार जीता।

ii सुश्री पल्लवी राणे ने राजस्थान के बनस्थली विद्यापीठ में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन (आईबीआरओ) न्यूरोसाइंस स्कूल के पोस्टर प्रस्तुति में दूसरा पुरस्कार जीता।

iii वेदिका भट्ट, ऐश्वर्या दशर, नीलम चौहान को फरवरी 2017 में राज्य स्तर की बॉयोसाइंसेज उत्सव, अहमदाबाद में क्विज प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

10- iVsV vkj okf.kfT;dhdj.k:

फरवरी 2016 से 03 पेंटेट दायर किए गए हैं।

11- ukbZij dk çHkko:

नाईपर अहमदाबाद, औषध शिक्षा और अनुसंधान में पुनरूद्धार जो औषध और जैव चिकित्सा के नए युग को आरंभ करने के लिए एक अच्छा मंच के रूप में कार्य करता है। नाईपर अहमदाबाद, देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन के निर्माण में अपनी प्रतिबद्धता रखता है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में 'मेक इन इंडिया' के पहल में योगदान देता है।

12- lLFkku }kjk vk;kftr fofHkUu dk;Øe

• Jh vur d|ekj] ekuuh; jkT; e=h }kjk 4 ekp] 2017 dks ukbZij dk mn?kkVu

- Jh vuar dqekj] ekuuh; dsUæh ea=h] jlk;u ,oa moZjd ea=ky;] Hkkjr ljdkj dk nkSjk

- ukbZij] vgenkckn dk pkSFkk nh{kkar lekjksg

6-6- ukbZij dksydkrk

नाईपर, कोलकत्ता, वर्तमान में भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान (आईआईसीबी)– वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारत के एक प्रमुख संस्थान में स्थित है, जो कि मेंटर संस्थान है। शासी मंडल, की अनुपस्थिति में सचिव (औषध) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति संस्थान के प्रशासनिक संबंधी मामलों की देख रेख करती है। डॉ. बी रविचंडीरन, निदेशक 6.7.2015 से संस्थान के निदेशक हैं।

1- vkt rd dh miyfC/k%

स्थापना से आज तक, 364 छात्रों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उनमें से, 247 कंपनियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं।

2- foxr 4 o"kksZa ds nkSjku ljdkj }kjk dqy vkcaVu:&

¼#i, djksM+ esa½

o"kZ	ctV vuqeku	la'kksf/kr vuqeku	dqy fueqZfä
2014-15	05.00	04.38	04.38
2015-16	08.00	08.00	06.30
2016-17	08.00	08.00	08.00
2017-18	09.00	11.50	07.50

3- f'k{kd&Nk= dk vuqikr% 1:11

छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण और नियोक्ता धारणाएं रू छात्र शिक्षण के तरीके और उनके द्वारा किए जा रहे परियोजना कार्य संतुष्ट है।

4- Nk=%

दाखिला की स्थिति के साथ डिग्रीध्कार्यक्रम और विषय (वर्ष के साथ)

Lrj ekLVlZ@ M,DVjsV	fMxzh@,e,l@ ih,pMh	fo"k;	nkf[kyk fd, x, Nk=ksa dh la[;k		
			2015-16	**2016-17**	**2017-18**
		औषधीय रसायन शास्त्र	17	14	16
मास्टर्स	एम.एस (फार्मा)	प्राकृतिक उत्पाद	13	14	13
		फार्माकोईनफोर्मेटिक्स	09	14	15
		दुर्लभ बीमारी			
(2 क्रेडिट)	-	-	-		
		औषधीय रसायन शास्त्र	-	04	04
डॉक्टरेट	पीएचडी	प्राकृतिक उत्पाद	-	04	04
		फार्माकोईनफोर्मेटिक्स	-	02	02

सभी नाईपर, कोलकता के छात्रों के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान 02 क्रेडिट मुख्य दुर्लभ बीमारी के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2016–17 के दौरान, अधिक से अधिक 42 छात्रों को कार्यक्रम में लिया गया और 2017–18 के दौरान 44 छात्रों ने इस कार्यक्रम को जारी रखा है।

5- fu;kstuh;rk@fu;kstu dh fLFkfr%

(i) कैंपस चयन/नियोजन में वर्षवार भाग लेने वाली कंपनियांरू शुरूआत से छात्रों की भर्ती के लिए कई फार्मा कंपनियां नाईपर, कोलकाता में आई।

(ii) नियोजन की स्थितिः कैंपस में/कैंपस के बाहरः अधिकांश छात्र उद्योगों, कालेजों तथा शोध संस्थानों ले लिया गया है। कई छात्र देश में और विदेशों में भी उच्चतर अध्ययन कर रहे हैं। नियोजन के लिए छात्रों की पसंद के अनुसार कंपनियों में तथा शिक्षण एवं उच्च अध्ययन केंद्रों में इन छात्रों के लिए नियोजन प्राप्त किया गया।

6- f'k{kd

नाईपर, कोलकाता के संकाय सदस्य स्वयं डीएसटीधवित्त पोषित संकाय है और अन्य अतिथि संकाय मेंटर संस्थान और कोलकाता के अन्य संस्थान जैसे कलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, इंडियन एसोसिएशन फॉर द क्लटीवेशन ऑफ साइंस, कोलकता, बोस संस्थान, कोलकाता, शाह इंसटियूड ऑफ न्यूक्लियर साइंस, सीएमआईआर–सीजीसीआरआई, एनआईसीईडी, एआईआईएस एंड पीएच और एसएसकेएम अस्पताल, टीसीजी लाइफ साइंस भी शामिल है और वे अपने–अपने क्षेत्रों में पहचाने जाते है। दुर्लभ रोगों के लिए कोलकाता से सभी एआईआईएचपीएएच, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता अपोलो अस्पताल, मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, टाटा मेडिकल सेंटर, औषध नियंत्रक, कोलकाता, सीएमआईआर–आईआईसीबी आदि से 16 अतिथि संकाय है। पांच सहायक संकाय (सनोफी से 02, वॉयोलोजिकल ई से 01 और सीएसआईआर–सीजीसीआरआई से 02) भी नाईपर, कोलकता का हिस्सा हैं।

दुर्लभ रोगों पर दो लाइव सेमिनार अपोलो अस्पताल और टीएमसी (टाटा मेडिकल सेंटर) में आयोजित किए गए हैं। ये सेमिनार अस्पताल के एक दौरा करने के बाद किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः इस अवधि के दौरान, एक पौष्टिक–औषधीय और दूसरा आईबीईएम पर नाईपर कोलकता ने दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए।

7- vuqla/kku

d- lfØ; vuqla/kku {k= : सिंथेटिक और पादप आधारित औषधि खोज, प्रतिरक्षण विज्ञान तथा प्रतिरक्षण नैदानिकी, सेलुलर और मोलक्यूलर जैविकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी औरमोनोक्लोनल एंटी बाडी प्रौद्योगिकी, नई औषधि डिलीवरी प्रणालियां, रसायन एवं जैव रसायन प्रक्रिया प्रौद्योगिकी आदि।

[k- vuqla/kku çdk'ku / lLFkk rFkk çfr lqdk; vkj mPp çHkko dkjd : एमएस (फार्मा) छात्रों के परियोजना कार्य से प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 93 शोध पत्र छपे हैं।

x- ijLdkj : 1 यूनिवर्सिटी टेक्नोलोजी पेट्रोनास (यूटीपी) में एनआईपीईआर–कोलकाता के निदेशक डॉ. वी. रविचंद्रिन को सम्मानित करने वाला अचीवमेंट गोल्ड पुरस्कार का प्रमाण पत्र दिया गया।

2. सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट रिसर्च अवार्ड भी यूनिवर्सिटी टेकनोलॉजी पेट्रॉनस (यूटीपी) के निदेशक डॉ. वी. रविचंद्रिन को दिया गया।

8- o"k d nkjku vk;kftr vk;ktu dk;'kkyk@lEeyu %

fnukd	fØ;kfof/k dk uke	y{; leg	}kjk çk;kftr
17 अप्रैल, 2017	एंटी माइक्रोबियल पर संगोष्ठी	संस्थागत	नाईपर–कोलकाता
22 अप्रैल, 2017	साधारण बिमारियों से संबंधित गोल मेज सम्मेलन	संस्थागत और सभी छात्रों के लिए	नाईपर –कोलकाता
15 जून, 2017	माननीय मंत्री, श्री अनंत कुमार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का दौरा		
4 सितम्बर, 2017	5 दीक्षांत समारोह	संस्थागत	नाईपर –कोलकाता
14 अक्तूबर, 2017	श्री रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का दौरा		
30 अक्तूबर, 2017	सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2017		

9- ukbZij dk çHkko%

क. कुल 364 छात्रों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है

ख. 247 छात्रों को कंपनियों/शैक्षिक संस्थाओं में काम पर लगाया गया है

ग. 35 शोध पत्रों को प्रकाशित किया गया

घ. एमएस (फार्मा) द्वितीय वर्ष के 03 छात्र मैसर्स सनोफी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अपना परियोजन कार्य कर रहे है। इनके तीन माह के प्रशिक्षण के दौरान मैसर्स सोनोफी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मासिक छात्रवृत्तिया भुगतान किया गया।

ङ. नाईपर कोलकाता के एमएस (फार्मा) छात्रों ने नाईपर, मोहाली द्वारा किए गए पीएचडी पाठक्रम के दाखिला के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में लगातार दो वर्षों 2016–17 और 2017–18 में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

fp=%

माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अंनत कुमार ने 15.06.2017 को बीसीपीएल स्थित माणिकतला, नाईपर, कोलकता का दौरा किया

माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अंनत कुमार ने 15.06.2017 को बीसीपीएल स्थित माणिकतला, नाईपर, कोलकता का दौरा

दिनांक 22.04.2017 को आयोजित दुर्लभ रोगों पर गोल मेज सम्मेलन

दिनांक 04.09.2017 को आयोजित नाईपर, कोलकता की 5वीं दीक्षांत समारोह

श्री रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव, औषध विभाग ने 14.14.2017 को नाईपर कोलकता का दौरा

6-7- ukbij& jk;cjyh

नाईपर, रायबरेली ने मेंटर संस्थान केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई) लखनऊ नाईपर रायबरेली के तहत वर्ष 2008 में कार्य प्रारंभ किया। शासी मंडल, की अनुपस्थिति में सचिव (औषध) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति नाईपर–रायबरेली के नीति संबंधी मामलों की देख रेख करती है। डॉ. स्वर्ण जीत सिंह फ्लोरा ने 1 नवम्बर 2016 को संस्थान के पहले नियमित निदेशक के पद पर कार्यभार संभाला हैं।

1- miyfC/k%

(i) संस्थान के प्रारंभ से कुल 258 छात्र उत्तीर्ण हए हैं।

(ii) औषध विज्ञान में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2017–18 से तीन विषयों यथा औषधीय रसायन शास्त्र औषध और फार्माकोलोजी एवं टोक्सीकोलोजी में पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया है।

(iii) नाईपर, रायबरेली ने संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट ऑफ मेडिकल साइंस (एसजीपीजीआईएमएस), लखनऊ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, दिल्ली फार्मास्युटिकल्स सांइस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, दिल्ली, खुशबू और स्वाद विभाग केन्द्र, कन्नोज के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iv) स्नातक छात्रों में से, कई छात्र विभिन्न औषध उद्योगों में चयनित हो गए हैं। अन्यों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयध्संस्थानों में पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिला मिल गया है।

(v) 40 से अधिक शोध पत्रों को विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है।

2- 'kf{kd@xj&'kf{kd LVkQ%&

शैक्षिक	01	निदेशक
	04	सहायक प्रोफेसर / व्याख्ता
गैर–शैक्षिक	18	प्रशासनिक / तकनीकी स्टाफ

*संस्थान वार्षिक संविदा के आधार पर शिक्षक/स्टाफ की भर्ती करता है।

3. विगत 4 वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आबंटित कुल राशिः–

(करोड़ रुपए में)

o"k	ctV vuqeku	l'kksf/kr vuqeku	dqy fuefä
2014-15	15.00	4.45	4.45
2015-16	7.00	5.51	5.50
2016-17	7.00	6.25	6.25
2017-18	8.50	8.50	8.50

4- Nk=%&

दाखिला की स्थिति के साथ डिग्रियां/कार्यक्रम तथा विषय (वर्ष के साथ) प्रदान किए:

ekLVlZ@M,DVjsV fMxzh dk Lrj	,e,l/ih,pMh	fo"k;	nkf[ky Nk=ksa dh la[;k	
			2016-17	**2017-18**
मास्टर्स'	एम.एस. (फार्मा)	औषधीय रसायन शास्त्र	16	16
डॉक्टरेट	पीएचडी		-	02
मास्टर्स'	एम.एस. (फार्मा)	औषध	13	15
डॉक्टरेट	पीएचडी		-	02
मास्टर्स'	एम.एस. (फार्मा)	फार्माकोलोजी एंड टोक्सीकोलोजी	06	06
डॉक्टरेट	पीएचडी		-	02

5- f'k{kd&Nk= vuqikr

ikB~Øe	vuqikr
पीएचडी	1:1
एम.एस. (फार्मा)	1:15

6- fu;kstuh;rk@fu;kstu dh fLFkfr%&

विगत दो वर्ष के दौरान नियोजन की स्थिति

cSp	o"kZ	Nk=ksa dh dqy la[;k	fu;qfä Nk=ksa dh la[;k
7वां	2014-16	38	20
8वां	2015-17	36	18

* आकडों में विभिन्न औषध उद्योग तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयध् संस्थान में पीएचडी कार्यक्रम में दाखिल चयनित छात्र शामिल हैं।

7- iqjLdkj @f'k{kd:&

– डॉ. एस.जे.एस. फ्लोरा को द इंटर नेशनल सोसाइटी फॉर ट्रेस एलिमेट रिसर्च इन ह्यूमन (आईएसटीईआरएच) द्वारा एशिया के सभासद के रूप में नामित किया गया है।

– डॉ. एस.जे.एस. फ्लोरा को तीन अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिका जिसमें वर्तमान औषधीय रसायन शास्त्र (संयुक्त राज्य अमरीका), सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान (फ्रांस) (एशिया के लिए सहायक संपादक) और भारी धातु और केलेशन थेरेपी (संयुक्त राज्य अमरीका) संपादकीय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है।

– डॉ. एस.जे.एस. फ्लोरा, ने 28 सितम्बर, 2017 को सीएसआईआर–आईआईटीआर लखनऊ में सीएमआईआर प्लेटिनम जयंती स्थापना दिवस पर व्याख्यान दिया।

8- led{k leh{kk ç.kkyh%

दिनांक 12.5.2015 के औषध विभाग के विशिष्ट वित्तीय प्रबंधन दिशानिर्देश के पत्र संख्या 50020ध15ध2015– नाईपर और 18.02.2016 में आयोजित 24वीं संचालन समिति में लिए गए निर्णयों के अनुसार, नाईपर, कोलकता ने 25 और 26 अप्रैल, 2016 को नाईपर, रायबरेली का वार्षिक समकक्ष समीक्षा की।

9- vuqla/kku

वर्तमान में नाईपर, रायबरेली में प्रगति औरध या योजना की प्रक्रिया में है जिसकी विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां निम्नानुसार हैं–

- सूजन और आक्सीडेटीव तनान के उपचार के लिए औषधध औषध मध्यवर्ती के डिजाइन और विकास।
- जैव उपलब्धता से संबंधित मामलों तथा विशिष्टध लक्षित दवा वितरण के लिए अध्ययन।
- भारी धातु विषाक्तता जैसे आर्सेनिक के लिए दवाध्सम्मिश्रणों का विकास और मूल्यांकन।
- धातु सोना, जस्ता, तांबा आदि नैनोकणों पर आधारित सामग्री की सुरक्षा अध्ययन।

10- ukbij dk çHkko

- औषध विज्ञान में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के माध्यम द्वारा उत्कृष्ट मानव संसाधन सृजित करना।
  - o राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के विश्वसनीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा एक उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान के रूप में कार्य करना।
  - o 258 छात्रों ने नाईपर रायबरेली से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।
  - o वे वर्तमान में कंपनियोंध्संस्थानों में कार्य कर रहे हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- संकायों ने उच्च श्रेणी पत्रिकाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों जैसे एलेशवियर/स्प्रिंगर आदि में शोध पत्र और समीक्षा एवं अध्यायों में प्रकाशित किया है।

11. संस्थान द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रम/कार्यशालाएं:–

(i) 24–25 मार्च, 2017

"औषध और नैदानिक अनुसंधान द्वारा दवा की खोज को सशक्त बनाना" पर 9वें नाईपर (रायबरेली) सीएसआईआर–सीडीआरआई संगोष्ठि

(ii) 25 सितम्बर, 2017 – आरएक्स फार्मेसी दिवस

डॉ. वी.एम. कटोच द्वारा 24–25 मार्च, 2017 को आयोजित 9वें नाईपर (रायबरेली) सीएसआईआर–सीडीआरआई संगोष्ठि में मुख्य भाषण

निदेशक, नाईपर रायबरेली द्वारा प्रोफेसर वी. नागराजन, निदेशक, वी.एन. न्यूरो केयर सेंटर मदुरई का अभिनन्दन

श्री रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पशु घर सुविधा केंद्र का उद्घाटन

प्रोफेसर सर्जे मिगनानी पूर्व प्रमुख औषधीय रसायन विभाग और वैज्ञानिक निदेशक, सनोफी फ्रांस ने "कैंसर नैदानिक में नैनोटेक्नोलोजीकल मंच पर प्रयोगशाला से रोगी तक एक प्रतिष्ठित व्याख्यान दे रहे है।"

6-8- ukbZij gkthiqj

नाईपर हाजीपुर ने मेंटर संस्थान राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीयूट ऑफ मेडिकल साइंस (आरएमआरआईएमएस), पटना के अंतर्गत वर्ष 2007 में कार्य प्रारंभ किया। शासी मंडल, की अनुपस्थिति में सचिव (औषध) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति नाईपर, हाजीपुर के नीति संबंधी मामलों की देख रेख करती है। डॉ. प्रदीप दास वर्ष 2007 से आज की तारीख तक इसके निदेशक है।

1- miyfC/k;k¡&

संस्थान के आरंभ होने के बाद 286 छात्रों को मास्टर डिग्री प्रदान की गई है।

2. संकाय और स्टाफ के ब्यौरे नीचे हैरू

शैक्षणिक	08
गैर शैक्षणिक	09

3. पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल निधि का आवंटनः–

(करोड़ रुपए में)

o"k	ctV vu|eku	l|'kkf/kr vu|eku	d|y fue|fä
2014 - 15	4.00	4.00	4.00
2015-16	6.00	6.00	6.00
2016-17	6.00	5.00	5.00
2017-18	6.00	6.00	5.00

4- Nk=%&

दाखिला की स्थिति के साथ प्रस्तावित डिग्रियांध कार्यक्रम तथा प्रस्तावित विषय (वर्ष के साथ) प्रदान किएः

,e,l / ih,pMh	fo"k;	ços'k Nk=kk dh l[;k	
		2016-17	**2017-18**
एमएस फार्मा	जैव प्रौद्योगिकी	10	13
एमएस फार्मा	फार्माकोइन्फोर्मेटिक्स	13	13
एम फार्मा	फार्मेसी प्रैक्टिस	11	10
पीएचडी	जैव प्रौद्योगिकी	03	03
पीएचडी	फार्मेकोइंर्फोमेटिक्स	01	02
पीएचडी	फार्मेसी प्रैक्टिस	02	01

5- f'k{kd&Nk= vu|ikr 1:10

6- fu;kstuh;rk@fu;kstu dh fLFkfr:

नाईपर हाजीपुर से उत्तीर्ण हुए छात्रों को उपयुक्त स्थानों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में नौकरी मिल गई है।

7- f'k{kd

(i) संकाय को मान्यताः संस्थान के संकाय को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। वे विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में परीक्षा और मौखिक परीक्षा में परीक्षकों के रूप में आमंत्रित किए गए हैं।

(ii) सहकर्मी समीक्षा प्रणालीरू संकाय के प्रदर्शन का वार्षिक आधार पर देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। संकाय के रोजगार का वार्षिक अनुबंध उसी आधार पर नए सिरे से किया जाता है।

8- vu|l i/kku%

सक्रिय अनुसंधान क्षेत्र

t loçkS|kfxdh

- एपिजनिटिक कारकों और डीएनए इलाज के मार्ग को लक्षित कर कालाजार (लिशमेनियासिस) के खिलाफ नवीन दवा की खोज
- स्तन कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए गैर–आक्रामक उपकरण का विकास
- एचआईवी के खिलाफ नई नैदानिक कार्य–नीति का विकास
- सुधारित रोगाणुरोधी दक्षता के लिए कार्यात्मक और संयुग्मित सोना नैनोकणों का प्रयोग

QkekZdksbUQkesfVDl

- लिशमैनिया डोनोवनी के लिए सिस्टीन सिंथेज एंजाइम के नए अवरोधकों की पहचान। फार्माकोफोर मॉडल, आणविक गतिशीलता अध्ययन और वास्तविक स्क्रीनिंग विधि आधारित संरचना का उपयोग करना।
- क्यूएम डॉकिंग अध्ययन, होमोलोजी मॉडलिंग, आणविक गतिशील (एमडी) अध्ययन, फ्री एनर्जी गणना के अध्ययन का उपयोग करके अल्जाइमर रोग (एआई) के उपचार के लिए जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर (जीपीआर3) के लिए नए अवरोधकों का विकास।

Qkeklh çfDVl

- ग्रीवा कैंसर में एचपीवी और संबद्ध नैदानिक परिणाम
- बुजुर्ग पुरूष टाइप 2 मधुमेह के रोगियों में ऑस्टियोपोरोसिस की घटना के साथ पिरोस्टिन, टेस्टोस्टेरोन और मोटापा के बीच संबंध
- मौखिक हाईपोग्लेशिमिक दवा के अंतर्गत टाइप 2 मधुमेह मेलिटस रोगियों में सेक्स हार्मोन (एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का आकलन।
- रजोनिवृत्ति थायराइड रोगियों में पिरोस्टीन और हड्डियों की कमजोरी के साथ संबंध का पता लगाने का आकलन

- जीर्ण माइलोडल्यूकेमिया रोगियों में पी 210 और पी 190 विलय के संदर्भ में इमैटिनिब के एडीआर का मूल्यांकन

9- ukbZij dk çHkko

नाईपर का प्रभावः नाईपर हाजीपुर ने तीन विषयों अर्थात, जैव प्रौद्योगिकी, फार्माकोइन्फोर्मेटिक्स और फार्मेसी प्रैक्टिस में सफलतापूर्वक 286 छात्रों को शिक्षित किया है, जो या तो अलग–अलग दवा उद्योगों में कार्यरत हैं या दुनिया भर में अलग–अलग संस्थानों या विश्वविद्यालयों में अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्व छात्र कई अलग–अलग संस्थानों में शिक्षण संकाय के रूप में कार्य कर रहे हैं।

lLFkku }kjk vk;kftr fofHkUu dk;ZØe%&

चित्र.1: 14 से 28 सितंबर, 2017 को हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया

चित्र. 2: स्वच्छ पखवाड़ा मनाया गया

अध्याय 7

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

अध्याय- 7
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

1. राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण (एनपीपीए) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र संख्या 159, दिनांक 29.08.1997 में प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प के तहत की गई थी। एनपीपीए के कार्यों में, अन्य के साथ–साथ, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत अनुसूचित औषधियों के मूल्यों का निर्धारण एवं संशोधन तथा साथ ही मूल्यों की मॉनिटरिंग और प्रवर्तन शामिल हैं। एनपीपीए सरकार को औषध नीति तथा दवाओं की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित मुद्दों के बारे में इनपुट प्रदान करता है।

2. सरकार ने डीपीसीओ, 1995 के अधिक्रमण में 15 मई, 2013 को नया डीपीसीओ, 2013 अधिसूचित किया है।

3. डीपीसीओ, 2013 की प्रमुख विशेषताएं

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम), को अनिवार्यता अवधारित करने के लिए बुनियादी आधार के रूप में अपनाया गया है और इसे डीपीसीओ 2013 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है जो मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन के लिए अनुसूचित दवाओं की सूची गठित करती है।
- अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य 'बाजार आधारित आंकड़ों' के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।
- मूल्य नियंत्रण दवा (सक्रिय औषध घटक) के संदर्भ में प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्ट फॉर्मूलेशनों, सेवन मार्ग, खुराक स्वरूप/शक्ति पर लागू किए गए हैं।
- दिसंबर, 2015 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची, 2015 (एनएलईएम 2015) में अधिसूचित की गयी थी। तत्पश्चात, मार्च 2016 में एनएलईएम, 2015 को डीपीसीओ 2013 की प्रथम अनुसूची के रूप में अधिसूचित किया गया।

4. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के प्रकार्य इस प्रकार हैं रू–

- इसको दी गई शक्तियों के अनुसार डीपीसीओ,1995ध्2013 के प्रावधानों को कार्यान्वित और प्रवर्तित करना।
- औषधियों ध्फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण के संबंध में संगत अध्ययन करना औरध् अथवा प्रायोजित करना।
- औषधियों की उपलब्धता की मॉनिटरिंग करना, कमियों, यदि कोई हों, का पता लगाना,और सुधारात्मक उपाय करना।

- बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों के उत्पादन, निर्यात और आयात, अलग–अलग कंपनियों के बाजार अंश, कंपनियों की लाभप्रदता इत्यादि से संबंधित आंकड़े एकत्र करना ६ उनका रख–रखाव करना।
- प्राधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मामलों पर कार्रवाई करना।
- औषधि नीति में परिवर्तनध्संशोधन के संबंध में केंद्रीय सरकार को परामर्श देना।
- औषधि मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों में केंद्रीय सरकार की सहायता करना।

5- eY; fu/kkj.k

¼i½ Q,e|y|'kuk d| eY; fu/kkj.k

डीपीसीओ, 2013 में अंगीकृत बाजार आधारित दृष्टिकोण के तहत, किसी अनुसूचित फॉर्मूलेशन का अधिकतम मूल्य, पहले, उस विशिष्ट अनुसूचित औषध के, 1 प्रतिशत या अधिक बाजार हिस्सेदारी वाले सभी ब्रांडेड जेनरिक एवं जेनरिक रूपों के अधिकतम मूल्यों का सरल औसत निकाल कर और उसमें 16 प्रतिशत आनुमानिक खुदरा बिक्रेता मार्जिन जोड़कर उस अनुसूचित फॉर्मूलेशन का मूल्य निर्धारित किया जाता है। उस विशिष्ट औषध फॉर्मूलेशन का अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य तथा लागू स्थानीय करों के योग से अधिक नहीं होना चाहिए।

एनएलईएम 2015 में 31 उपचार समूहों के 870 निवल अनुसूचित औषध फॉर्मूलेशन निहित हैं। एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची – I के स्पष्टीकरण – I के तहत सूचीबद्ध फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य भी निर्धारित करता है। 15 नवंबर 2017 की स्थिति के अनुसार एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के तहत 821 फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए हैं। शेष फॉर्मूलेशनों के लिए एनपीपीए अधिकतम मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में है।

डीपीसीओ, 2013 (एनएलईएम 2015 के आधार पर संशोधित अनुसूची – I) के तहत अधिकतम मूल्यों के निर्धारण की स्थिति इस प्रकार है :

15 नवंबर 2017 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित फॉर्मूलेशनों की मूल्य स्थिति

fooj.k	,u,yb|,e 2015 ¼u;k½	,u,yb|,e 2015 ¼1keku;½	d|y	Li"Vhdj.k I l| vu|lph& I	l dy ;k|x
1	**2**	**3**	**4 (2+3)**	**5**	**6 (4+5)**
क. अनुसूची में प्रविष्टियां	385	437	822		
क1 पैक साइज/सामग्री के लिए अतिरिक्त गिनती	1	50	51		
ख. अधिसूचित/अनुमोदित अधिकतम मूल्य (कोरोनरी स्टेंट की 2 प्रविष्टियां सहित)	324	422	746	75	821

QkekZ'Vd@vkS"k/k dEifu;ksa }kjk fn, x, vkdMksa ds vk/kkj ij mPpre ewY;ksa ds –f"Vdks.k ls vuqlwfpr Q,eqy'kuksa ds vf/kdre ewY; esa deh dh lhek dks n'kkZus okyk fooj.k

अधिकतम पीटीआर के संबंध में प्रतिशत कमी	औषधियों की संख्या
0<= 5%*	218
5<=10%	134
10<=15%	94
15<=20%	97
20<=25%	89
25<=30%	63
30<=35%	44
35<=40%	24
40%से ऊपर	58
एनएलईएम के कुल फॉर्मूलेशन	821

मूल्य राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिसूचित किए जाते हैं जो एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर भी अपलोड की जाती हैं। अधिकतम मूल्य उस तारीख, जिसको मूल्य राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, से कार्यशील एवं विधिक रूप से प्रवर्तनीय होते हैं।

एनपीपीए ने जुलाई, 2014 में डीपीसीओ,2013 के पैरा 19 के अंतर्गत 106 फॉर्मूलेशनों (मधुमेह–रोधी और हृदयरोग संबंधी) के अधिकतम खुदरा मूल्य भी निर्धारित किए हैं।

एनएलईएम 2015 (संशोधित अनुसूची–I) में सूचीबद्ध अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य के निर्धारण से, कोरोनरी स्टेंट के मूल्य निर्धारण के कारण हुए 4,450 करोड़ रुपये की बचत के अलावा उपभोक्ताओं को 2612.24 करोड़ रुपये की बचत हुई है। मूल अनुसूची– I के अंतर्गत अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य के निर्धारण से उपभोक्ताओं को 2422.24 करोड़ रुपये की बचत समर्थ हो पायी है। पैरा 19 मूल्य अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को करीब 350 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

एनपीपीए ने 15 नवंबर 2017 तक विनिर्माताओं के अनुरोध पर 'नयी औषधियों' (डीपीसीओ, 2013के पैरा 2 (प) के अनुसार 'नयी औषधि' के रूप में अर्हक औषधियां) के 465 खुदरा मूल्य भी अधिसूचित किए हैं।

(ii) midj.kksa ds ewY; fu/kkZj.k

सरकार ने 13 फरवरी 2017 की अधिसूचना के तहत कोरोनरी स्टेंट के अधिकतम मूल्य अधिसूचित किए हैं। बेयर मेटल स्टेंट (बीएमएस) का मूल्य 7,260 रुपये और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट (डीईएस)(बीवीएस और बायोडिग्रेडेबल स्टेंट सहित) का मूल्य 29,600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। थोक मूल्य सूचकांक को गणना में लेने के पश्चात, अधिकतम संशोधित किए गए और दिनांक 1.4.2017 से बीएमएस का संशोधित मूल्य 7,400 रुपये तय किया गया और डीईएस का 30,180 रुपये

तय किया गया। स्टेंट विनिर्माताओं और आयातकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार मूल्य अधिसूचना से पूर्व बीएमएस का औसत मूल्य 45,100 रुपये था और डीईएस का 1,21,000 रुपये था। इस प्रकार यह मूल्य कमी बीएमएस के लिए 85 प्रतिशत और डीईएस के लिए 74 प्रतिशत बैठता है। कोरोनरी स्टेंट के अधिकतम मूल्य निर्धारण से आम नागरिकों को 4,450 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत सक्षम हुई है।

औषध विभाग ने कोरोनरी स्टेंट की उपलब्धता बनाए रखने के लिए डीपीसीओ, 2013 के पैरा 3 के अंतर्गत अपने अधिकारों का भी उपयोग किया है। सरकार एनपीपीए के माध्यम से लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और सभी राज्य सरकार ध्केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्य औषध नियंत्रकों को स्टेंटों की उपलब्धता की निगरानी करने के लिए सचेत किया है और यदि उपलब्धता या मूल्य निर्धारण में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट के मामले में एनपीपीए को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। सरकार ने सभी स्टेंट विनिर्माताओं ध् आयातकों को अस्पतालों में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और मूल्य निर्धारण के पूर्व की स्थिति के अनुसार उत्पादन परिमाण बनाए रखने के निदेश दिए हैं।

एनपीपीए ने गैर–अनुसूचित ऑर्थोपेडिक घुटना आरोपण का अधिकतम मूल्य भी निर्धारित किया है, जिससे उपभोक्ताओं को 1500 करोड़ रुपये की बचत सक्षम हो पायी है। एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत औषधियों के मूल्यों के विनियमन से उपभोक्ताओं को करीब 11,334.48 करोड़ रुपये की निवल बचत (15 नवंबर 2017 की स्थिति के अनुसार) हुई है।

6- e,fuVfjax ,oa çorZu

¼i½ nokb;ksa dh miyC/krk dh e,fuVfjax

सरकार डीपीसीओ 2013 के तहत अनुसूचित और गैर–अनुसूचित दवाओं की कीमतों की प्रभावी रूप से निगरानी कर रही है और राज्य औषध नियंत्रकों ध् व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर, खुले बाजार से खरीदे गए नमूनों के आधार पर, और बाजार आधारित आंकड़ों की रिपोर्ट और 'फार्मा जन समाधान' और 'केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र (सीपीग्राम) वेबसाइटों के माध्यम से संसूचित शिकायतों के आधार पर उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य प्रभारित करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अनुमत सीमा से परे फार्मूलेशन मूल्यों में वृद्धि की निगरानी भी एआईओसीडी (फार्मा ट्रैक डेटा) और व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर की जाती है।

जब कभी भी कंपनियां एनपीपीए द्वारा अधिसूचित कीमत से अधिक कीमतों पर अनुसूचित फॉर्मूलेशन की बिक्री करती पायी जाती हैं, तो डीपीसीओ 2013 के संबंधित प्रावधानों के तहत ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अधिप्रभारित राशि, ब्याज सहित कंपनी से वसूली जाती है। इसी तरह की कार्रवाई तब भी की जाती है जब कंपनियां गैर–अनुसूचित फॉर्मूलेशन के मूल्यों में पिछले बारह माह के अधिकतम खुदरा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हैं या अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का उल्लंघन करते हैं।

अनुसूचित औषध फार्मूलेशनों के मामले में अधिसूचित अधिकतम मूल्य की अननुपालना या दूसरे शब्दों में, अधिकतम मूल्य एवं लागू स्थानीय करों के योग का एमआरपी से अधिक होने का अर्थ उपभोक्ता से अधिप्रभारन है। ऐसी अधिप्रभारित राशि औषध कंपनियों से उस राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित वसूली जाती है। इस प्रकार से संग्रहित अभिप्रभारित राशि भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। जो कंपनियां इन आदेशों का पालन नहीं करती है उनके मामलों को अधिप्रभारित राशि भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने के लिए जिला कलक्टरों को भेज दिया जाता है। इसके

अलावा, एनपीपीए द्वारा जारी की गयी मूल्य अधिसूचना की अननुपालना अपराध की गंभीरता के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की दायी हो सकती है।

एनपीपीए औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करता है, कमियों, यदि कोई, की पहचान करता है, और उपभोक्ताओं को औषधियां उपलब्ध करवाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाता है। एनपीपीए यह जिम्मेदारी मुख्यतरू राज्य औषध नियंत्रकों, गैर–सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के माध्यम से करता है। जब और ज्यों किसी विशिष्ट औषध (औषधियों) की, देश के किसी भी भाग में कमी की सूचना प्राप्त होती है, संबंधित कंपनी को प्रभावित क्षेत्रों में उन औषधियों को उपलब्ध करवाने के लिए स्टॉक भेजने के लिए कहा जाता है। गैर–अनुसूचित फॉर्मूलेशनों की उपलब्धता की निगरानी का अधि ाकार औषध विभाग में निहित है।

¼ii½ fpfdRlk midj.kk d eY; e mrkj & p<ko dh e,fuVfjx

डीपीसीओ, 2013 का पैरा 20 सरकार को गैर–अनुसूचित फॉर्मूलेशनों सहित सभी औषधियों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि कोई विनिर्माता किसी औषध के खुदरा मूल्य में, पिछले बारह माह के दौरान के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं करे और जहां वृद्धि अधिकतम खुदरा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक होती है, वह उसे अगले बारह माह के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य के दस प्रतिशत के स्तर तक कम करेगा। विनिर्माता जुर्माने के साथ मूल्य वृद्धि की तिथि से अधिप्रभारित राशि, उस पर प्रोद्भूत ब्याज के साथ जमा करने का दायी होगा। डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए एनपीपीए ने निम्नलिखित 19 चिकित्सा उपकरणों के अधिकतम खुदरा मूल्य आंकड़े एकत्र किए हैं, जिन्हें औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ''औषध'' के रूप में घोषित किया गया है।

i. डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक सिरिंज

ii. डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक सूईयां

iii. डिस्पोजेबल परफ्यूजन सेट

iv. एचआईवी, एचबीएसएजी और एचसीवी के इन विट्रो निदान उपकरण

v. कैथेटर्स

vi. अंतर्नेत्र लेंस

vii. आईवी कैन्यूला

viii. हड्डी सीमेंट्स

ix. हृदय वाल्व

x. खोपड़ी वेन सेट

xi आर्थोपेडिक इम्प्लान्ट्स

xii. आंतरिक प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट

xiii. रक्त ग्रुपिंग सेरा

xiv. लिगचर, सुस्टर्स और स्टेपलर्स

xv. ट्यूबल रिंग्स

xvi. सर्जिकल ड्रेसिंग

xvii. नाभीय टेप

xviii. रक्त/रक्त घटक बैग

xix. पृथक्करण उपकरण

उपर्युक्त 19 चिकित्सा उपकरणों की कीमतों में उतार दृ चढ़ाव की मॉनिटर करने के लिए वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक के प्राप्त एमआरपी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, कि जिन्हें औषधियां माना गया है।

(iii) çorlu xfrfof/k;k

वर्ष 2010 – 11 से वर्ष 2017 – 18 तक (अप्रैल, 2017 तक) की प्रवर्तन गतिविधियां इस प्रकार हैः

o"k	lxghr ueuk dh l[;k	çFke –"V;k llfpr mYy?ku	vf/kçHkkkju dk fy, lnfHkkr
2010-2011	553	225	216
2011-2012	559	156	152
2012-2013	626	165	163
2013-2014	993	389	389
2014-2015	3898 #	1020	1020
2015-2016	2534 #	613	613
2016-2017	1817 #*	930	930

*दिनांक 31.10.2017 की स्थिति के अनुसार

राज्य औषध नियंत्रकों से संदर्भित अधिप्रभारन के मामले 'संग्रहीत नमूने' के तहत शामिल किए गए हैं।

7. ई–पहल

एनपीपीए ने आम नागरिकों की शिकायतों के बेहतर निपटान के लिए निम्नलिखित ई–पहल भी की हैं रू

¼i½ Qkek tu lek/kku ¼ih t s,l½

पीजेएस को 12 मार्च, 2015 को शुरू किया गया था। पीजेएस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से एनईपीपीए द्वारा विकसित एक वेब सक्षम प्रणाली है। पीजेएस औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ई–गवर्नेंस उपकरण के रूप में कार्य करता है। पीजेएस का प्राथमिक उद्देश्य दवाइयों की उपलब्धता, दवाईयों के अधिक मूल्य प्रभारित करने, बिना मूल्य पूर्वानुमोदन (डब्ल्यूपीए) के 'नयी औषधियों' की बिक्री और दवाईयों की आपूर्ति या बिक्री से इंकार करने से संबंधित मामलों के लिए एक त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना है। शिकायतें एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात् www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध पीजेएस लिंक के तहत और साथ ही निरूशुल्क दूरभाष सं. 180011255 पर पंजीकृत कराई जा सकती हैं।

कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता संगठन या स्टॉकलिस्ट/वितरक/डीलर/खुदरा विक्रेता या राज्य औषधि नियंत्रक पीजीएसएस के जरिए एनपीपीए में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पीजेएस के माध्यम से पूर्ण सूचना के साथ प्राप्त शिकायत पर 48 घंटे के भीतर एनपीपीए द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी जाती है।

¼ii½ Qkek MVk cd ¼ihMhch½ & ,dh—r vk"k/k vkdMk dk"k çc/ku ç.kkyh ¼vkbZihMh,e,l½

आईपीडीएमएस को 25 जून, 2015 को शुरु किया गया, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के सहयोग से एनपीपीए द्वारा विकसित किया गया था। यह विस्तृत ऑनलाइन प्रणाली औषध विनिर्माता/विपणन कंपनी/आयातक / वितरक को डीपीसीओ, 2013 के फॉर्म II, फॉर्म III और फॉर्म V वी में विहित अनिवार्य रिटर्न दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 'नई दवा' के मूल्य अनुमोदन के लिए फॉर्म–I में आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से भी दाखिल किया जा सकता है। शीघ्र ही फॉर्म IV के तहत आवेदन की प्रस्तुती भी उपलब्ध कराई जाएगी। आईपीडीएमएस के तहत 851 फार्मा कंपनियों ने खुद को पंजीकृत किया है और दिनांक 06.11.2017 को 63720 फॉर्म ट दाखिल किए गए हैं। पीडीबी से उद्योग, उपभोक्ता और नियामक को लाभ होने की उम्मीद है। यह उद्योग को रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल एक तंत्र प्रदान करती हैय कंपनियों द्वारा किए गए कीमत प्रकटीकरण के आधार पर एनपीपीए कीमतों को निर्धारित करने में सक्षम हो सकता है और निजी डाटाबेस पर अपनी निर्भरता को दूर कर सकती है; और उपभोक्ता प्रत्येक अनुसूचित/गैर–अनुसूचित फॉर्मूलेशन से संबंधित मूल्य आंकड़ा देखने में सक्षम हो सकता है और लागत प्रभावी उपचार के संबंध में संसूचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। खुदरा विक्रेताओं के पास वास्तविक समय मूल्य डेटा भी उपलब्ध होगा। यह एनपीपीए को मूल्य अनुपालन की निगरानी करने में भी मदद करेगा।

¼iii½ ekckby vuç;kx ^Qkek lgh nke* vkj ^lpl efMflu çkbl* lfo/kk

एनपीपीए ने भारत के आम लोगों के लाभ के लिए दिनांक 29.08.2016 को ष्फार्मा सही दामष नामक अपना मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से कोई भी आसानी से ब्रांड नाम, संरचना, फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य और

एमआरपी ढूंढ़ सकता है। इस ऐप को गूगल स्टोर से निःशुल्क एंड्रॉइड आधारित मोबाइल फोन और ऐपस्टोर से आईओएस आधारित मोबाइल फोन (आईफोन) पर डाउनलोड किया जा सकता है। एनपीपीए की वेबसाइट में उपलब्ध टूल 'सर्च मेडिसिन प्राइस' का उपयोग करके अनुसूचित फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमत भी प्राप्त की जा सकती है। ऐप या सर्च मेडिसिन सुविधा उपकरण उपभोक्ताओं को यह सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करेगा कि क्या दवाएं अनुमोदित मूल्य सीमा के भीतर बेची जा रही हैं या फिर औषध कंपनी/केमिस्ट द्वारा अतिप्रभारन के मामले का पता लगाना सुगम करेगा। यदि कोई अधिकतम मूल्य सीमा का उल्लंघन होता है, तो खरीदार फार्मा जन समाधन (http://www.nppaindia.nic.in/redressal.html) के माध्यम से कंपनी / केमिस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कर पाएगा।

एनपीपीए ने कीमत नियंत्रण के तहत आने वाली किसी दवा की अधिकतम कीमत की जांच करने की सुविधा के अलावा एनपीपीए के मोबाइल ऐप ष्फार्मा सही दामष् के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता के लिए खेल में निषिद्ध दवाओं ६ पदार्थों के बारे में जानकारी शामिल करने के लिए, दिनांक 29.08.2017 को, राष्ट्रीय डोपिंग रोकथाम एजेंसी (नाडा), युवा मामलों और खेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

8- ,uihih, LFkkiuk fnol

एनपीपीए का स्थापना दिवस 29 अगस्त, 2017 को मनाया गया। इस अवसर पर, वाईएमसीए पर्यटक हॉस्टल, नई दिल्ली के वाईएमसीए ऑडिटोरियम में 'सभी के लिए सस्ती दवाएं' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दवाइयों की वहनीयता और उपलब्धता संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

9- vf/kçHkkfjr jkf'k dh olyh %

अधिप्रभारित रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज की वसूली एक निरंतर प्रक्रिया है। एनपीपीए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ डीपीसीओ 1995 ६ डीपीसीओ 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करता है।

एनपीपीए ने 31 अक्तूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार करीब 1702 मामलों (डीपीसीओ 1995 के तहत 1303 मामले और डीपीसीओ 2013 के तहत 399 मामले) पर कार्रवाई शुरु की है, जिनमें औषध कंपनियों को डिमांड नोटिस भेजे गए हैं। मांग की गयी यह राशि एनपीपीए/सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर दवाईयों की बिक्री करने के लिए 5908.94 करोड़ रुपये है। तथापि, 31 अक्तूबर 2017 तक औषध विनिर्माण कंपनियों से केवल 818.09 करोड़ रुपये की राशि ही वसूली गयी है। 5090.85 करोड़ रुपये की शेष बकाया रकम में से 3563.81 करोड़ रुपये अभी भी अदालती मामलों में फंसी हुई है।

अध्याय 8

8.1 राजभाषा का कार्यान्वयन

अधयाय 8
राजभाषा का कार्यान्वयन

8-1 jktHkk"kk dk dk;kZUo;u

ljdkjh dk;l e fgnh dk ç;kx

भारत संघ की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के प्रावधानों के तथा इसके तहत जारी किए गए आदेशों का कार्यान्वयन शामिल है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया। हिंदी में प्राप्त पत्रों तथा हिंदी में हस्ताक्षरित अभ्यावेदनों के उत्तर राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के नियम 5 तथा नियम 7(2) के प्रावधानों के अनुसार हिंदी में दिए गए।

fgnh ç;kx çkRlkgu i[kokMk] 2017

अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने में विभाग की मदद करने के उद्देश्य से विभाग में 14 से 28 सितंबर, 2017 के दौरान हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा मनाया गया।

अन्य बातों के साथ हिंदी का प्रयोग करने की प्रतिबद्धता करने के लिए सभी अधिकारियों ध् कर्मचारियों से अनुरोध करते हुए सचिव (फार्मा) द्वारा जारी किए गए संदेश के अलावा पखवाड़े के दौरान अनेक हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें अभूतपूर्व संख्या में अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाया। विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिए गए।

foHkkx d fu;=.kk/khu dk;ky;k e fgUnh d ç;kx dh LFkfr dh leh{kk

वर्ष 2016–17 के लिए हिंदी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन में उनसे प्राप्त हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग पर तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से विभाग के अधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की आवधिक समीक्षा की गई।

अध्याय 9

सामान्य प्रशासन

9.1 संगठनात्मक ढांचा

अध्याय-9
सामान्य प्रशासन

9-1 foHkkx dk lxBukRed <kpk

1. औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का नियोजन

दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन की स्थिति निम्न प्रकार है:

leg	Loh—r inksa dh dqy l[;k	dk;jr	vuqlfpr tkfr	vuqlfpr tutkfr	vU; fiNMh tkfr;k	'kkjhfjd :i l fn0;kx 0;fä
क	30	17	4	1	1	-
ख	48	31	4	3	7	-
ग	25	22	8	-	5	-
कुल	103	70	16	4	12	

2. समूह 'क' के अधिकारियों में अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवाओं और अन्य विभागों/उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने वाले अधिकारियों के अलावा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं। समूह ख और ग के पदों पर नियुक्ति मुख्यत: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर की जाती है।

3. यह विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्गों के सदस्यों के लिए विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आरक्षित पदों को भरने की प्रक्रिया की मानिटरिंग भी करता है।

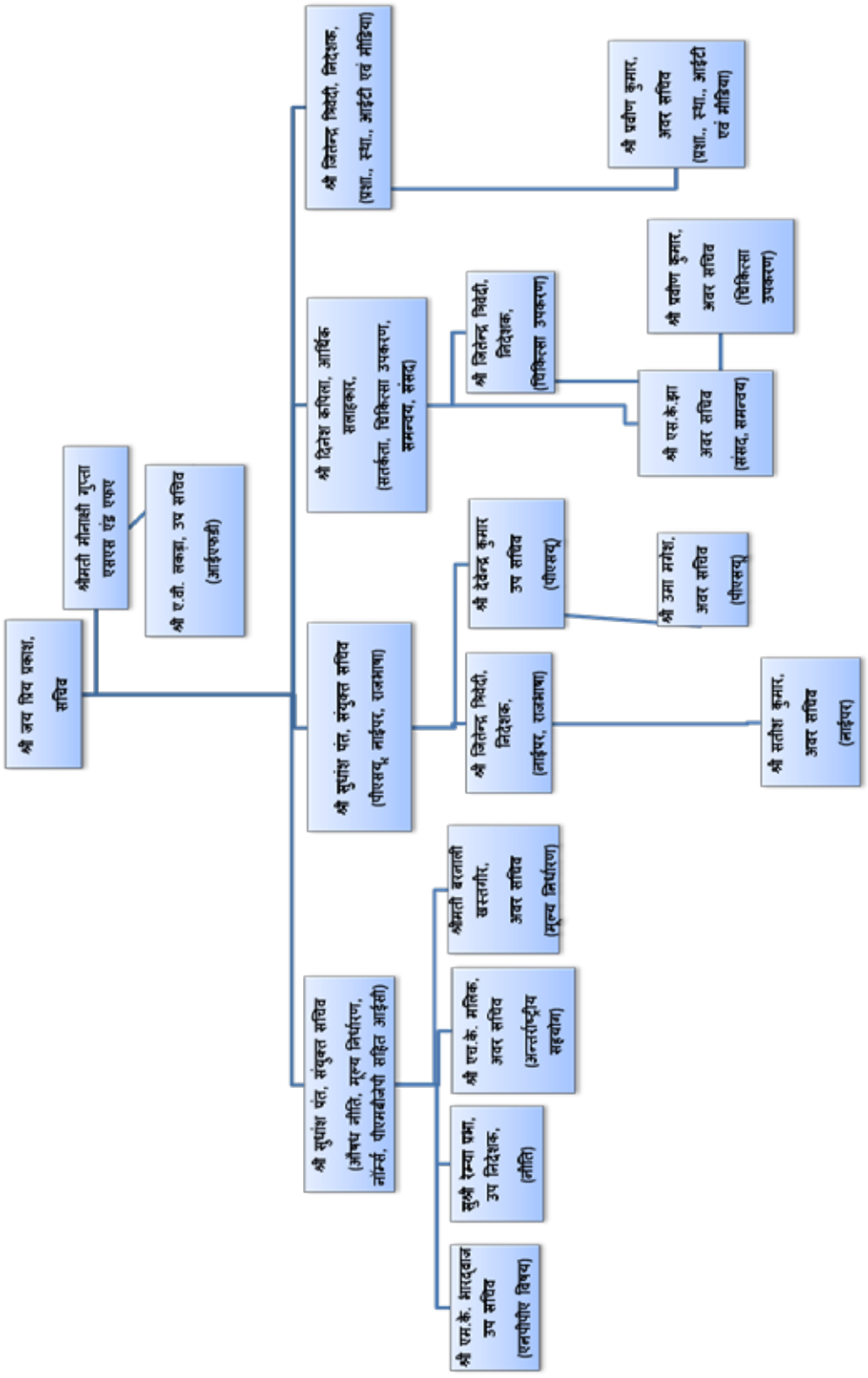

श्री जय प्रिय प्रकाश, सचिव
श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता एसएस एंड एफए
श्री ए.वी. लकड़ा, उप सचिव (आईएफडी)
श्री सुधांश पंत, संयुक्त सचिव (औषध नीति, मूल्य निर्धारण, नॉर्म्स, पीएमबीजेपी सहित आईसी)
श्री सुधांश पंत, संयुक्त सचिव (पीएसयू, नाईपर, राजभाषा)
श्री दिनेश कपिला, आर्थिक सलाहकार, (सतर्कता, चिकित्सा उपकरण, समन्वय, संसद)
श्री जितेन्द्र त्रिवेदी, निदेशक, (प्रशा., स्था., आईटी एवं मीडिया)
श्री एम.के. भारद्वाज उप सचिव (एनपीपीए विषय)
सुश्री रम्या प्रभा, उप निदेशक, (नीति)
श्री एच.के. मलिक, अवर सचिव (अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग)
श्रीमती बरनाली खस्तगीर, अवर सचिव (मूल्य निर्धारण)
श्री जितेन्द्र त्रिवेदी, निदेशक, (नाईपर, राजभाषा)
श्री देवेन्द्र कुमार उप सचिव (पीएसयू)
श्री जितेन्द्र त्रिवेदी, निदेशक, (चिकित्सा उपकरण)
श्री प्रवीण कुमार, अवर सचिव (प्रशा., स्था., आईटी एवं मीडिया)
श्री उमा मगेश, अवर सचिव (पीएसयू)
श्री एस.के.झा अवर सचिव (संसद, समन्वय)
श्री प्रवीण कुमार, अवर सचिव (चिकित्सा उपकरण)
श्री सतीश कुमार, अवर सचिव (नाईपर)

अध्याय 10

नागरिक उन्मुख अभिशासन

10.1 हमारा विजन

10.2 हमारी मिशन

10.3 हमारे ग्राहक

10.4 हमारी प्रतिबद्धता

10.5 हमारी सेवाएं

10.6 हमारे कार्यकलाप

10.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

10.8 सीपीजीआरएएमएस

अध्याय 10
नागरिक उन्मुख अभिशासन

10-1 gekjk fot u%

आवंटित कार्यों के माध्यम से औषध विभाग को दिए गए मैंडेट के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय की सहमति से निम्नलिखित विजन तय किया गया है:

"भारत: उचित मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त दवाइयों का विश्व का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता।"

10-2 gekjk fe'ku%

1. औषधि निति के अनुसार उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. पीपीपी सहित औषध क्षेत्र में औषध अवसंरचना का विकास और नवाचार विकास।
3. औषध ब्रांड भारत का बढ़ावा देना।
4. औषध उद्योग के पर्यावरण संबंधी चिरस्थायी विकास को प्रोत्साहित करना।
5. मानव के लाभ के लिए नाईपरों को औषधीय विज्ञान के शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता प्राप्त ब्रांड के रूप में स्थापित करना ।

10-3 gekj xkgd

- भारत के नागरिक
- लघु और मध्यम उद्यमों सहित औषध उद्योग
- डीपीसीओ के अंतर्गत राहत मांगने वाली औषध कंपनियां
- एनपीपीए/सीपीएसयू/नाईपर

10-4 gekjh çfrc)rk

औषध उद्योगों से संबंधित मामलों में जनता को निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण एवं तत्काल सेवा प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

अपने कार्मिकों और जनता की शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं।

सभी उद्योग संघों/संबंधित पक्षों के परामर्श से नीतियां तैयार करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संशोधित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

10-5 gekjh lksp,

हम औषधों व भेषजों, रंजक द्रव्यों एवं रंजक मध्यवर्ती उत्पादों से संबंधित नीतियां तैयार करते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं।

10-6 gekj dk;ldyki

विभाग के मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित पर केन्द्रित हैं:–

1. औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्यों पर औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
2. विभाग के नियंत्रण के अधीन कार्यरत केंद्रीय औषध उपक्रमों का समुचित कार्य संचालन सुनिश्चित करना ।
3. सीपीएसयूज के लिए परियोजना आधारित सहायता और पुनरूद्धार योजनाएं ।
4. नाईपरों में एम फार्मा और पीएचडी कार्यक्रमों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना ।
5. सरकारी–निजी भागीदारी (पीपीपी)सहित औषधि अनुसंधान तथा विकास और उद्योग के लिए मानव संसाधन, अवसंरचना विकसित करना ।
6. फार्मा ब्रांड इंडिया का संवर्धन करने के लिए योजनाध्परियोजना तैयार करना ।
7. औषध उद्योग के पर्यावरण संबंधी चिरस्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना/परियोजना तैयार करना।
8. वार्षिक योजना, बजट तैयार करना और बजट व्यय की मॉनीटरिंग करना ।

विभाग का सिटीजन चार्टर विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

10-7 lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, औषध विभाग से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना वेबसाइट पर इस प्रकार उपलब्ध करा दी गई है जिससे कि वह आम आदमी को आसानी से तथा व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाए।

जनता को सूचना प्रदान करने के लिए विभाग में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नामांकित किए गए हैं।

10-8 lhihthvkj,,e,l ¼dæh—r ykd f'kdk;r fuokj.k vkj e,uhVfjx 0;oLFkk½

ऑफलाइन और सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई लोक शिकायतों की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है और निपटान किया जाता है।

अध्याय 11

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

अध्याय 11
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत, औषध विभाग ने ई–गवर्नेंस को अपनाने की दिशा में सूचना और ऑनलाइन सेवाओँ को प्रदान करने के उद्देश्य को अपनाने की दिशा में वास्तविक पहल की है। इस कार्यक्रम ने सेवाओं की पारदर्शिता, आसान पहुंच, आंतरिक प्रक्रियाओं का सुधार और निर्णय समर्थन प्रणाली के संदर्भ में सुविधाओं का संचालन किया था।

विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा स्थापित आईटी आधारित कम्प्यूटर केन्द्र कार्यरत है और विभाग को विभिन्न आईटी संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम ग्राहक मशीनों से सुसज्जित किया है। एनआईसी तकनीकी परामर्श, नेटवर्किंग, अनुप्रयोग विकास और कार्यान्वयन, इंटरनेट और ई–मेल डाटा आधार प्रबंधन और प्रशिक्षण जैसी मूल्यवान प्रमुख सेवाएं प्रदान कर रहा है। एनआईसी की मौजूदगी और विशेषज्ञता के साथ, विभाग को निम्नलिखित आईटी/ई–अभिशासन संबंधी पहलों का संचालन करने में सहयोग मिला है। साथ ही प्रदानगी और सुरक्षा के उन्नयन के लिए वेब एप्लीकेशनों को क्लाउड एन्विरोन्मेंट में अंतरित किया जाता है।

LFkkuh; {k= uVodl ¼,y,,u½

विभाग में सभी कार्य स्थलों में ई–मेल, इंटरनेट/इंटरनेट आंकड़ा संचलन अभिगमन प्रचालनों के लिए हर समय सुविधाओं को प्रदान करने के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा इसे प्रबंधित आईपीवी6 अनुवर्ती बनाने के लिए उन्नयन किया गया जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) से जुड़े हैं। सभी अधिकारियों/प्रभागों/अनुभागों को अपने डेस्कटॉप पर उपयोग करने के लिए आईपीवी6 अनुरूप आईसीटी हार्डवेयर उपलब्ध हैं।

oc lkbV vkj lk'ky ehfM;k

विभाग के एक प्रभावशाली एवं चुस्त दुरूस्त द्विभाषीय वेबसाइट अर्थात http://pharmaceuticals.gov.in का शुभारंभ सितम्बर 2015 में माननीय राज्य मंत्री श्री हंस राज गंगा राम अहीर द्वारा किया गया और सूचना तक नागरिकों की सुरक्षित एवं अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एनआईसी क्लाउड में रखा गया। यह वेबसाइट अंतर्वस्तु प्रबंधन ढांचा का प्रयोग करते हुए एनआईसी द्वारा तैयार की गयी है और जीआईजीडब्ल्यू अनुपालक है। यह विभाग की संघटनात्मक व्यवस्था, इसके कार्य, अधीनस्थ कार्यालयों, नीतियों, प्रकाशनों, कार्यशील मानदंडों के बारे में सांख्यिकी आंकड़ेध्सूचना का ब्यौरा प्रदान करता है। मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणपत्र (एसटीक्यूसी) प्रमाणन की भी प्रक्रिया चल रही है।

विभाग की जन औषधि स्कीम से संबंधित वेबसाइट (http://janaushadhi.gov.in) में स्कीम के ब्यौरों के साथ–साथ उन जेनेरिक दवाइयों (गैर–ब्रांडेड) की सूची दी गई है जिन्हें भारत के विभिन्न जिलों में स्थापित किए जा रहे जन औषधि केंद्रों (जेएएस) के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है । इससे लोगों को पहले से खोले जा चुके जन औषधि केंद्रों की भी जानकारी मिलती है। यह जन औषधि बिक्री केंद्रों में बेची जाने वाली जेनेरिक दवाइयों और ब्रांडेड उत्पादों के तुलनात्मक मूल्यों की सूचना भी प्रदान करता है।

सामाजिक मीडिया के पास लोगों तक पहुंचने की काफी क्षमता थी। सरकार के निर्णयों में, नीति निर्माण में सुधार करने और जागरुकता लाने के लिए विभाग ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट सृजित किए हैं। मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव एवं विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा आयोजित सम्मेलनों, संगोष्ठियों से संबंधित सूचना त्वरित रूप से इन पर पोस्ट की जाती है। जेनेरिक दवाइयों, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों नाइपरों आदि के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए विभिन्न पोस्ट को विभाग के फेसबुक और ट्विटर पेज पर पोस्ट किया गया है।

ohfM;ks dkUÝsafl ax%

सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा कार्य कर रही है। विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और शैक्षिक संस्थाओं (नाईपरों) ने भी वीडियो कानफ्रेंसिंग सुविधा संस्थापित की है। वीसी सुविधा विभाग को पीएसयू और नाईपर से उनके कार्यनिष्पादन की मॉनीटरिंग करने एवं उन्हें निर्णयों की जानकारी देने के लिए उनके साथ लगातार संवाद स्थापित करने में सक्षम बनाती है। प्रगति, प्रधानमंत्री कार्यालय का मानीटरिंग टूल प्रत्येक माह किया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री लंबे समय से लंबित मुद्दों के निराकरण के लिए विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी सचिवों एवं राज्य मुख्य सचिवों के साथ संपर्क करते हैं। विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ संपर्क करने के लिए भी विडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग किया जाता है।

dk;l çokg Lopkyu

डिजिटल इंडिया की ओर विभाग द्वारा की गई अन्य पहल विभाग के भीतर कार्यप्रवाह के स्वचालन को कार्यान्वित करना है। ई–ऑफिस एक मानक उत्पाद है जो इस समय ई–फाइल, ई–अवकाश, ई–यात्रा, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) और व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस) से मिलकर बना है तथा इसका उद्देश्य कार्यप्रवाह का प्रयोग, नियम आधारित फाइल की रूटिंग, फाइलों एवं कार्यालय आदेशों का शीघ्र पता लगाना एवं इसकी पुनरू प्राप्ति, प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर, फॉर्म और रिपोर्टिंग घटकों का प्रयोग बढ़ाना है। ई–ऑफिस को कार्य की दैधता कम करने, पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। डीजिटीकरण, ई–फाइल मॉड्यूल प्राप्त करने के लिए निजी तौर पर एक पहल कड़े रूप से क्रियान्वित की गई है जिसके फलस्वरूप ई–फाइल में 86% उपलब्धि पहले ही प्राप्त की गई है।

bl&vfHk'kklu%

आधुनिक आईसीटी अनुरूप उपकरणों का लाभ उठाते हुए एनआईसी की सहायता से औषध विभाग ने सर्वोत्तम संव्यवहारों को अपनाने के लिए वास्तविक प्रयास किए हैं। एनआईसी द्वारा मानिटर और निर्णय प्रक्रिया और सही सूचना सही समय पर उपलब्ध कराने के तंत्र को सृदृढ़ करने के लिए विभिन्न एप्लीकेशनों को विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है।

- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को कॉम्पडीडीओ पेरोल पैकेज का अंतरण।
- सभी राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्रों (नाईपरों) में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) एप्लीकेशनों को संस्थापित किया गया है। नाईपरों संबंधी डीबीटी को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है।

- आधार सक्षम बॉयोमीट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस)– विभाग के सभी कर्मचारियों (स्थायी और अस्थायी) के उपस्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली रिकार्ड करता है। औषध विभाग ने प्रथम चरण में एईबीओएस को कार्यान्वित किया है और संयुक्त सचिव एवं उनके ऊपर स्तर के अधिकारियों और सभी अनुभागों के कार्यालयों में फिंगर रीडर उपकरणों को स्थापित किया है। टेबलेट उपकरणों को अधिकारियों/स्टाफ की सुविधा प्रदान करने के लिए भवनों के गेट में भी स्थापित किया है। 119 कर्मचारियों का पंजीकरण हुआ है और ये नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। उपस्थिति को मॉनिटरिंग करने के लिए मासिक रजिस्टर तैयार किया गया है।

- स्पैरो– स्मार्ट पर्फोर्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग आनलाइन विन्डो (स्पैरो) एप्लीकेशन, जो एपीएआर को आनलाइन प्रस्तुत करने और आईएएस अधिकारियों की प्रोसेसिंग करने की अनुमति देती है, को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

- आगंतुक प्रबंधन प्रणाली– ई–आगंतुक प्रणाली आगंतुक प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित साधन है। नागरिकों की सुविधाओं के लिए उनकी यात्रा के अनुरोध को आनलाइन पंजीकृत किया जाता है और प्रमाणित आगंतुकों को गेट पास जारी किया जाता है।

- न्यायिक मामला मानिटरिंग प्रणाली– इस प्रणाली विभाग के सभी न्यायिक मामलों का संग्रहण किया जाता है। यह आगामी सुनवाई तारीखों का पता लगाती है और मामले के बुनियादी ब्यौरे भी रखती है। इस प्रणाली अधिकारियों को महत्वपूर्ण रिपोर्ट बनाने की सुविधा मुहैया कराती है ।

- ऑनलाइन आरटीआई–एमआईएस– आरटीआई आवेदनों को कुशलता से निपटाने और उनकी निगरानी करने के लिए विभाग ने ऑनलाइन आरटीआई–एमआईएस का प्रयोग करने की पहल की है। आरटीआई–एमआईएस का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया था।

- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण मॉनीटरिंग व्यवस्था (सीपीजीआरएएमएस)–केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण मॉनीटरिंग व्यवस्था (सीपीजीआरएएमएस) को ऑनलाइन प्राप्त होने वाली लोक शिकायतों का अविलंब समाधान करने के लिए इसे विभाग तथा इसके सभी संबद्ध कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया है।

- निविदाओं का ई–प्रकाशन–केन्द्रीय सार्वजनिक अधिप्रापण पोर्टल पर निविदाएं अपलोड करके निविदाओं के ई–प्रकाशन को कार्यानवित किया जाता है। इससे निविदाओं की पहुंच में सुधार हुआ है।

- अन्य ई–अभिशासन एप्लीकेशन्स जैसे आरटीआई अनुरोध एवं अपील प्रबंधन सूचना प्रणाली और परिणाम फ्रेमवर्क प्रबंधन प्रणाली, विभिन्न अनुभागों को सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग में कार्यसंचालित किया गया है।

ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए और अधिक पहलें की गई हैं जो निम्नानुसार हैं:

- योजनागत स्कीम "औषधीय संवर्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)" के अन्तर्गत सहायतानुदान के लिए एक

सोफ्टवेयर का विकास।

पीपीडीएस का उद्देश्य औषध क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विषयों के साथ–साथ वृद्धि, निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात एवं साथ ही निवेश, अध्ययन/कन्सल्टैंसीज आयोजन के संवर्धन के लिए संगोष्ठियों, सम्मेलनों, मेलों, भारत में आने और इससे जाने वाले शीर्ष प्रतिनिधिमंडलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके औषध क्षेत्र का संवर्धन एवं विकास करना है।

çf'k{k.k%

प्रयोक्ता को आधुनिकतम आईटी प्रौद्योगिकीयों के प्रयोग के बारे में सही ढंग से जागरूक करने के लिए एनआईसी कम्प्यूटर सैल संचालनात्मक जानकारी के लिए प्रयोक्ता प्रशिक्षण आयोजित करता है। डिजिटल भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत, उपर्युक्त एप्लीकेशनों को क्रियान्वित किया गया था और यथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। विभाग के सभी अधिकारियों/स्टाफ (जिनमें संयुक्त सचिव स्तरीय अधिकारी शामिल हैं) को ई–आफिस पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सभी कर्मचारियों (बाहरी स्रोतों से लिए गए कर्मचारियों सहित) को आधार इन्बल्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के कार्यसंचालन के बारे में अवगत कराया जा रहा है। संबंधित अनुभागों को ई–समीक्षा, सीपीजीआरएएम, कोम्पडीडीओ, ई–प्रकाशन, न्यायिक मामला मानिटरिंग प्रणाली पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सभी आईएएस अधिकारियों को स्पैरों सोफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अध्याय 12

अनुबंध

I पीएसयू की सूची

II दायित्व केन्द्रों और अधिनस्थ संगठनों की सूची

III एनपीपीए का संगठनात्मक चार्ट

अध्याय - 12

अनुबंध - I

List of Public Sector Undertakings

1 Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd, Dundahera Industrial Complex, Dundahera, Gurgaon, Haryana.

2 Hindustan Antibiotics Ltd, Pimpri, Pune, Maharahstra.

3 Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Limited, Bangalore-560010.

4 Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Kolkata, West Bengal.

5 Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited. Road NO.12, V.K.I. Area, Jaipur-302013.

OTHER ORGANISATIONS

1. Bengal Immunity Limited, Kolkata, West Bengal.

2. Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd. Kolkata, West Bengal.

अनुबंध - II

औषध विभाग के अधीन विभिन्न संगठनों और पीएसयूज के अध्यक्षों के नाम और पते

Ø-l-	lxBu vkj mudk irk	uke	inuke
1	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), गुडगांव	श्री सुधांश पंत	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
2	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्सस लिमिटेड (एचएएल), पुणे – 411010.	सुश्री निरजा सर्राफ	प्रबंध निदेशक
3	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) बंगलौर– 560010	श्री के.एम.प्रसाद	प्रबंध निदेशक
4	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल),कोलकाता–700013	श्री पी.एम. चन्द्रैया	प्रबंध निदेशक
5	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) रोड़ नं. 12 वी.के.आई. एरिया, जयपुर–302013	सुश्री निरजा सर्राफ	प्रबंध निदेशक

अनुबंध - III

दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची

Øe l-	nkf;Ro dUæ vkj vèkhuLFk lxBu	njHkk"k	b&esy	ekckby u-	irk
1	प्रो. पी.वी. भारतम (कार्यवाहक निदेशक)	0172-2214690	director@niper.ac.in	09417203802	एसएएस नगर नाईपर मोहाली, पंजाब–160062
2	डा. किरन कालिया,(निदेशक)	079-27439375	kirankalia@gmail.com	09824335881	बी.वी. पटेल फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट (पीईआरडी) सैंटर, सरखेज गांधीनगर राजमार्ग, थलतेज, अहमदाबाद–380054
3	डा. एस. चन्द्रशेखर (निदेशक)	04057193157	projectdirector@niperhyd.ac.in	09440802784	नाईपर, हैदराबाद, आईडीपीएल टाउनशिप,बालांगर, हैदराबाद–500007
4	डा. प्रदीप दास, (परियोजना निदेशक)	0612-2636651	drpradeep.das@gmail.com	09431012380	राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आरएमआरआईएमएस), आगम कुआं, पटना–800007 (बिहार)
5	डा. चित्रा मंडल, (परियोजना निदेशक)	03324735368	Chitra_mandal@yahoo.com	09831036984	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ केमिकल बॉयोलोजी (सीएसआईआर के तहत आईआईसीबी), नाईपर कोलकाता का मेंटर संस्थान, 4, राजा एस.सी.मलिक रोड, जादवपुर, कोलकाता–700032 (प. बंगाल)
6	प्रो. (डा.) बी.के. बेजबरुआ (परियोजना निदेशक)	03612132751	niperghy@gmail.com	09864066772	नाईपर गुवाहाटी, गुवाहाटी मेडिकल कालेज एंड हास्पीटल गुवाहाटी– 781032
7	डा. पी. शुक्ला	05223290093	pk_shukla@cdri.res.in	09335866066	नाईपर रायबरेली, केन्द्रीय औषध शोध संस्थान क्षेत्तर मंजिला पो. ओ. बॉक्स 173 लखनऊ–226001

अनुबंध - IV

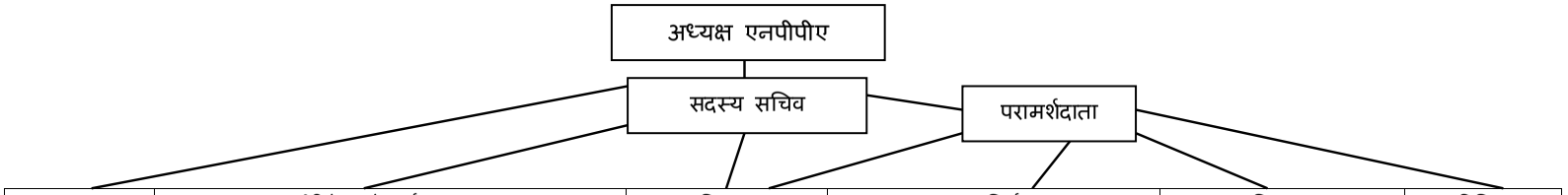

प्रशासन प्रभाग	मानीटिरंग एवं प्रवर्तन प्रभाग-III	अधिप्रभार-I	मूल्य निर्धारण	अधिप्रभार-II	विधिक
1.स्थापना मामले 2.सामान्य प्रशासन 3.रोकड/बजट 4.समन्वय 5.आर एंड आई अनुभाग 6.सतर्कता 7.संसद समितियों से संबंधित कार्य 8.संसद प्रश्नों / उत्तर /मामलों का समेकन / संकलन 9.आईएसओ आडिट 10.कहीं भी सूचीबद्ध न किया गया कोई अन्य विषय 11.सभी एमपी/वीआईपी संदर्भ और उनका समन्वय 12. एनपीपीए की वेबसाइट को अद्यतन करना	1.एनपीपीए द्वारा निर्धारित एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्यों का प्रवर्तन और कार्यान्वयन 2. आईएमएस की मासिक रिपोर्टों के आधार पर गैर- एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की मानीटरिंग और उन पर कार्रवाई करना यदि मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक पाए जाते हैं 3. एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्यों को कार्यान्वित न किए जाने के संबंध में प्राप्त एसडीसी रिपोर्टों और अन्य डीपीसीओ से संबंधित मामलों पर कार्रवाई 4.अलग-अलग व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों से मूल्य निर्धारण / एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विपणन करने अथवा 10 प्रतिशत से अधिक मूल्य वृद्धि करने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतें 5.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए अधिप्रभार प्रभाग को रिपोर्ट भेजना 6.एनएलईएम फार्मूलेशनों के संबंध में मूल्य निर्धारित करने,यदि मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है के लिए मूल्य निर्धारण प्रभाग को रिपोर्ट भेजना 7.डीपीसीओ प्रावधानों के प्रवर्तन से संबंधित मामले में राज्य औषध नियंत्रकों के साथ अंत:क्रिया/पत्राचार 8.एनएलईएम और गैर- एनएलईएम फार्मूलेशनों का भंडारण और उपलब्धता 9. नए डीपीसीओ से संबंधित नीतिगत मामले 10.आईएमएस डाटा के आधार पर मासिक रिपोर्ट तैयार करना 11. मूल्य सूची एकत्ररण और जांच 12.आईएमएस डाटा का भंडारण और परिरक्षण तथा एनपीपीए के संबंधित प्रभागों को इनपुट प्रदान करना 13.बल्क औषधियों से संबंधित पुराने मामले 14.बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों का उत्पादन और आयात डाटा 15.संबंधित संसद प्रश्न / मामले 16.आरटीआई कार्य 17.आरएफडी से संबंधित कार्य	1.डीपीसीओ, 1995 के अंतर्गत 1.1.2008 के बाद के सभी अधिप्रभार के मामले/ फाइलें तथा संबंधित कार्य 2.कंपनियों को अधिप्रभार के लिए नोटिस जारी करना और बाद में उसका अनुवर्तन 3.कारण बताओ नोटिस जारी करना, अधिप्रभारित रकम का हिसाब लगाना और अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए मांग करना। 4.डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिप्रभारित रकम की वसूली 5.जब कभी आवश्यक हो व्यक्तिगत सुनवाई करना और सकारण आदेश पारित करना 6.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिप्रभार से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करना 7.न्यायालय मामलों के लिए विधिक प्रभाग को इनपुट प्रदान करना 8.संबंधित संसद प्रश्न/मामले	1.एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन 2.डीपीसीओ,2013 में दिए गए मूल्य निर्धारण फार्मूले से संबंधित कारक/मानदंड तैयार करना और समय-समय पर इसका संशोधन 3.एनएलईएम फार्मूलेशनों जिनका आईएमएस डाटा उपलब्ध नहीं है के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए बाजार आधारित डाटा एकत्र करना 4.हर वर्ष पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद डब्लूपीआई पर आधारित एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्य का वार्षिक संशोधन 5.जब कभी एनएलईएम फार्मूलेशनो के बारे में बाजार संरचना में कोई परिवर्तन हो तो मूल्यों का वार्षिक संशोधन 6.जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, गैर-एनएलईएम फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारण / संशोधन 7.राजपत्र में मूल्यों की अधिसूचना और एनएलईएम फार्मूलेशनों का मूल्य से संबंधित डाटा रखना 8.प्रत्येक एनएलईएम फार्मूलेशन के लिए बाजार संरचना/एनएलईएम विनिर्माताओं की संख्या के बारे में वार्षिक कार्य 9.प्राधिकरण की बैठकों-कार्यसूची/कार्यवृत से संबंधित समन्वय कार्य 10.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए डीपीसीओ, 1995 और 1987 के अधीन 31.12.2004 तक की अवधि के लिए सभी अधिप्रभार के मामले/फाइलें तथा उससे संबंधित कार्य 11.संबंधित संसद प्रश्न/मामले	1.डीपीसीओ, 1995 और डीपीसीओ 2013 के अंतर्गत 2005 से 2007 तक की अवधि के अधिप्रभार के मामले/ फाइलें तथा उससे संबंधित कार्य 2.कंपनियों को अधिप्रभार के लिए नोटिस जारी करना और बाद में उसका अनुवर्तन 3.कारण बताओ नोटिस जारी करना, अधिप्रभारित रकम का हिसाब लगाना और अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए मांग करना। 4.डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिप्रभारित रकम की वसूली 5.जब कभी आवश्यक हो व्यक्तिगत सुनवाई करना और सकारण आदेश पारित करना 6.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिप्रभार से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करना 7.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए डीपीसीओ, 1995 और 2013 के अंतर्गत अधिप्रभार से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करना 8.न्यायालय मामलों के लिए विधिक प्रभाग को इनपुट प्रदान करना 9.एनपीपीए की सभी योजना स्कीमें 10.संबंधित संसद प्रश्न/मामले	1.डीपीसीओ,1987और 1995 के अधीन न्यायालय के मामले 2.डीपीसीओ,2013 के अधीन न्यायालय के मामले 3.डीपीसीओ के विभिन्न प्रावधानों के निर्वचन और अनुप्रयोग के संबंध में एनपीपीए के अन्य प्रभागों को सलाह देना 4.स्थापना मामलों / एनपीपीए के कार्य करने के स्थान (अकमोडेशन) से संबंधित विधिक मामले 5.एनपीपीए के कार्यकरण से संबंधित दिशा-निर्देश/ क्रियाविधियां आदि 6.डीपीसीओ के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चलाना 7.संबंधित संसद प्रश्न/मामले